कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास
को समर्पित

वर्ष 56 अंक : 7 जून 2010 मूल्य : 10 रुपये

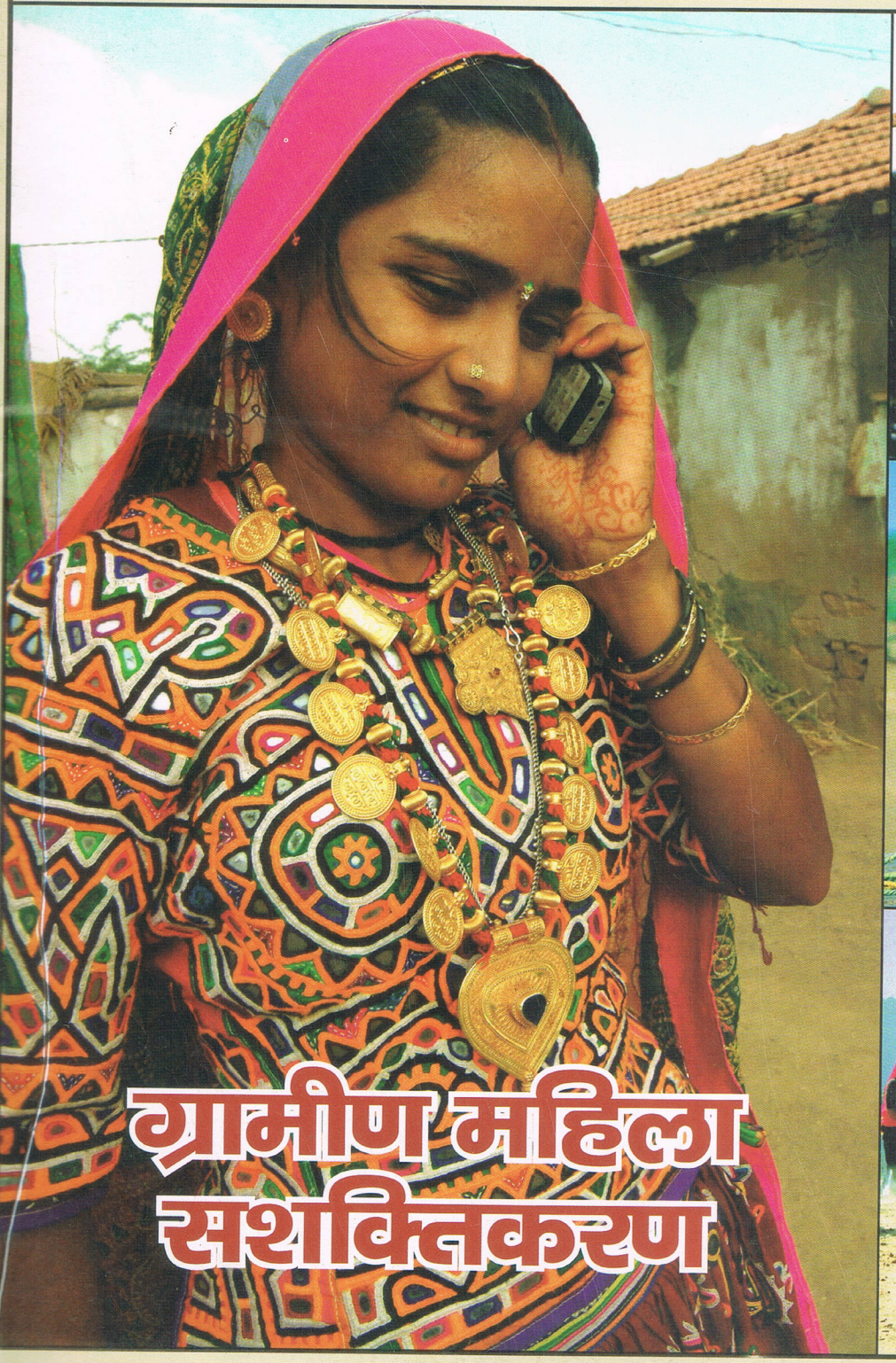

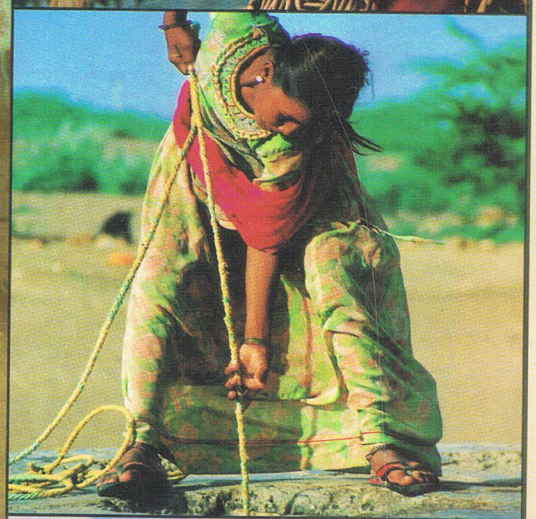

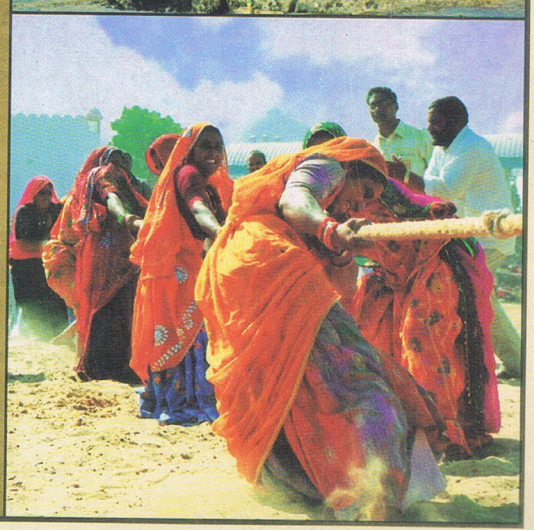

ग्रामीण महिला सशक्तिकरण

कला और संस्कृति के झरोखे

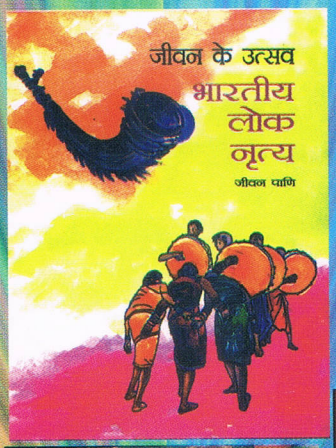

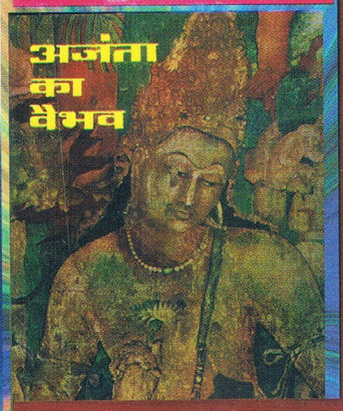

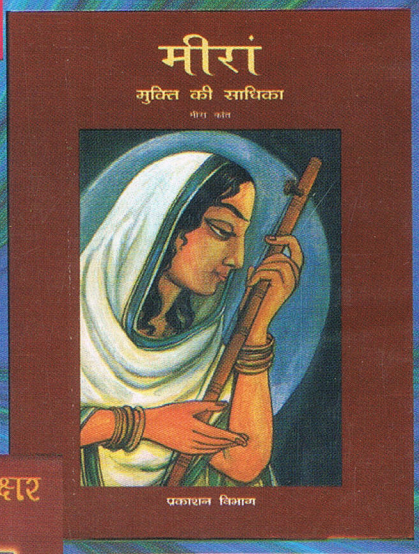

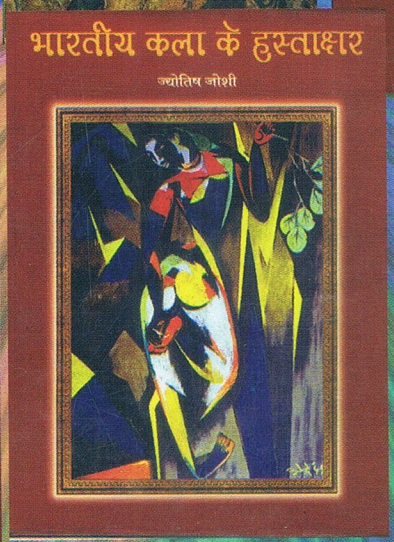

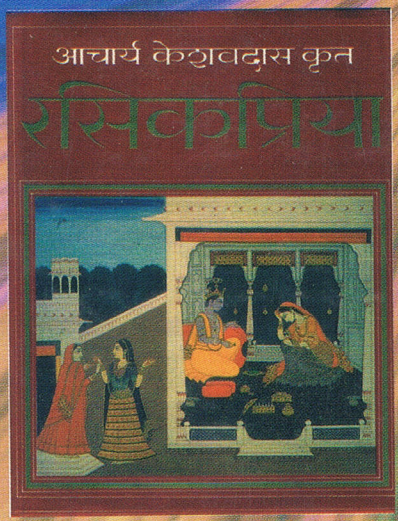

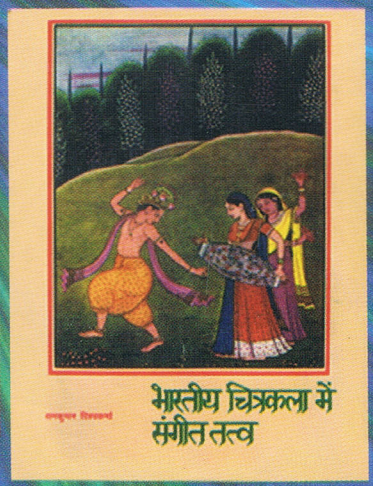

प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

DPDB-H-09/19

ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख मासिक पत्रिका

कुरुक्षेत्र

वर्ष : 56 ★ मासिक अंक : 8 ★ पृष्ठ : 48 ★ ज्येष्ठ–आषाढ़ 1932 ★ जून 2010

प्रधान संपादक
नीता प्रसाद
वरिष्ठ संपादक
कैलाश चन्द्र मीना
संपादक
ललिता खुराना
संपादकीय पत्र–व्यवहार
वरिष्ठ संपादक,
कमरा नं. 655, 'ए' विंग,
गेट नं. 5, निर्माण भवन
ग्रामीण विकास मंत्रालय
नई दिल्ली–110 011
दूरभाष : 23061014, 23061952
फैक्स : 011–23061014, तार : ग्राम विकास
वेबसाइट : Publicationsdivision.nic.in
ई–मेल : kuru.hindi@gmail.com
संयुक्त निदेशक
जे.के. चन्द्रा
व्यापार प्रबंधक
सुर्यकांत शर्मा
दूरभाष : 26105590, फैक्स : 26175516
ई–मेल : pdjucir_jcm@yahoo.co.in
आवरण एवं सज्जा
संजीव सिंह और रजनी दुबे

मूल्य एक प्रति	:	10 रुपये
वार्षिक शुल्क	:	100 रुपये
द्विवार्षिक	:	180 रुपये
त्रिवार्षिक	:	250 रुपये
विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)		
पड़ोसी देशों में	:	530 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में	:	730 रुपये (वार्षिक)

इस अंक में

संगठित महिलाएं सशक्त समाज — प्रदीप कुमार सिंह — 3

कारपोरेट ग्लैमर से गांव की सरपंच तक — संगीता यादव — 8

पंचायती राज और महिला सशक्तिकरण — आनन्द सिंह कोडान बिमल एवं नरेन्द्र सिंह — 11

आर्थिक स्वावलंबन से होंगी महिलाएं सशक्त — प्रतापमल देवपुरा — 15

महिला रेलवे कुली — विमलेश चन्द्र — 20

सामाजिक विकास के लिए प्रतिबद्ध महिला सरपंच — रवीन्द्र कुमार शर्मा — 24

उत्तराखण्ड में महिला सामाख्या — डॉ. इन्दु पाठक — 26

तुलसी माला से महिलाएं बनी आत्मनिर्भर — रामचरण धाकड़ — 31

लाभदायक है सफेद मूसली की खेती — डॉ. सुनील कुमार खण्डेलवाल एवं डॉ. अरुणाभ जोशी — 34

ग्वारपाठा एक महत्वपूर्ण औषधीय पौधा — डॉ. अर्चना सिंह एवं डॉ. ममता मोहन — 40

नागालैंड के पेरेन जिले में हरा-भरा जीवन — – — 45

बूंदी के अमरूदों ने बनाई देशभर में पहचान — गजानंद यादव — 46

कुरुक्षेत्र की एजेंसी लेने, ग्राहक बनने और अंक न मिलने की शिकायत के बारे में व्यापार प्रबंधक, (वितरण एवं विज्ञापन) प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, लेवल–7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110 066 से पत्र–व्यवहार करें। विज्ञापनों के लिए सहायक विज्ञापन प्रबंधक, प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, लेवल–7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110 066 से संपर्क करें। दूरभाष : 26105590, फैक्स 26175516

कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो।

सम्पादकीय

महिला सशक्तिकरण से हमारा तात्पर्य महिलाओं की शिक्षा और स्वतंत्रता को समाहित करते हुए सामाजिक सेवाओं के समान अवसर प्रदान करना, राजनैतिक और आर्थिक नीति निर्धारण में भागीदारी, समान कार्य के लिए समान वेतन, कानून के तहत सुरक्षा देने का अधिकार आदि प्रदान करने से है। आज जरूरत इस बात की है कि महिलाओं में आत्मशक्ति के बारे में चेतना जागृत की जाए जिससे न केवल महिलाओं का कल्याण होगा बल्कि वे सामाजिक विकास की प्रवर्तक भी बन सकेंगी। एक सशक्त महिला न केवल स्वयं अपने लिए बल्कि समाज के समग्र विकास के लिए भी उपयोगी व महत्वपूर्ण साबित होगी।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि महिलाओं में आत्मविश्वास, अपने अधिकारों के बारे में जागरुकता तथा अन्याय से लड़ने की नैतिक शक्ति शिक्षा से ही पैदा होती है। महिलाओं के शिक्षित एवं जागरुक होने की महत्ता को समझते हुए और उन्हें राष्ट्रीय विकास की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2010 से 6–14 वर्ष तक के बच्चों की अनिवार्य शिक्षा का कानून लागू कर दिया है। महिलाओं के शोषण एवं उत्पीड़न को रोकने के लिए उनका चहुंमुखी विकास जरूरी है। इसके लिए उनका कानूनी ज्ञान बढ़ाना भी समय की आवश्यकता है।

भारत में स्वतंत्रता के बाद से महिला कल्याण के लिए एवं 90 के दशक के बाद से महिला सशक्तिकरण हेतु सरकारी व गैर–सरकारी स्तर पर निरंतर प्रयास किए जाते रहे हैं। ग्रामीण महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य स्थिति, आर्थिक सहभागिता, निर्णय क्षमता, कानूनी ज्ञान आदि के संदर्भ में पुरुषों की तुलना में कमजोर स्थिति को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में 'महिला सशक्तिकरण' जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों की भूमिका व योगदान उल्लेखनीय रहा है। महिला सामाख्या भी उनमें से एक है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं विशेषकर सामाजिक, आर्थिक रूप से पिछड़ी एवं वंचित महिलाओं को इस योग्य बनाना है कि वे अलग–थलग पड़ने और आत्मविश्वास की कमी जैसी समस्याओं से जूझ सकें और दमनकारी सामाजिक रीति–रिवाजों के विरुद्ध खड़े होकर अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए संघर्ष कर सकें। वर्तमान में महिला सामाख्या कार्यक्रम देश के 11 राज्यों में संचालित किया जा रहा है।

73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को सहभागिता प्रदान कर उन्हें राजनीतिक शक्ति संरचना में स्थान देने का जो प्रयास किया गया है, वह बेहद सफल साबित हो रहा है। आज निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की जरूरत है। इसके लिए पुरुषों की रूढ़िगत सोच में बदलाव लाना होगा। जब महिलाओं को पंचों, सरपंचों, सदस्यों एवं अन्य प्रतिनिधियों के रूप में पुरुष प्रधान राजनीतिक व्यवस्था में अपनी भूमिका निभाने के लिए खड़ा कर दिया गया है तो ऐसे में उन्हें अपनी भूमिका को सफलतापूर्वक निभाने के लिए खुद तो तैयार रहना ही पड़ेगा। इस कार्य में स्थानीय लोगों के साथ–साथ सरकारी एवं गैर–सरकारी संस्थाओं आदि का सहयोग बेहद जरूरी है।

भारत सरकार ने मनरेगा के तहत गांव के प्रत्येक परिवार को 100 दिन का रोजगार प्रदान करने का कानून बनाया है जिसके तहत 50 प्रतिशत रोजगार के अवसर महिलाओं को प्रदान करने का प्रावधान है। इस योजना के जरिए अधिकाधिक महिलाओं को लाभान्वित किए जाने का प्रयत्न करना चाहिए जिससे महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य पूरा हो सके।

भारत में ग्रामीण परिवारों को न केवल कृषि के लिए बल्कि पारिवारिक जिम्मेदारी पूरी करने के लिए गैर-संस्थागत ऋण स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। देश में बैंकों ने अनेक योजनाएं तो चलायी लेकिन इसका फायदा वास्तव में ऊंचा तबका ही ले गया। ऐसे में स्वयंसहायता समूहों के माध्यम से जो पहल महिलाओं ने की है, वो सराहनीय है। भारत में इस समय मौजूद करीब 28 लाख 35 हजार स्वयंसहायता समूहों में से लगभग 82.14 प्रतिशत समूह महिलाओं से ही सम्बन्धित हैं।

संगठित महिलाएं सशक्त समाज

प्रदीप कुमार सिंह

विगत कुछ वर्षों से राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जा रही है। इसी सन्दर्भ में विश्व के अनेक देश गरीबों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए उन्हें संगठित करके विकास के लिए प्रेरित कर रहे हैं। गरीबों के सामाजिक और आर्थिक विकास की इसी अवधारणा से स्वयंसहायता समूह के द्वारा लघुवित्त/सूक्ष्म वित्त का जन्म हुआ। बांग्लादेश जैसे अल्पविकसित देश में इस कार्यक्रम की सफलता ने सम्पूर्ण विश्व में क्रान्ति पैदा कर दी । बांग्लादेश के प्रमुख अर्थशास्त्री मो. युनुस ने अपने अभिनव प्रयोगों से इस देश की ग्रामीण महिलाओं को संगठित करके उन्हें स्वरोजगार हेतु प्रेरित कर उनकी तस्वीर ही बदल दी । मो. युनुस की इस सफलता के लिए उन्हें वर्ष 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था।

भारत जैसे विकासशील देश में जिसकी लगभग 58.2 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है और लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, के लिए इस कार्यक्रम की महत्ता और भी बढ़ जाती है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ग्रामीण विकास तथा गरीबी उन्मूलन सम्बन्धी अनेक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन "स्वयंसहायता समूह" के माध्यम से कर रही है। भारत सरकार ग्रामीण क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु 1999 से स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस0जी0एस0वाई) का क्रियान्वयन स्वयंसहायता समूहों के माध्यम से कर रही है।

विश्व की कुछ अल्पविकसित एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं वाले देश जैसे– बांग्लादेश, इण्डोनेशिया, नेपाल, केन्या, बर्मा आदि में एक प्रयोग किया गया । कुछ स्वयंसेवी संगठनों ने समाज के सबसे कमजोर वर्ग की सहायता करने के लिए उनको संगठित करने का प्रयास किया । उनको किसी अन्य की सहायता पर नहीं वरन् स्वयं आपसी मदद से अपनी समस्याओं को सुलझाने में सहायता दी । इस प्रयोग ने चमत्कार कर दिखाए। जो काम सरकारी सहयोग से सम्भव नहीं हो सका, उसको इस स्वयं सहयोग से प्राप्त कर लिया गया । सामूहिक रूप से अपनी स्वयंसहायता करने के इस प्रयास ने ही "स्वयंसहायता समूह" की अवधारणा को जन्म दिया । राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने स्वयंसहायता समूह को इस प्रकार परिभाषित किया है– "स्वयंसहायता समूह गरीब व्यक्तियों के छोटे–छोटे समूह होते हैं। ये व्यक्ति सामान्यतया एक जैसी परिस्थितियों में रहने वाले होते हैं। ये समूह अपने सदस्यों को छोटी–छोटी बचत के लिए प्रेरित करते हैं । इस बचत की राशि में से सदस्यों को छोटे–छोटे ऋण प्रदान किए जाते हैं। शेष राशि स्वयंसहायता समूह के नाम से खाता खोलकर बैंक में जमा की जाती है।"

उत्तर प्रदेश का वाराणसी जनपद जिसका काशी नाम से गौरवमयी इतिहास रहा है, में कुल 8 विकासखण्ड तथा 702 ग्राम पंचायतें हैं। जनपद का कुल क्षेत्रफल 1,535 वर्ग किमी0 तथा जनसंख्या 31,38,671 है । जनपद का बड़गांव विकास खण्ड शहर से 30 किमी. दूर पश्चिमी सीमा पर स्थित है। शहर से दूर होने के कारण इस विकास खण्ड का विकास कार्य प्रभावित रहा है । बड़गांव विकास खण्ड का क्षेत्रफल 174.33 वर्ग किमी. तथा यहां की कुल जनसंख्या 1,95,972 है जिसमें पुरुषों की संख्या 98,758 तथा महिलाओं की संख्या 97,214 है। इस विकास खण्ड में 13 न्याय पंचायतें तथा 78 ग्राम पंचायतें हैं। इस विकास खण्ड में अनुसूचित जाति/जनजाति की कुल जनसंख्या 33,177 है। पुरुष साक्षरता दर 80.87 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता 47.04 प्रतिशत है। चूंकि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में साक्षरता दर काफी कम है इसी कारण विकास खण्ड में महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं है। विकास खण्ड में कुल 22,543 कृषक तथा 4,477 कृषि श्रमिक हैं।

क्षेत्र के आर्थिक विकास एवं वित्तीय प्रबन्ध हेतु राष्ट्रीयकृत एवं ग्रामीण बैंकों की शाखाएं उपलब्ध हैं लेकिन क्षेत्र के निर्धन एवं गरीब

किसान निर्धनता के दुष्चक्र से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बैंकों द्वारा समय से एवं सरलतापूर्वक पर्याप्त ऋण न मिलने के कारण श्रमिकों एवं किसानों को अपने आकस्मिक कार्यों एवं कृषि हेतु साहूकारों एवं महाजनों पर निर्भर रहना पड़ता है। ये साहूकार इन निर्धन कृषकों की आय का एक बड़ा भाग ब्याज के रूप में वसूलते हैं। अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़े वर्ग में महिलाओं की स्थिति और भी शोचनीय है। उनके पास आय सृजन का कोई विशेष जरिया नहीं है। घर का कार्य एवं मजदूरी ही उनका पेशा है। चूंकि कृषि में रोजगार कुछ विशेष महीनों में ही मिलता है तथा शेष समय उनका बेकार चला जाता है। यही कारण है कि क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति में विशेष सुधार नहीं हो पा रहा हैं।

केन्द्र सरकार द्वारा ग्रामीण विकास हेतु चलायी गई स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना बड़ागांव विकास खण्ड के निर्धन कृषकों एवं महिलाओं हेतु एक क्रान्तिकारी योजना साबित हुई है। इस योजना के अन्तर्गत निर्मित स्वयं सहायता समूह जोकि संगठन की शक्ति पर आधारित हैं, इन निर्धनों को संगठित कर विकास हेतु तत्परता लाने में मील का पत्थर साबित हुए हैं। निर्धन वर्ग ने समूह के माध्यम से संगठित होकर अपना स्वयं का विकास करने में तथा विभिन्न प्रकार के व्यवसाय अपनाकर अपने परिवार का जीवन–स्तर सुधारने में सफलता प्राप्त की है। स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड बड़ागांव में कुल 610 स्वयंसहायता समूहों का गठन हो चुका है, जिसमें कुल 597 समूह सक्रिय हैं तथा कुल 13 समूह निष्क्रिय हैं। कुल सक्रिय समूहों में प्रथम ग्रेड पास समूहों की संख्या 374 है। कुल 180 समूह द्वितीय ग्रेड उत्तीर्ण कर चुके हैं। मार्च 2010 तक कुल 149 समूहों को ऋण वितरित किया जा चुका है। स्पष्ट है योजना के अन्तर्गत निर्धन वर्ग समूहों के माध्यम से संगठित होकर स्वयं के विकास हेतु सक्रिय हैं ।

इन ऋण वितरित 149 समूहों में से 33 समूहों का ऋण वितरण वर्ष 2009–10 में किया गया जो कुल ऋण वितरित समूहों का 22.14 प्रतिशत है। इन 33 ऋण वितरित समूहों में कुल 398 स्वरोजगारी लाभान्वित हुए हैं जबकि 6 स्वरोजगारी व्यक्तिगत रूप में अपना व्यवसाय करके लाभ प्राप्त कर रहे हैं । इन 398 स्वरोजगारियों को कुल 112.80 लाख रु. धनराशि वितरित की गयी जिसमें 39.45 लाख रु. अनुदान तथा 73.35 लाख रु. ऋण के रूप में दिए गए । ये स्वरोजगारी विभिन्न व्यवसायों जैसे डेयरी, मोती–माला, नमकीन–पापड़, काठ–कालीन, सिलाई–कढ़ाई, फूल की खेती आदि को अपनाकर आय अर्जन कर रहे हैं। इसी प्रकार कुल 6 व्यक्तिगत स्वरोजगारी, जिनको कुल 3.10 लाख रु. धनराशि वितरित की गई तथा जिसमें 0.50 लाख रु. अनुदान राशि एवं 2.60 लाख रु. ऋण के रुप में दिया गया, विभिन्न व्यवसाओं जैसे – मुर्गी पालन, सुअर पालन, बिल्डिंग मैटेरियल आदि को अपनाकर अपना और अपने परिवार का भरण–पोषण कर रहे हैं। इस प्रकार वर्ष 2009–10 में कुल 404 स्वरोजगारियों को 115.90 लाख रु. की धनराशि प्रदान की गई।

वर्ष 2009–10 में लाभान्वित हुए 398 स्वरोजगारियों का महिला एवं पुरुषों में जाति एवं वर्गवार विश्लेषण से स्पष्ट है कि सामान्य वर्ग के स्वरोजगारियों की संख्या 5 है जो कुल स्वरोजगारियों का 1.2 प्रतिशत है। इसी प्रकार पिछड़ी जाति के स्वरोजगारियों की संख्या 130 तथा इनका प्रतिशत 32.66 है। अनुसूचित जाति के स्वरोजगारियों की कुल संख्या 203 है तो कुल स्वरोजगारियों का 51 प्रतिशत अल्पसंख्यक, स्वरोजगारी 15.07 प्रतिशत तथा विकलांग स्वरोजगारी 2 प्रतिशत हैं। इन कुल स्वरोजगारियों में पुरुष स्वरोजगारियों की संख्या 178 है जो कुल स्वरोजगारियों का 44.72 प्रतिशत है जबकि महिलाओं की कुल संख्या 120 है जो कुल स्वरोजगारियों का 55.28 प्रतिशत है।

विकास खण्ड बड़ागांव में एस.जी.एस.वाई.के अन्तर्गत गठित समूह (अप्रैल 1999 से मार्च 2010 तक)

कुल गठित समूह	कुल गठित समूहों में		सक्रिय समूहों के सापेक्ष		
	सक्रिय समूह	निष्क्रिय समूह	प्रथम ग्रेड उत्तीर्ण	द्वितीय ग्रेड उत्तीर्ण	ऋण प्राप्त समूह
610	597	13	374	180	149

स्रोत –खण्ड विकास कार्यालय

विकास खण्ड बड़ागांव में एस.जी.एस.वाई. के अन्तर्गत वर्ष 2009–10 में समूह में ऋण वितरण का विवरण (लाख रुपये में)

समूह में ऋण वितरण					व्यक्तिगत ऋण वितरण			
समूह संख्या	स्वरोजगारी	अनुदान	ऋण	कुल धनराशि	स्वरोजगारी	अनुदान	ऋण	कुल धनराशि
33	398	39.45	73.35	112.80	6	0.50	2.60	3.10

स्रोत –खण्ड विकास कार्यालय

स्पष्ट है वर्ष 2009–10 में लाभान्वित महिला स्वरोजगारियों की संख्या पुरुषों की तुलना में अधिक है जो इस बात को स्पष्ट करता है कि समूह के माध्यम से महिलाएं स्वरोजगार सृजन में पुरुषों से ज्यादा सक्रिय हैं। चूंकि महिला स्वरोजगारी विभिन्न प्रकार के छोटे–छोटे व्यवसाय करके अपनी स्थिति परिवार और समाज में धीरे–धीरे सुदृढ़ कर रहीं हैं, अतः समय के साथ–साथ महिलाओं के सामाजिक जीवन एवं आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है, और वे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन अधिक कुशलता के साथ कर पा रही हैं।

लाभान्वित स्वरोजगारियों का वर्गवार विश्लेषण (2009–10)

–	सामान्य	पिछड़ी	अनुसूचित	अल्पसंख्यक	विकलांग	योग	योग प्रतिशत
पुरुष	–	55	93	30	8	178	44.72
महिला	5	75	110	30	–	220	55.28
योग	5	130	203	60	8	398	100
योग प्रतिशत	1.2	32.66	51.0	15.07	2.0	100	–

स्रोत –खण्ड विकास कार्यालय

समूह से जुड़ी महिलाओं तथा अन्य महिलाओं का तुलनात्मक अध्ययन करने हेतु विकास खण्ड बड़ागांव में गठित कुल महिला समूहों में से 3 समूहों का चयन दैव विधि से किया गया तथा इन तीनों समूहों के सभी सदस्यों एवं पदाधिकारियों – अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, एवं सचिव से साक्षात्कार द्वारा जानकारी प्राप्त की गयी। किरन एवं उजाला महिला स्वयंसहायता समूह अगरबत्ती का व्यवसाय करते हैं जबकि प्रभात महिला समूह नमकीन–पापड़ का व्यवसाय करते हैं। ये समूह तैयार किए गए अगरबत्ती एवं नमकीन का विक्रय स्थानीय बाजार में स्थित दुकानदारों के माध्यम से करते हैं। अपने व्यवसाय हेतु आवश्यक कच्चा माल सुविधादाता या परिवार के व्यक्तियों के सहयोग से शहर से मंगाते हैं। इस प्रकार समूह से जुड़कर ये महिलाएं अन्य महिलाओं, जो समूह से जुड़ी नहीं हैं, की तुलना में निम्न उपलब्धियां प्राप्त कर रही हैं–

रोजगार एवं आय की स्थिति

विकास खण्ड में ऐसी महिलाएं जो समूह से नहीं जुड़ी हैं, उनकी तुलना में समूह में शामिल महिलाओं की आर्थिक स्थिति कहीं बेहतर हुई है क्योंकि समूह के माध्यम से ये महिलाएं बैंकों से ऋण प्राप्त करके सामूहिक व्यवसाय द्वारा आय सृजन कर रही हैं। ऐसा करके वे अपनी और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने में पुरुषों को सहयोग प्रदान कर रही हैं। इस प्रकार परिवार में इन महिलाओं की स्थिति पहले की तुलना में अधिक अच्छी है।

शिक्षा की स्थिति

शिक्षा के स्तर में भी समूह से जुड़ी महिलाओं में ,अन्य महिलाओं की तुलना में सुधार हुआ है। समूह में शामिल होने के बाद बहुत–सी महिलाएं पढ़ना एवं लिखना सीखी हैं। प्रभात महिला स्वयंसहायता समूह की सदस्य सावित्री देवी, लीलावती एवं कान्ती देवी सभी की उम्र लगभग 40 साल होगी जो अशिक्षित थी, समूह की कोषाध्यक्ष –उर्मिला शर्मा तथा सचिव रेनू गुप्ता के प्रयासों के फलस्वरूप वे अपना नाम लिखना एवं थोड़ा–बहुत पढ़ना सीख चुकी हैं। अब ये लोग समूह के कार्यवाही रजिस्टर पर अगूंठा नहीं लगाती हैं बल्कि अपने हस्ताक्षर करती हैं। इसके लिए ये लोग रेनू गुप्ता तथा उर्मिला शर्मा को बार–बार धन्यवाद देते नहीं थकती । इसी प्रकार किरण एवं उजाला महिला समूहों की अशिक्षित महिलाएं साक्षर बनी हैं।

स्वास्थ्य की स्थिति

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी समूह से जुड़ी महिलाओं की प्रगति अन्य महिलाओं से अच्छी है। ये महिलाएं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों ,प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बड़ागांव में आयोजित गोष्ठियों, एवं अन्य कार्यक्रमों में बढ़–चढ़ कर भाग लेती हैं तथा विभिन्न प्रकार की बीमारियों की जानकारी प्राप्त कर अपने परिवार में बच्चों आदि को बीमारियों के प्रति सुरक्षित रखने के विभिन्न उपायों को अपनाती हैं जैसे – गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों का टीकाकरण कराना, आशा एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों से दी जा रही सुविधाओं का लाभ उठाना आदि।

प्रभात महिला स्वयंसहायता समूह की बैठक

साफ–सफाई एवं सामुदायिक कार्यक्रम

समूह से जुड़ी महिलाओं के घर एवं आसपास साफ–सफाई अच्छी रहती है । ये महिलाएं सामुदायिक कार्यक्रम में भाग लेती हैं। उजाला महिला समूह की अध्यक्ष कलावती देवी बताती हैं कि वे विभिन्न सामुदायिक कार्यक्रमों में अपने समूह की अन्य महिला सदस्यों को भाग लेने के लिए प्रेरित करती हैं ताकि उनको सामुदायिक गतिविधियों की जानकारी प्राप्त होती रहे। इससे उनमें सामाजिक गतिविधियों के प्रति जागरुकता आएगी और समाज में इन महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ होगी ।

परिवार में महत्व

समूह से जुड़ने के बाद इन महिलाओं की परिवार में स्थिति पहले से ज्यादा सुदृढ़ हुई है क्योंकि ये महिलाएं परिवार के पालन–पोषण, बच्चो की देखरेख एवं उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य आदि गतिविधियों में सक्रिय रुप से भूमिका अदा कर रही हैं। किरन महिला स्वयंसहायता समूह की अध्यक्ष विमला देवी अपने पुत्र लालबहादुर, जो एग्रीकल्चर के बी.एस.सी. कर रहा है, की शिक्षा का सम्पूर्ण खर्च स्वयं वहन करती हैं।

समाज में महत्व

समूह की महिलाओं को अन्य महिलाओं के अपेक्षा समाज में अधिक महत्व दिया जाता है क्योंकि ये महिलाएं विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं जबकि अन्य महिलाओं में जनजागरुकता की कमी के कारण सामाजिक दायित्वों का निर्वहन कुशलतापूर्वक नहीं कर पातीं ।

पर्यटन एवं अन्य गतिविधियां

जिला एवं राज्य स्तर पर आयोजित होने वाली स्वयंसहायता समूहों की प्रदर्शनियों एवं मेलों के विषय में विमला देवी बताती हैं कि वे दिल्ली, जयपुर, आगरा आदि स्थानों पर आयोजित समूह की प्रदर्शनियों में शामिल हुई हैं तथा अपने समूह द्वारा तैयार अगरबत्ती की प्रदर्शनी भी लगाई हैं। इन प्रदर्शनियों के प्रमाणपत्र भी मिले हैं। इस प्रकार समूहों के माध्यम से इन महिलाओं में देश के अन्य राज्यों एवं पर्यटन स्थलों का भ्रमण करने का अवसर प्राप्त हुआ तथा साथ ही अन्य राज्यों से आए स्वयं सहायता समूह के सदस्यों से मिलने एवं उनके द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को देखने एवं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने का सुनहरा अवसर मिला है।

अंत में यह कहा जा सकता है कि स्वयंसहायता समूह महिला सशक्तिकरण एवं गांवों से गरीबी दूर करने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं समीचीन प्रयास है परन्तु इसकी सफलता के लिए यह आवश्यक है कि स्वयंसेवी संगठनों, सुविधादाताओं, ग्राम पंचायतों, बैंकों एवं सरकार द्वारा पूर्ण ईमानदारी एवं निष्ठा से अपने कर्त्तव्यों तथा दायित्वों का निर्वहन किया जाए।

(लेखक श्री बलदेव स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़ागांव, वाराणसी के अर्थशास्त्र विभाग में शोध छात्र हैं)

ई–मेल : singhpradeep4678@gmail.com

कारपोरेट ग्लैमर से गांव की सरपंच तक

संगीता यादव

राजधानी से करीब 80 किलोमीटर दूर टोंक जिले में स्थित ग्राम पंचायत सोडा नई इबारत लिख रहा है। यहां की सरपंच छवि राजावत की छवि को देखते हुए दूसरे गांवों में भी परिवर्तन की लहर चल पड़ी है। सरपंच छवि राजावत न सिर्फ हाइटेक ख्यालों वाली हैं बल्कि देश के हर गांव को हाइटेक बनाने का सपना देख रही हैं। वह गांव की विभिन्न समस्याओं के साथ ही महिलाओं की स्थिति को भी लेकर गंभीर हैं। वह कहती हैं कि परिवर्तन का दौर शुरू हो गया है।

महिला सशक्तिकरण प्रयासों के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित छवि राजावत महिला सरपंचों की अब तक मौजूद छवि से कुछ अलग ही इत्तेफाक रखती हैं। वह न सिर्फ सारे फैसले खुद लेती हैं बल्कि अपने साथ मौजूद अन्य वार्डपंचों को भी स्टांप पैड से ऊपर उठने के लिए प्रेरित कर रही हैं। उनकी पहल का असर इलाके में दिखने लगा है।

राजधानी से करीब 80 किलोमीटर दूर टोंक जिले में स्थित ग्राम पंचायत सोडा नई इबारत लिखा रहा है। यहां की सरपंच छवि राजावत की छवि को देखते हुए दूसरे गांवों में भी परिवर्तन की लहर चल पड़ी है। वह गांव की विभिन्न समस्याओं के साथ ही महिलाओं की स्थिति को भी लेकर गंभीर हैं। वह कहती है कि परिवर्तन का दौर शुरू हो गया है। महिलाएं सशक्त हो रही हैं। वह टॉप–जींस पहनती हैं और फर्राटेदार अंग्रेजी भी बोलती हैं। लेकिन कभी समस्या नहीं हुई। उच्च शिक्षित छवि ने एमबीए करने के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया और एयरटेल जैसी कंपनियों में काम किया। बाद में अपने परिवार के ही होटल व्यवसाय में मां को मदद की। हैरानी की बात है कि यह युवा सरपंच फावड़े और पराती लेकर खुद मैदान में उतर आई हैं। उनके हौंसले गांव की महिलाओं को प्रेरित करते हैं, वे उनका साथ देने के लिए घर से निकल श्रमदान के लिए आगे आई हैं। प्रस्तुत है ग्राम पंचायत सोडा की सरपंच **छवि राजावत** से संगीता यादव की बातचीत के अंश –

प्र. आप मार्डन सरपंच हैं। फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती हैं और पारंपरिक पहनावे के बजाय जींस–टॉप पहनती हैं। ऐसी स्थिति में गांव के मजदूरों और अशिक्षित लोगों के बीच किसी तरह की बाधा महसूस नहीं होती?

उ. नहीं, मैं इस गांव की बेटी हूं। बचपन से गांव के लोगों के बीच रही हूं। भाषा के स्तर पर भी कभी समस्या नहीं होती। गांव के लोगों के बीच स्थानीय भाषा में ही बात करती हूं, लेकिन जहां अंग्रेजी में बात करने की जरूरत पड़ती है वहां पीछे नहीं हटती हूं। मसलन कई महिला सरपंचों के सामने यह समस्या है कि अफसर शिकायतों को नजरअंदाज कर देते हैं। अथवा कई बार अंग्रेजी में जवाब देते हैं जिसे सरपंच अथवा उनका सहयोगी भी नहीं समझ पाता। मेरे साथ यह एक बड़ी उपलब्धि है।

प्र. आप घुड़सवारी की शौकीन रही हैं। हार्स राइडिंग स्कूल भी है। अब सरपंच बनने के बाद कितना समय दे पाती हैं?

उ. मुझे घुड़सवारी बेहद पसंद है। मैं अपने हॉर्स राइडिंग स्कूल में बच्चों को घुड़सवारी सिखाती रही हूं लेकिन सरपंच बनने के बाद अब इन सबके लिए समय कम ही मिल पाता है।

प्र. आपकी दिनचर्या क्या रहती है?

उ. सरपंच बनने के बाद व्यस्तता बढ़ गई है। बचपन में लगता था कि जनप्रतिनिधि होना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अब लगता है कि जनप्रतिनिधि होने का मतलब है कि संबंधित इलाके के हर व्यक्ति के प्रति जिम्मेदार होना। गांव के जितने भी लोग है, मैं उन सभी के प्रति जिम्मेदार हूं। उन्हें सुविधाएं मुहैया कराना, उनकी समस्या का समाधान करना मेरी जिम्मेदारी है। गांव में होती हूं तो रोजाना सुबह सात बजे से गांववालों से मुलाकात और तालाब पर खुदाई के कामों के बीच कब समय बीत जाता है, पता ही नहीं चलता।

प्र. आज की युवा पीढ़ी का बस एक ही सपना होता है कि पढ़ाई–लिखाई के बाद किसी तरह नौकरी मिल जाए। आपने प्रबंधन की पढ़ाई के बाद एक कंपनी में नौकरी भी की। आप चाहती तो दूसरी किसी कंपनी में भी नौकरी कर सकती थी। फिर गांव की ओर कैसे लौट आई?

उ. मैं रही भले शहर में, लेकिन गांव से मेरा जुड़ाव बना रहा। मेरे परदादा और फिर दादा यहां के सरपंच रहे। उन्होंने गांव में बहुत काम किया। फिर भी कुछ ऐसी समस्याएं थीं, जिसे मैं दूर करना चाहती हूं। इस बार महिला सीट होने की वजह से गांव वाले पीछे पड़ गए। उनका विशेष आग्रह था कि मैं सरपंच बनूं। मैंने सरपंच के लिए पर्चा भरा। गांववालों ने भारी मतों से अपना सरपंच चुना है। अब मेरा फर्ज बनता है कि उनकी तकलीफों को समझूं और दूर करूं। मुझे अपने आप पर भरोसा है। निश्चित रूप से मैं गांव की समस्याओं का निस्तारण करने में सफल होऊंगी। मेरी मैनेजमेंट की पढ़ाई यहां मेरा सहयोग कर रही है। विभिन्न शहरों में रहते हुए मैंने जो कुछ भी सीखा और पढ़ा है, उसे गांव के विकास में प्रयोग करने की कोशिश कर रही हूं।

प्र. आपका ज्यादा वक्त शहरों में बीता। फिर ऐसे में आप गांव में अपने आप को कैसे एडजेस्ट कर पाती हैं?

उ. मैं शहर में रही जरूर, लेकिन अक्सर गांव आना–जाना रहता था। मैं खुद को गांव से जोड़कर देखती हूं, इसलिए शहर की आदतें मुझे परेशान नहीं करती। जब हम लोग चित्तूर रहे, वहां भी गांव जैसा ही माहौल रहा। घर का सारा काम मैं खुद करती रही हूं। मुझे अपना काम करने में कभी किसी तरह का संकोच नहीं हुआ। सच तो यह है कि मैंने चित्तूर से ही आत्मनिर्भर बनने का पहला पाठ सीखा। आज भी यदि मुझे टॉयलेट साफ करने को कहे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी।

प्र. आपकी प्राथमिकता क्या हैं?

उ. पानी मेरी प्राथमिकता में है। पहले पीने के लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था हो, फिर सिंचाई के लिए। क्योंकि पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। मानव सभ्यता विकास का इतिहास ही पानी पर आधारित है। जहां पानी की व्यवस्था होगी, वहां खुशहाली आएगी। इसीलिए मेरी प्राथमिकता में हर व्यक्ति को शुद्ध एवं व्यवस्थित पेयजल है। इस दिशा में प्रयास कर रही हूं। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य सहित हर उस सुविधा को गांव तक पहुंचाने की कोशिश है, जो शहरी जनजीवन को मिल रहा है। क्योंकि जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक विकास की बात बेमानी होगी। शिक्षा के साथ ही लोगों के स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अभी भी ग्रामीण इलाके में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं।

प्र. आपके गांव की मूल समस्या क्या है?

उ. मैं पहले ही बता चुकी हूं कि पानी मेरी प्राथमिकता है और

मेरे गांव में यह समस्या बनी हुई है, जिसे दूर करने की कोशिश चल रही है। गांव में पीने के पानी के लिए बना एक तालाब और करीब दस नालियां हैं लेकिन देखरेख के अभाव में ये दम तोड़ चुके हैं। हालत यह है कि तालाब के आसपास के मीठे पानी के कुएं भी अब सूख चुके हैं। मजबूरी में लोगों को फ्लोराइड वाला और खारा पानी पीना पड़ रहा है। सीमित संसाधन और आर्थिक समस्याएं सामने हैं। इन सभी समस्याओं को दूर करने की कोशिश में जुटी हूं। गांव के रीते पड़े तालाब को लेकर ज्यादा चिंता है। क्योंकि मैं चाहती हूं कि मानसून से पहले उसकी खुदाई पूरी करा ली जाए ताकि बारिश का पानी सहेजा जा सके। करीब डेढ़ सौ बीघा में फैला तालाब मिट्टी भरने की वजह से समतल हो चुका है। इसकी खुदाई होने और पानी भर जाने के बाद एक बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा।

प्र. आमतौर पर देखा जाता है कि महिलाएं जनप्रतिनिधि तो बन जाती हैं लेकिन उन्हें फैसले लेने का अधिकार नहीं मिल पाता। अक्सर यह सवाल उठता रहता है कि फैसले महिला प्रतिनिधि के परिवार के पुरुष सदस्य ही लेते हैं। आपका क्या ख्याल है?

उ. बदलाव की बयार हर जगह चल रही है। इस क्षेत्र में भी बदलाव हुआ है। पहले की अपेक्षा महिला जनप्रतिनिधियों की स्थिति में बदलाव हुआ है। अब महिलाएं अपने फैसले खुद लेने लगी हैं। अशिक्षित महिला जनप्रतिनिधियों की मजबूरी का फायदा उनके परिवार के पुरुष सदस्य उठाते रहे हैं, लेकिन जैसे–जैसे शिक्षा का विकास होगा, यह समस्या भी दूर होती जाएगी। अब हमारी जैसी तमाम सरपंच हैं, जो फैसले अपनी मर्जी से करती हैं।

प्र. आप गांव की सरपंच हैं। पढ़ी–लिखी हैं, लेकिन आपके साथ कुछ ऐसी भी महिलाएं होंगी, जो पढ़ी–लिखी नहीं हैं, तो क्या ऐसी स्थिति में आपके सामने भी यह बात आई कि महिला के स्थान पर परिवार के किसी पुरुष सदस्य ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की?

उ. निश्चित रूप से आई। आपको जानकर हैरानी होगी कि पहली बार जब वार्डपंचों की मीटिंग हुई तो सातों महिला वार्ड पंचों की जगह उनके पति आ गए। मैंने पूछा तो कहने लगे–हम हैं ना। मैं हैरान हुई फिर उन्हें समझाया कि यहां आपकी नहीं उनकी जरूरत है, जाइए उन्हें भेजिए।

प्र. तो क्या इन लोगों ने आपकी इस पहल का विरोध नहीं किया? वार्डपंचों ने आपके इस प्रयास को किस रूप में लिया?

उ. महिला वार्डपंच को खुश हो गई। क्योंकि उन्हें उनका अधिकार मिला। जहां तक विरोध की बात है तो विरोध हो, इससे पहले हमने उन्हें समझाने की कोशिश की और विश्वास दिलाया कि इस बात की कभी चिंता न करें कि जो वार्डपंच पढ़ी–लिखी नहीं हैं, उनके साथ किसी तरह का धोखा होगा और सरपंच की मनमर्जी होगी। लोग समझ गए। उनका विश्वास जम गया। हां, यह जरूर होता था कि कई बार मीटिंग में देर हो जाने पर उनमें से कई के पति फोन करते थे कि बाईसा मेरी लुगाई को भेजो, खाना बनाना है देर हो रही है।

प्र. अब क्या स्थिति है?

उ. समय के साथ सब कुछ बदल रहा है। करीब तीन माह में लोगों का मुझ पर विश्वास बढ़ा है। उन्हें भरोसा है कि जिस उम्मीद के साथ लोगों ने गांव की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, उसे मैं पूरा करूंगी। कुछ वार्डपंच के पति तो अब यह कहने लगे हैं कि घर की चिंता मत करना, मैं संभाल लूंगा। यह बात साबित करती है कि गांव की स्थिति और सोच में बदलाव आ रहा है।

प्र. आप अपनी कामयाबी का श्रेय किसे देती हैं?

उ. समाजसेवा मेरे खून में है। मेरे परिवार के लोगों की हमेशा कोशिश रही कि दूसरों का सहयोग करते रहे। क्योंकि अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन जो दूसरों के काम आए वही बेहतर इंसान हैं। दादा ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह मेरे प्रेरणास्रोत रहे। मैं जो कुछ भी हूं सभी के प्यार और आर्शीवाद की वजह से। जहां तक सरपंच चुने जाने का सवाल है, इसका श्रेय पूरे गांव की जनता को जाता है। क्योंकि गांव की जनता न चाहती तो मैं कभी सरपंच न बन पाती। लोगों ने मुझे अपना प्रतिनिधि माना है, अब मेरी बारी है। मैं भी अपनी तरफ से लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश कर रही हूं। गांवों की सूरत बदलनी चाहिए। जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं हो सकता है। अभी भी गांव में करने के लिए बहुत कुछ है।

प्र. आपका सपना क्या है?

उ. हर व्यक्ति को रोजगार मिले। हर व्यक्ति स्वस्थ एवं प्रसन्न रहे। इस दिशा में अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूं। उम्मीद है कि पांच साल में ही हम सपने को हकीकत में बदल देंगे। लोगों को बेहतर स्वास्थ्य मुहैया कराने की कोशिश चल रही है। इसमें महिलाओं के स्वास्थ्य की कुछ ज्यादा ही फिक्र है, क्योंकि सुविधा न होने के कारण महिलाएं अपनी बीमारी को छुपाएं रखती हैं और कई बार अभाव के कारण भी इलाज नहीं करा पाती हैं। ऐसे में मामूली रोग जानलेवा बन जाता है। हमारी कोशिश है कि गांव में हर माह कम से कम एक स्वास्थ्य कैंप जरूर हो। इससे लोगों को काफी लाभ मिलेगा।

प्र. महिला सशक्तिकरण का सपना कैसे पूरा होगा?

उ. महिलाओं को उच्च शिक्षा दिलाने के साथ ही उन्हे रोजगार भी उपलब्ध कराया जाए। हमारे देश में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। आमतौर पर लोग सरकारी नौकरी को ही तवज्जो देते हैं, लेकिन महिलाओं को इससे कुछ अलग सोचना होगा। वे उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे दौड़ने के बजाय कुछ ऐसा करें जो मिसाल बन सके। हमारे देश में स्वयंसहायता समूहों को विशेष तवज्जो मिल रहा है। समूह बनाकर अपना कारोबार शुरू किया जा सकता है। तमाम लोगों ने समूह के जरिए नई इबारत लिखी है। वे हमारे लिए उदाहरण हैं। हमें सीख लेनी चाहिए और ग्रुप के जरिए अपना रोजगार शुरू करना चाहिए।

(लेखिका स्वतंत्र पत्रकार हैं।)

ई–मेल : sangeetayadavshivam@gmail.com

पंचायती राज और महिला सशक्तिकरण

आनन्द सिंह कोडान बिमल एवं नरेन्द्र सिंह

जब भारत की लोकतांत्रिक उपलब्धियों को गिना जाएगा तो पंचायती राज एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी और जब पंचायती राज की सफलता को मापा जाएगा तब महिला आरक्षण तथा इसकी सफलता महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। पंचायती राज के माध्यम से महिला नेतृत्व की सफलता के बारे में संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी यू.एन.पी.ए. ने अपनी ताजा रिपोर्ट में भारत की पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं में उपजी राजनैतिक चेतना की सराहना की है और कहा है कि सभी राज्यों में पंचायतों के माध्यम से महिलाएं नए उत्साह और स्फूर्ति के साथ विकास में योगदान दे रही हैं।

गांधी जी मानते थे कि सच्चा लोकतंत्र वही है जो निचले स्तर पर लोगों की भागीदारी पर आधारित हो। यह तभी सम्भव है जब गांव में रहने वाले आम आदमियों को भी शासन के बारे में फैसला करने का अधिकार मिले। गांधी जी ने अपनी मृत्यु से करीब दो सप्ताह पहले अपने पत्र 'हरिजन' में लिखा था – 'सच्चे लोकतंत्र का परिपालन केन्द्र में बैठे 20 व्यक्तियों द्वारा नहीं हो सकता। इसका क्रियान्वयन हर गांव के लोगों के द्वारा ही होना चाहिए। इसे हम अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि गांधी जी स्थानीय स्वशासन पर बल देते थे।

स्थानीय स्वशासन के महत्व को हमारे राजनेता भी भली–भांति जानते थे। इसलिए उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 40 में इस बात का प्रावधान किया कि 'राज्य सरकारें ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए प्रयास करेंगी तथा उन्हें ऐसी शक्तियों एवं अधिकारों से सम्पन्न करने के लिए प्रयास करेंगी जिससे वे स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम हो सकें।'

स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देने के लिए मेरी नजर में पंचायती मॉडल से अच्छा मॉडल हो ही नहीं सकता था। इसके पीछे दो कारण हैं – पहला, पंचायतें आदिकाल से हमारे शासन का एक अभिन्न अंग रही हैं तथा दूसरा कारण इसकी स्वीकार्यता की सम्भावना भी अधिक थी क्योंकि इस व्यवस्था के द्वारा शासन के प्रति विश्वास एवं सम्मान का भाव हमारे देश में सदियों से रहा है।

प्रो. रजनी कोठारी के अनुसार, 'राष्ट्रीय नेतृत्व का एक दूरदर्शितापूर्ण कार्य था 'पंचायती राज की स्थापना'। इससे भारतीय राज व्यवस्था का विकेन्द्रीयकरण हो रहा है

और देश में एक–सी स्थानीय संस्था के निर्माण से उसकी एकता भी बढ़ रही है।'

स्थानीय स्वशासन को शुरू करने का श्रेय पं. जवाहरलाल नेहरू को जाता है। पं. नेहरू का कहना था कि 'गांवों के लोगों को अधिकार दो। उनको काम करने दो, चाहें वे हजारों गलतियां करें। इससे घबराने की जरूरत नहीं, पंचायतों को अधिकार दो।'

2 अक्तूबर, 1952 को ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया। इसके सुचारू रूप से क्रियान्वयन के लिए सारे देश में सामुदायिक विकास खंड बनाए गए तथा प्रत्येक खंड में 100 गांवों को रखा गया। इस कार्यक्रम में निम्न कार्यों को शामिल किया गया था –

- अच्छे बीज, खेती करने के लिए नए औजारों, अच्छी नस्ल के पशुओं तथा खाद इत्यादि उपलब्ध कराना।
- सिंचाई के साधनों का विकास।
- गांव में फल, सब्जी उगाने और नए पेड़ लगाने का प्रबंध करना ताकि मिट्टी की क्षमता बनाए रखी जा सके और वातावरण को स्वच्छ रखा जा सके।
- गांवों में बच्चों और प्रौढ़ों की शिक्षा का प्रबन्ध करना तथा पुस्तकालय और वाचनालय की व्यवस्था करना।
- स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान करना।
- कृषि के आधुनिक तरीकों की जानकारी उपलब्ध करवाना तथा गांव के विकास से सम्बन्धित 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम को लागू करना। इस कार्यक्रम के लक्ष्य स्पष्ट तथा बहुत अच्छे थे लेकिन फिर भी इस कार्यक्रम में उतनी सफलता नहीं मिल सकी जितनी आशा की गई थी। इस कार्यक्रम की कमियों को खोजने तथा सुझाव देने के लिए 1957 में बलवन्त राय मेहता समिति का गठन किया गया। समिति ने रिपोर्ट में जिस कमी का खुलासा किया, वह थी 'जन–सहभागिता का अभाव'। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि स्थानीय निकायों के नेताओं को अधिक अधिकार दिए जाने चाहिए। समिति ने कहा कि लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण और सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए त्रि–स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को तुरन्त लागू किया जाना चाहिए।

ग्राम स्तर पर पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर परिषद। समिति ने यह भी कहा कि इसमें परस्पर सहयोग और समन्वय का भाव होना चाहिए।

एक अमरीकी लेखक रेनहार्ड बेंडिक्स ने भी बलवन्त राय मेहता समिति द्वारा पाई गई कमी को ही इंगित किया है कि 'सामुदायिक विकास की सबसे बड़ी कमजोरी उसका सरकारी स्वरूप और नेताओं की लफ्फाजी थी। एक तरफ इस कार्यक्रम के सूत्रधार जनता से आगे आने की आशा करते थे तथा दूसरी ओर उनका विश्वास था कि सरकारी कार्यवाही से ही नतीजा निकल सकता है। कार्यक्रम जनता को चलाना था, लेकिन वे बनाए ऊपर से जाते थे।'

बलवन्त राय मेहता समिति के सुझावों को स्वीकार करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्तूबर, 1959 को नागौर (राजस्थान) में पंचायती राज संस्थाओं के नए युग का सूत्रपात किया। नेहरू जी ने इस व्यवस्था को नए भारत के निर्माण में क्रांतिकारी और ऐतिहासिक महत्व का युगांतकारी कदम बताया जोकि वास्तव में सच है। इसके बाद पंचायती राज व्यवस्था अनेक राज्यों में लागू की गई। लेकिन फिर भी इसमें एकरूपता नहीं आ सकी क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था राज्यों का विषय है। इसलिए राज्यों ने अपने–अपने हिसाब से उसे अपनाया।

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने लोकसभा में एक पंचायत बिल 1989 में पेश किया जिसके परिणामस्वरूप 64वां संविधान संशोधन हुआ और पंचायती राज संस्थाओं को अधिक शक्तिशाली और स्वायत्त बनाने की बात इसमें कही गई। परन्तु बिल पास न होने के कारण उनका प्रयास असफल रहा। कांग्रेस 1991 में पुनः सत्ता में आई तथा राजीव गांधी की नीतियों का पालन करते हुए नाथूराम मिर्धा की अध्यक्षता में 1991 में एक समिति गठित की। समिति ने अपनी रिपोर्ट जुलाई 1992 में संसद को भेजी। समिति द्वारा बनाया गया प्रतिवेदन लोकसभा में 73वें संविधान संशोधन के रूप में 22 दिसम्बर, 1992 को तथा राज्यसभा में 23 दिसम्बर को एकमत से पारित हो गया। विधेयक को 17 राज्यों का समर्थन मिलने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा गया। राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी के बाद 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 से देश में लागू हो गया।

73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज संस्थाओं का स्वरूप और कार्यप्रणाली ही नहीं बदली बल्कि उनकी संरचना और कार्यकुशलता में क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया। स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने पंचायती राज कानून में कई नए और साहसिक प्रावधान जोड़कर पंचायती संस्थाओं को अधिकार सम्पन्न और सक्रिय बनाया। यहां पर यह कहना गलत न होगा कि 1993 में इस कानून के लागू हो जाने के बाद देश में सत्ता के विकेन्द्रीकरण की दिशा में नए युग का सूत्रपात हुआ। नए पंचायती राज अधिनियम में कई प्रमुख सुधार हुए जिनमें पांच वर्ष के बाद निश्चित एवं नियमित प्रत्यक्ष चुनाव, चुनाव करवाने तथा मतदाता सूचियां बनाने के लिए स्वतंत्र चुनाव आयोग तथा सबसे महत्वपूर्ण सुधार अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुरूप सीटों का आरक्षण तथा कुल सीटों की एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करना महत्वपूर्ण है।

पंचायती राज व्यवस्था में नवीनतम विकास

वर्तमान संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने अपने पूर्व कार्यकाल में पंचायती राज मंत्रालय की स्थापना करके एक

ऐतिहासिक कदम उठाया। पहले किसी भी सरकार ने पंचायती राज मंत्रालय के गठन की बात नहीं की थी। पहले यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के एक भाग के अधीन काम करता था जिस कारण पंचायतों के कार्यक्रमों एवं योजनाओं में देरी होती थी। अब न केवल स्वतंत्र पंचायती राज मंत्रालय बनाया गया है बल्कि पंचायतों को 29 विषय, वित्तीय अधिकारों में वृद्धि तथा सीधे अनुदान की व्यवस्था महत्वपूर्ण कदम है।

महिला नेतृत्व की आवश्यकता क्यों?

महिलाएं पूरे विकास का केन्द्र बिन्दु हैं। प्रगति की दिशा में किसी भी सतत् परिवर्तन के लिए महिलाओं की भागीदारी अति आवश्यक है। आज का युग सूचना क्रान्ति का युग है जिस कारण विश्व आज एक छोटे–से गांव जैसा प्रतीत होता है। महिलाएं आज हवाई जहाज उड़ाती हैं, कम्पनियां चलाती हैं, कालेजों में प्राचार्य हैं, वैज्ञानिक हैं। इतना होने के बावजूद भी महिलाओं के साथ आज भी भेदभाव किया जाता है। उन्हें आज भी पुरुषों के मुकाबले कमजोर समझा जाता है। उदाहरण स्वरूप स्त्री और पुरुषों में साक्षरता की दर कई गुना बढ़ी है जो हमारी एक उपलब्धि है लेकिन इसके साथ–साथ यह भी सच है कि महिला एवं पुरुष में साक्षरता दर का अन्तर 1951 में जहां 18.30 प्रतिशत था, वह अब बढ़कर 21.70 हो गया है। इससे पता चलता है कि आज भी हमारा समाज पुरुष–प्रधान समाज है। इसी तरह लैंगिक अनुपात 1901 में 972 था और अब वह घटकर 2001 में 829 हो गया है। केवल ये दो कारण ही महिलाओं की कम भागीदारी के लिए जिम्मेदार नहीं हैं बल्कि ऐसे अनेक कारण हैं। कन्या भ्रूण हत्या, पुरुष प्रधान समाज, बालिकाओं के प्रति उपेक्षा, आदि अन्य कारक हैं जो बताते हैं कि अब समय महिला नेतृत्व का है। यहां यह कहना गलत न होगा कि पंचायती राज में महिलाओं की एक तिहाई भागीदारी महिला नेतृत्व के विकास में एक क्रान्तिकारी कदम है। कई राज्यों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।

तालिका–1 सन् 2000 और 2004 के पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में महिला सदस्यों की संख्या तथा उनके प्रतिशत को

तालिका 1 : सन् 2000 एवं 2004 के चुनावों में महिलाओं की भागीदारी

स्तर	सन् 2000		सन् 2004	
	कुल सीटें	महिलाएं	कुल सीटें	महिलाएं
ग्राम पंचायत	2455036 (100)	772677 (31.47)	2065882 (100)	838245 (40.57)
पंचायत समिति	130309 (100)	38412 (29.47)	109324 (100)	47455 (42.04)
जिला परिषद्	12838 (100)	4088 (31.84)	11708 (100)	4923 (42.04)

दर्शाती है। सन् 2000 के चुनावों में तीनों स्तरों में महिलाओं का प्रतिशत क्रमशः 31.47, 29.47 तथा 31.84 था। वह 2004 के चुनावों में बढ़कर क्रमशः 40.57, 43.40 तथा 42.04 हो गया। इस तालिका से स्पष्ट होता है कि महिला नेतृत्व को अब ज्यादा आसानी से स्वीकार किया जाने लगा है। यह इस बात का भी प्रमाण है कि 73वें संविधान संशोधन संशोधन अधिनियम में महिलाओं को दिए गए आरक्षण का सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

तालिका 2 : कुछ राज्यों की ग्राम पंचायतों में महिला अध्यक्षों का प्रतिशत

क्र.सं.	राज्य का नाम	आरक्षण प्रतिशत	महिला पंचों की संख्या	वास्तविक प्रतिशत
1.	आंध्र प्रदेश	33	74019	33.04
2.	असम	33	8714	50.38
3.	छतीसगढ़	33	42914	33.75
4.	गुजरात	33	42653	49.30
5.	केरल	33	5535	57.24
6.	कर्नाटक	33	37676	43.63
7.	तमिलनाडु	33	28124	36.73
8.	उत्तराखण्ड	33	192993	37.85
9.	पश्चिमी बंगाल	33	20509	35.15
10.	हरियाणा	33	24727	36.60

स्रोत : पंचायती राज मंत्रालय एवं चुनाव आयोग

तालिका–2 में कुछ राज्यों की ग्राम पंचायतों में महिला अध्यक्षों का प्रतिशत दिखाया गया है। जिसके देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि दर्शाए गए सभी राज्यों में महिला अध्यक्षों का प्रतिशत 33 प्रतिशत से अधिक है। यह प्रतिशत कुछ राज्यों में 50 प्रतिशत से भी अधिक है। जिससे हमें पता चलता है कि महिलाओं ने अपने नेतृत्व का लोहा मनवाया है। क्योंकि 33 प्रतिशत से ज्यादा नेतृत्व इस बात का परिचायक है कि महिलाओं में अब राजनैतिक चेतना जागी है तथा वह अब से समझने लगी हैं कि वह केवल घर की जिम्मेदारी ही नहीं संभाल सकती बल्कि बाहर की जिम्मेदारी भी संभाल सकती हैं। इस तालिका से एक बात और भी स्पष्ट हो जाती है कि अब ग्रामीण क्षेत्र में भी महिलाओं के प्रति जो परम्परागत धारणा थी वह अब धीरे–धीरे बदल रही है। अतः हम कह सकते हैं कि पंचायती राज ने महिलाओं के नेतृत्व को एक मजबूत तथा सशक्त आधार दिया है।

महिलाओं के नेतृत्व की सफलता के कुछ रोचक उदाहरण

- बिहार के कटिहार जिले में हाथ में कटोरा लिए दर–दर भीख मांगने वाली एक अनजान अनपहचानी भिखारिन हलीमा खातून ने किराडा पंचायत के चुनाव में 15 उम्मीदवारों के बहुकोणीय मुकाबले में विजयी होकर पंचायती राज इतिहास में नया अध्याय जोड़ा।
- उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में 60 प्रतिशत महिलाओं को पंच निर्वाचित कर आरक्षण–अनारक्षण के सभी रिकार्ड तोड़ कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया।
- हरियाणा के फिरोजपुर झिरका की नीमखेड़ा पंचायत में सभी पदों पर महिलाएं विराजमान हैं। इस पंचायत ने तो अब तक का तथा शायद ही भविष्य में न टूटने वाला एक नया रिकार्ड बनाया है।

महिलाओं के नेतृत्व की सफलता को केवल इन तीन उदाहरणों में नहीं समेटा जा सकता क्योंकि हमारे देश में पंचायती राज की सफलता के अनेक ऐसे उदाहरण हैं।

दिसम्बर 2006 में पंचायती राज की मध्यावधि समीक्षा में पाया गया कि पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं का कुल प्रतिनिधित्व 36.7 प्रतिशत था। बिहार 54.1 प्रतिशत के साथ पहले स्थान पर तथा गोवा 30.1 प्रतिशत स्थान के साथ सबसे अंत में है और शेष सभी राज्यों में 33 प्रतिशत या इससे ज्यादा था।

पंचायती राज के माध्यम से महिला नेतृत्व की सफलता के बारे में संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी यू.एन.पी.ए. ने अपनी ताजा रिपोर्ट में भारत की पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं में उपजी राजनैतिक चेतना की सराहना की है और आगे कहा है कि सभी राज्यों में पंचायतों के माध्यम से महिलाएं नए उत्साह और स्फूर्ति के साथ विकास में योगदान दे रही हैं। यहां पर कहना गलत नहीं होगा कि पंचायती राज के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने गांवों के परम्परागत ढांचें में उपेक्षित और वंचित वर्गों को सत्ता का भागीदार बनाने का जो सपना देखा था, वो सामाजिक दृष्टि से अत्यंत क्रांतिकारी सिद्ध हुआ है।

रिपोर्टों तथा आंकड़ों को देखते हुए हम बड़े विश्वास के साथ यह कह सकते हैं कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से लोकतांत्रिक मूल्यों, विकास के अधिकार की अवधारणा, जन–जागरुकता, पिछड़े वर्गों का उत्थान, महिला सशक्तिकरण, जनसंख्या नियन्त्रण, ग्रामीण विकास योजनाओं का क्रियान्वयन तथा प्रशासन में जनसहभागिता जैसे कारकों को बल मिला है।

(लेखक महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के वाणिज्य विभाग में शोधार्थी हैं।)
ई–मेल : anandkodan@gmail.com

आज
जरूरत इस बात की है कि
महिलाओं में स्वयं की ताकत के बारे में चेतना जागृत की
जाए जिससे केवल महिलाओं का कल्याण ही नहीं होगा बल्कि वे सामाजिक विकास की
प्रवर्तक भी बन सकेंगी। महिलाएं जब तक अपनी शक्ति, क्षमता व आत्मविश्वास को
जागृत नही करेंगी तब तक कोई बाह्य कारक उन्हें
सशक्त नहीं कर सकता।

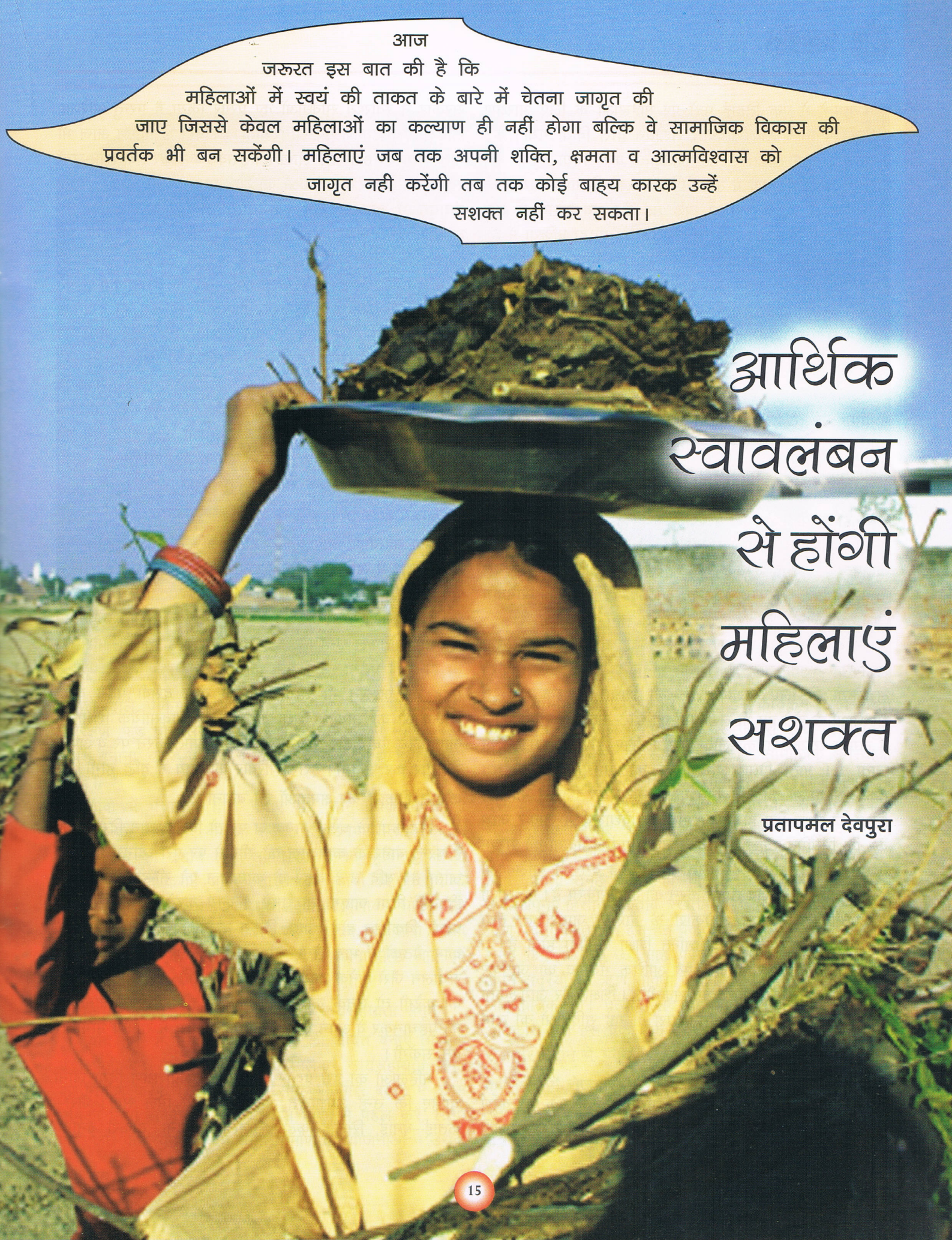

आर्थिक स्वावलंबन से होंगी महिलाएं सशक्त

प्रतापमल देवपुरा

पंचायतों में एक तिहाई पदों पर महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान 73वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। कई राज्यों मे इसे बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है। परिणामस्वरूप पूरे देश में लगभग 17 लाख महिलाएं पंचायतों के कामकाज से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ गई हैं। अब संसद में और विधानसभाओं में भी 33 प्रतिशत आरक्षण का मुद्दा प्रक्रिया में है। इसका राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव तभी दिखाई देगा जब महिलाएं अपने आपको एक सशक्त भूमिका में प्रस्तुत करेंगी। सशक्तिकरण बाहर से थोपा नहीं जा सकता, वह तो स्वयं में उत्पन्न होना आवश्यक है।

शिक्षा का प्रभावी प्रबन्ध

यदि हम चाहते हैं कि महिलाएं राष्ट्रीय विकास की धारा में भागीदार बनें तो उनका शिक्षित एवं जागरूक होना आवश्यक है। हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं का शिक्षा में पिछड़ापन सर्वविदित है। यदि वे किसी प्रकार विद्यालय में प्रवेश ले भी लेती हैं तो भी ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं हो पाती है। अब प्रत्येक पंचायत में एक माध्यमिक शाला बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है, तब क्या कारण है कि गांव की प्रत्येक लड़की आठवीं कक्षा तक भी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती है? भारत सरकार ने 6–14 वर्ष तक के बच्चों की अनिवार्य शिक्षा का कानून भी 1 अप्रैल, 2010 से लागू कर दिया है।

गांव में प्रत्येक परिवार के लिए यह जरूरी हो कि सभी लड़कियां दसवीं तक की शिक्षा अनिवार्य रूप से प्राप्त करें। लड़कियों के लिए बारहवीं तक की शिक्षा निःशुल्क है। इन सुविधाओं के होते हुए भी लड़कियों को छोटे–मोटे घरेलू कामकाज में लगाए रखकर उनको जीवन भर के लिए अशिक्षित छोड़ दिया जाता है। माता–पिता, अभिभावकों को समझा–बुझाकर, दंड देकर, सुविधाओं को प्रतिबंधित करके बाध्य करें जिससे बालिका शिक्षा का लक्ष्य पूरा हो सके। गांवों के विद्यालय में जाकर जांच करें कि नियमित स्कूल आने वाले लड़के एवं लड़कियों की संख्या में इतना अन्तर क्यों है? दलित और पिछड़े वर्ग की बालिकाओं में शिक्षा के लिए विशेष उपाय करने की आवश्यकता है। महिलाओं में आत्मविश्वास, अपने अधिकारों के बारे में जागरुकता तथा अन्याय से लड़ने की नैतिक शक्ति शिक्षा से पैदा होती है। वे अपने प्रति हो रहे सामाजिक एवं आर्थिक भेदभाव को जानकर उसका प्रतिकार करने योग्य बन सकती हैं। शिक्षा और जागरुकता के बढ़ने पर ही महिलाएं कानून द्वारा दी गई सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगी।

स्वास्थ्य के प्रति जागरुकता

महिलाओं को सबल बनाने में पंचायतों का एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है। यद्यपि सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रसार किया है परन्तु अशिक्षा, रूढ़िवादी दृष्टिकोण एवं जागरुकता की कमी के कारण आज भी मातृ–मृत्यु दर 677 प्रति लाख है। इसको कम करने के लिए उन्हें स्वयं आगे आकर इन सेवाओं का लाभ प्राप्त करना होगा। प्रत्येक पंचायत में कम से कम एक उपस्वास्थ्य केन्द्र है। वहां की व्यवस्था का जिम्मा पंचायतों पर है। पंचायतें यह देखें कि उपस्वास्थ्य केन्द्र पर महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य, बच्चों को जन्म देने, उनकी देखरेख करने आदि की समस्त सुविधाओं का विस्तार हो। बच्चों के टीकाकरण एवं उनके स्वास्थ्य की देखभाल का प्रबन्ध उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपलब्ध रहे। यदि रोगी को अस्पताल में भर्ती किया जाना है तो उसके लिए समस्त व्यवस्थाएं केन्द्र पर विकसित की जाएं। परिवार में महिला एवं बालिका के बीमार होने पर लम्बे समय तक उपचार की जरूरत क्यों नहीं समझी जाती है? टोने–टोटके एवं देवताओं की शरण लेने की प्रथाओं के कारण स्वास्थ्य संबंधित अनेक परेशानियां बनी रहती हैं। पंचायतें महिलाओं के स्वास्थ्य हेतु विशेष प्रबन्ध करें।

महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना

एक महत्वपूर्ण आवश्यकता महिलाओं की आर्थिक स्वतन्त्रता है। परिवार में अधिक श्रम महिलाओं को करना पड़ता है। परन्तु उनका श्रम पूर्णतः अवैतनिक रहता है। आवश्यकता इस बात की है कि महिलाओं के श्रम का उचित मूल्यांकन हो ताकि उनके श्रम का सही प्रतिफल उन्हें मिले। इसके लिए उन्हें शिक्षित–प्रशिक्षित तो होना ही पड़ेगा, उन्हें गांव की स्थानीय महिला प्रशिक्षकों से मदद की जरूरत भी रहेगी। आठवीं तथा दसवीं पढ़ने वाली बालिकाओं को सामान्य शिक्षा के साथ ही व्यावसायिक शिक्षा दी जाए। लघु एवं कुटीर उद्योगों में प्रशिक्षण प्राप्त करने पर वे अपना रोजगार कर सकेंगी। इससे परिवार की आय में वृद्धि होगी।

कौशल विकास कर क्षमताओं को बढ़ाना

लड़कियों के घरेलू कामकाज पर तो विशेष ध्यान दिया जाता है परन्तु बाहर के कामकाज को सीखने पर पूरा ध्यान नहीं दिया जाता है। यदि उन्हें बाहर के कामकाज को सीखने का अवसर ही नहीं दिया जाएगा तो उनमें वे कार्य करने के कौशल किस प्रकार विकसित होंगे? क्रय–विक्रय करना, बैंक व कार्यालय के काम, बैठकों में भाग लेना, समूह गठन करना, उद्योग–धन्धों का संचालन जैसे अनेक कार्य हो सकते हैं। यदि महिलाएं इन कार्यों को करेंगी तो उनके कौशल का विकास होगा। अपनी क्षमताओं को पहचानकर वे अपने एवं परिवार के विकास में सक्रिय भागीदार बन सकेंगी।

महिलाओं को इस प्रकार की दक्षता या प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए कि उन्हें अपेक्षाकृत अधिक मजदूरी मिल सके। जैसे– कताई–बुनाई, सिलाई–कढ़ाई, खिलौने बनाना, टोकरी बनाना,

मसाले–दाले पैकिंग, अचार–मुरब्बा बनाना, फल–सब्जियों का परिरक्षण, फूड प्रोसेसिंग, शर्बत–स्कवेश, जैम, जैली, सॉस, बड़ी, पापड़ बनाना, कपड़े व रेग्जीन के बैग, कागज की थैलियां बनाना आदि।

गांवों में पंचायतों द्वारा बनाए गए सामुदायिक भवनों में प्रशिक्षण की व्यवस्थाएं की जा सकती हैं। उनमें सिलाई–कढ़ाई, बुनाई आदि की मशीनें लगा सकते हैं। उन्नत कृषि एवं डेयरी की जानकारियां कराई जा सकती हैं। इन कार्यों को सिखाने के लिए स्थानीय अथवा बाहर के प्रशिक्षकों को बुलाकर थोड़े–थोड़े समय के बाद कार्य सिखाया जाए। यह क्रम तब तक जारी रखना चाहिए जब तक कि वे ठीक तरह से कार्य करना सीख जाएं एवं उसे रोजगार के रूप में अपना लें।

स्वरोजगार बढ़ाने का कारगर हथियार : स्वयंसहायता समूह

यदि हम थोड़ी–बहुत बचत करने की आदत बनाएं तो एक बड़ी पूंजी बन सकती है। महिलाएं मिलकर स्वयंसहायता समूह का निर्माण करें। ये स्वयंसहायता समूह रोजगार बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। पंचायतें इस दिशा में पहल करें, लोगों को एकत्र कर स्वयंसहायता समूह निर्माण की योजनाओं व उसके फायदे से महिलाओं को अवगत कराएं। इस कार्यक्रम से स्व–बचत की आदत का विकास होता है। गैर–जरूरी खर्चों पर अंकुश लगता है। एक–दूसरे की सहायता करने से सामाजिक समस्याओं में कमी आती है। बिना किसी पंजीकरण की औपचारिकता के दस–बीस व्यक्ति इस प्रकार के समूह गठित कर सकते हैं। कोष से आवश्यकतानुसार ऋण ले सकते हैं। अपने समूह के नियम बना सकते हैं। रोजगार के लिए धन का उपयोग कर सकते हैं। स्वयंसहायता समूह छोटे बैंकों की भांति कार्य करते हैं। सदस्य खुद अपना हिसाब–किताब रखते हैं। ऐसे समूहों को बैंक भी ऋण प्रदान करता है। इस हेतु बैंक यह देखते हैं कि स्वयंसहायता समूह कम से कम छह माह पुराने अवश्य हो। बचत राशि से अपने सदस्यों को ऋण सुविधा देने में सक्षम हो। समूह का स्वरूप लोकतांत्रिक हो। प्रत्येक सदस्य सहायता और सुविधाओं का अधिकारी हो। इस प्रकार के बचत समूह पूंजी एवं सहयोग द्वारा रोजगार बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।

कृषि क्षेत्र में रोजगार

लगातार बढ़ रही जनसंख्या और श्रम शक्ति के लिए कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। पंचायतें ऐसी योजनाएं बनाएं

जिसमें बेरोजगार परिवारों को गैर–कृषि योग्य भूमि, परती भूमि और कृषि योग्य बंजर भूमि पर रोजगार उपलब्ध कराए जा सके। उन्हें नियमानुसार एवं निश्चित समय के लिए इन भूमियों का आवंटन कर गांव की बेरोजगारी मिटाई जा सके।

पंचायत में लोगों को छोटी सिंचाई परियोजनाओं के विकास में लगाया जाना चाहिए। यदि गांवों में पानी इकट्ठा किया जाए तो खेतीबाड़ी का कार्य करना संभव हो सकेगा। मनरेगा में इन कार्यों को प्राथमिकता दी गई है। लोगों को उन्नत किस्म की फसलों, सब्जियों को उगाने की नवीन तकनीक की जानकारी कराई जानी चाहिए। समय–समय पर कृषि विशेषज्ञों को पंचायत में आमन्त्रित कर लोगों की जानकारियां बढ़ाई जानी चाहिए।

पशुपालन में रोजगार

हमारे देश में रोजगार के क्षेत्र में कृषि की प्रधानता सदियों पुरानी है। पशु सदैव ही कृषि कार्यों में सहायक रहे हैं। दूध देने वाले पशुओं विशेष रूप से गायों की उत्तम किस्म से डेयरी व्यवसाय चलाया जा सकता है। ग्रामीण परिवार की रीढ़ कही जाने वाली बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी की महत्ता आज के जेट युग में भी कम नहीं हुई है। ट्रैक्टर के इस युग में भी बैलों से हल जोतना आवश्यक है क्योंकि हमारे यहां अधिकांश क्षेत्रों में खेती की जोत छोटी है।

पशुओं का गोबर बहुत उपयोगी है। गोबर से बने उपले (कंडे) ईंधन के रूप में काम आते हैं। अंधाधुंध कटते हुए जंगल को बचाने की दिशा में सूखा गोबर ईंधन के रूप में काम आता है। आजकल गोबर गैस संयंत्र की सहायता से ग्रामीण क्षेत्रों में रोशनी तथा रसोई गैस एवं उत्तम खाद की जरूरत सर्वविदित है।

पशुपालन के परम्परागत व्यवसाय को लाभकारी बनाने की दृष्टि से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के युग में आज भी हमारे गांवों में बहुत संभावनाएं हैं। दूध, दही, मक्खन, घी, चर्म, अस्थि, ऊन तथा सींगों आदि से बने विभिन्न उत्पादों से लघु एवं कुटीर ग्रामोद्योग चलाए जा सकते हैं। पशुपालन द्वारा ग्रामीण महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सकती हैं। पंचायतें चारागाह का विकास करें। पंचायतें महिलाओं की सहकारी समितियां बनाकर पशुपालन को ग्रामीण रोजगार का आधार बना सकती हैं।

ग्रामीण लघु एवं कुटीर उद्योग

छोटे उद्योग गांवों की अर्थव्यवस्था के निर्माण का महत्वपूर्ण अंग हैं। कृषि क्षेत्र के बाद छोटे उद्योग ही रोजगार के अधिकतम अवसर उपलब्ध कराते हैं। इस क्षेत्र में स्वरोजगार की काफी अधिक संभावनाएं रहती हैं। लघु एवं कुटीर उद्योगों में स्थानीय संसाधनों तथा मानव श्रम का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित होता है। हमारे देश में कृषक लगभग आधे समय तो बेकार ही रहता है क्योंकि उसके पास न तो पर्याप्त भूमि होती है और न ही खेती–बाड़ी का पर्याप्त कार्य। ऐसे में यदि महिलाएं स्थानीय कृषि उत्पादन एवं वहां की आवश्यकताओं में तालमेल रखते हुए छोटे उद्योग लगाएं तो रोजगार भी मिलेगा एवं गांव का आर्थिक विकास भी होगा।

उद्योग लगाने का प्रशिक्षण देने के लिए पंचायतें जानकार लोगों को गांव में बुलाएं एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करें। परम्परागत उद्योगों की उत्पादकता बढ़ाने, माल की गुणवत्ता बढ़ाने, लागत कम करने, प्रौद्योगिकी का उपयोग करने से सफलता बढ़ जाती है। पूंजी निर्माण में महिलाओं के स्वयंसहायता समूह मदद कर सकते हैं। गांवों में हाट बाजार लगाकर माल बेचने का प्रबन्ध किया जा सकता है। पंचायतें इस दिशा में निरन्तर प्रयत्न करें तो महिलाओं को रोजगार उपलब्ध होगा जिससे गरीबी दूर करने में मदद मिलेगी।

वनों एवं खनन में रोजगार

जनसंख्या के बढ़ते दबाव ने चारागाहों और वनों को करीब–करीब समाप्त कर दिया है। बस्तियां बसाने, कारखानों का निर्माण तथा विस्तार एवं आवागमन के बढ़ते जाल ने वनों को नष्ट कर दिया है। यदि वन विकास पर पूरा ध्यान दिया जाए तो वनों से रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। वनों का विस्तार करने के लिए वृक्ष लगाना व उसका संरक्षण करना रोजगार का एक प्रमुख साधन बन सकता है। जहां भी संभव हो पेड़ लगाएं और वन समितियां बनाकर उनकी रखवाली की जाए। पेड़ से प्राप्त लाभ को पंचायत एवं लोगों में न्यायपूर्वक बांट दिया जाए। जंगलों से इमारती लकड़ी एवं जलाऊ लकड़ी, दवाइयां, पत्ते, गोंद, फल–फूल आदि अनेक फायदे हैं, साथ ही पर्यावरण सुरक्षा एवं वर्षा में भी मदद मिलती है। वनों से तो अनंतकाल तक रोजगार मिलता रहता है।

यदि पंचायत क्षेत्र में खनिज उपलब्ध है तो उसमें भी रोजगार की संभावनाएं हैं। पत्थर, ईंट का गारा, चूना, इमारती पत्थर आदि साधनों का उपयोग बढ़ाने में किया जा सकता है। पंचायतें इन साधनों का नियन्त्रित उपभोग करने की व्यवस्था कायम करें तो लम्बे समय तक ये साधन महिलाओं को रोजगार दे सकते हैं।

पर्यटन में रोजगार

बगैर किसी उत्पादन के रोजगार देने वाला व रोजगार प्रदान करने में सक्षम पर्यटन आज एक प्रमुख उद्योग है। क्या हमारी पंचायतें पर्यटन के इस बढ़ते महत्व को ध्यान में रखकर अपने क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं बढ़ा सकती हैं? हमारी पंचायतें यह देखें कि क्या पंचायत क्षेत्र की कला–संस्कृति, ऐतिहासिक व प्राकृतिक स्थल लोगों का मनोरंजन कर सकते हैं? गांवों की हवेलियां, बावड़ियां, मंदिर, खान–पान, रहन–सहन, तीज–त्यौहार, मेले आदि लोगों के आकर्षण का केन्द्र हो सकते हैं।

पंचायतें अपने क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाओं की तलाश कर इसके विपणन की प्रभावी कार्ययोजना तैयार करें। पंचायतें पर्यटन–स्थल पर बुनियादी सुविधाओं का विकास करें। इसमें सड़कें, यातायात व संचार के साधन, विश्राम स्थल, दैनिक जरूरत की वस्तुओं आदि की व्यवस्थाएं करनी होगी। सुरक्षा की ओर भी ध्यान देना होगा।

परम्परागत पारिवारिक रोजगार

वस्तुतः पारिवारिक रोजगार ग्रामीण अर्थव्यवस्था रूपी माला में गूंथे हुए मणियों की भांति थे जिसका स्तम्भ खेती था। इन परम्परागत धन्धों में बिखराव की वजह से आज यह माला छिन्न–भिन्न हो चुकी है। परिणामस्वरूप कृषि व्यवस्था के साथ–साथ समस्त ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था प्रभावित हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये धन्धे धीरे–धीरे मिटते जा रहे हैं। इनमें कुछ इस प्रकार का बदलाव आ रहा है कि ग्रामीण धन्धे होते हुए भी गांवों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है।

ग्रामीण परिवेश में मौजूद गरीबी व बेरोजगारी के वैसे तो अनेक कारण हो सकते हैं परन्तु इनमें से एक महत्वपूर्ण कारण गांवों के परम्परागत उद्योग–धन्धों में कमी होना है। ये धन्धे गांवों की लगभग एक चौथाई जनसंख्या का जीवनाधार थे। ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संतुलित रूप प्रदान करने में सहयोग देते थे। गांवों में उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं में पारिवारिक व्यवसाय के रूप में हजारों वर्षों से कार्य हो रहा था। इसके अनेक लाभ भी थे। इसलिए आज की नई पीढ़ी का सेवा व्यवसाय में कार्यरत रहना व्यावहारिक एवं लाभदायक है। पारिवारिक सेवा रोजगार के फायदे –

- सेवा रोजगार में अधिक पूंजी की जरूरत नहीं रहती है।
- गांव में रहकर ही आसपास की जगहों में कार्य मिल जाता है।
- सेवा कार्यों को सीखना कठिन नहीं रहता है।
- अपने परिवार के सेवा कार्य को अपनाया जा सकता है।
- पारिवारिक सेवा कार्य को सीखना सरल रहता है।
- सेवा कार्यों के साथ घर एवं खेतीबाड़ी का कार्य भी किया जा सकता है।
- सेवा कार्य पीढ़ी–दर–पीढ़ी आगे बढ़ाए जा सकते हैं।
- अपने घर से ही सेवा कार्यों को संचालित किया जा सकता है।
- दुकान एवं जमीन आदि की जरूरत नहीं रहती है।
- परिवार के सभी सदस्यों का सहयोग भी मिल जाता है।
- कार्य करने का समय सुविधानुसार तय किया जा सकता है।
- शहर में आने–जाने, रहने का खर्चा नहीं लगता है। समय व श्रम की बचत होती है।
- पीढ़ी–दर–पीढ़ी कार्य करते रहने से सेवा में निहित कौशल विकसित होता रहता है।

निर्णय लेने की क्षमता का विकास

महिलाओं के शोषण एवं उत्पीड़न को रोकने के लिए आवश्यक है कि उनका चहुंमुखी विकास किया जाए। कानूनों के बारे में उनका ज्ञान भी बढ़ाया जाए। इसके लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की जरूरत है। पुरुषों की रूढ़िगत सोच में बदलाव लाना होगा। पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था तो कर दी गई है। जब महिला पंचों, सदस्यों एवं अन्य प्रतिनिधियों को पुरुष प्रधान राजनैतिक व्यवस्था में अपनी भूमिका निभाने के लिए खड़ा कर दिया गया है तब अपनी भूमिका को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए उन्हें खुद तो तैयार रहना ही पड़ेगा, साथ ही स्थानीय लोग एवं सरकारी, गैर–सरकारी संस्थाएं सभी मिलकर उन्हें पूरा सहयोग प्रदान करें। महिलाओं को भी छोटे–छोटे समूह बनाकर विभिन्न मुद्दों पर गंभीरतापूर्वक विचार–विमर्श करना होगा। इससे उनमें आत्मविश्वास का संचार होगा व घर के कामकाज के साथ ही वे ग्रामसभा व पंचायतों की बैठकों में भाग लेने, योजना बनाने, उनका क्रियान्वयन करने, निर्णय लेने एवं उन्हें लागू कराने में सक्षम बनेंगी।

अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरुकता

हमारे संविधान से लेकर सामाजिक रीति–रिवाजों में भी महिला एवं बालिकाओं को अनेक अधिकार दिए गए हैं। इन अधिकारों की जानकारियां नहीं होने से महिलाएं अनेक लाभों से वंचित रह जाती हैं। अधिकारों के साथ ही अपने कर्त्तव्यों की भी जानकारी करवाई जानी आवश्यक है। उन्हें समाज में पुरुषों के साथ मिलकर ही कार्य करना होता है। समाज में पुरुष और महिला दोनों ही मिलकर परिवाररूपी गाड़ी को चलाते हैं। समाज में ऐसी व्यवस्था को विकसित करें जिससे कानूनी, सामजिक, धार्मिक, आर्थिक अधिकारों व कर्त्तव्यों की ठीक से जानकारियां हो सकें। विचार–विमर्श, सभा, सम्मेलनों व साहित्य के माध्यम से इन जानकारियों को निरन्तर बढ़ाने के प्रति जागरूक रहना जरूरी है। पंचायतें इस प्रकार की जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए उपाय करती रहें।

मनरेगा योजना के द्वारा अधिकाधिक महिलाओं को लाभान्वित किए जाने का प्रयत्न करना चाहिए जिससे ग्रामीण क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य पूरा हो सके। रोजगार के अतिरिक्त उनकी शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान देना भी जरूरी है। निर्णय में भागीदारी एवं महिलाओं की अपनी सक्रियता से सशक्तिकरण के ध्येय को पूरा किया जा सकेगा।

(लेखक रा.श.शै.अ.प्र. संस्थान, उदयपुर के पूर्व प्राचार्य हैं)
ई–मेल : pmd99@rediffmail.com

महिला रेलवे कुली

विमलेश चन्द्र

भारतीय रेल में सर्वप्रथम पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल के भावनगर टर्मिनल रेलवे स्टेशन पर कई महिला रेल कुलियों ने कार्य करना शुरू किया था। यह भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का प्रथम ऐसा रेलवे स्टेशन है जहां महिलाओं ने कुली के रूप में कार्य करना शुरू किया था।

विश्व में सर्वप्रथम जिस प्रकार रेलगाड़ियों की शुरुआत इंग्लैड में हुई थी, उसी प्रकार रेलवे के विभिन्न पदों पर जैसे कि टिकट कलेक्टर, लगेज पोर्टर, स्टेशन मिस्ट्रेस, पार्सल पोर्टर जैसे पदों पर महिलाओं की नियुक्ति विश्व में सर्वप्रथम इंग्लैड में प्रथम विश्व युद्ध के समय अर्थात 1915–1918 के बीच लंकाशायर, यार्क शायर, ग्रेट सेन्ट्रल रेलवे, एल एस डब्ल्यू रेलवे इत्यादि में हुई थी।

महिला रेलवे पोर्टर या कुली के इतिहास में विशेषकर महिलाओं के बारे में 60–65 वर्ष पहले एक और महत्वपूर्ण अध्याय तब जुड़ गया था जब भारतीय रेल में रेलवे कुली के रूप में महिलाएं भी कार्य करने लगी थी। भारतीय रेल में सर्वप्रथम पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल के भावनगर टर्मिनल रेलवे स्टेशन पर कई महिला रेल कुलियों ने काम करना शुरू किया था। यह भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का प्रथम ऐसा रेलवे स्टेशन है जहां महिलाओं ने भी कुली के रूप में कार्य करना शुरू किया था।

यदि भावनगर से रेलवे की शुरुआत के बारे में एक दृष्टि डालें तो ज्ञात होता है कि भावनगर स्टेट रेलवे की स्थापना वर्ष 1878 में हुई थी जब राजा–महाराजाओं द्वारा अपने–अपने राज्यों में रेलवे लाइन बनाने का निर्णय विभिन्न रेलवे कम्पनियों की तर्ज पर लिया गया था। सर्वप्रथम गायकवाड़ बड़ौदा स्टेट रेलवे के द्वारा पूरे भारत में वर्ष 1862 में अपनी रेलवे लाइन बनाने का निर्णय लिया गया था। ब्रिटिश साम्राज्य में सर्वप्रथम खंडेराव जी द्वारा यह निर्णय लिया गया था तथा इनके द्वारा प्रथम रेलवे की शुरुआत 08 अप्रैल, 1873 को नैरोगेज रेलगाड़ी डोई–मियाग्राम के बीच की गई थी। इसके बाद मध्य भारत में निजाम स्टेट रेलवे द्वारा 09 अक्टूबर 1874 को प्रथम रेलगाड़ी चलायी गई थी।

इसके बाद भावनगर स्टेट रेलवे की स्थापना होने पर तत्कालीन महाराजा तख्तसिंह जी ने भावनगर राज्य की जनता के प्रति अपनी अटूट जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए तथा जनता की सुख–सुविधाओं में वृद्धि का महत्वपूर्ण योगदान देते हुए एक ऐतिहासिक निर्णय

लिया जिसके अंतर्गत मई 1878 में भावनगर से वधवान तक 105.11 मील लम्बी रेललाइन बनाने का निर्णय लेकर मार्च 1879 से निर्माण कार्य शुरू कर दिया। इस रेलवे लाइन में लगने वाली सामग्री तथा इसके रोलिंग स्टॉक को जून 1879 में इंग्लैड से मंगाया गया तथा जनवरी 1880 में रेल लाइनों पर स्लीपर लगाने का कार्य शुरू हुआ तथा 28 फरवरी, 1880 को एक प्रकार का मीटर गेज का प्रथम भाप इंजन इंग्लैड से भावनगर क्रीक पर पहुंचा था। 10 दिनों के अन्दर इसे भावनगर कारखाना में जोड़ करके चलने योग्य बना दिया गया। इस प्रथम भाप इंजन को 09 मार्च, 1880 को खाली वैगनों तथा एक ब्रेकवान के साथ जोड़कर 17 मील की दूरी तक प्रथम बार ट्रॉयल रन किया गया।

इसके बाद भावनगर से प्रथम रेलगाड़ी की शुरुआत 18 दिसम्बर, 1880 को भावनगर से वधवान (सुरेन्द्रनगर) तक हुई थी जिसका उद्घाटन बम्बई के तत्कालीन गर्वनर जेम्स फर्ग्युसन ने किया तथा इस रेलगाड़ी में गर्वनर व महाराजा तख्तेसिंह जी के साथ–साथ अन्य वरिष्ठ नागरिकों तथा यात्रियों ने यात्रा की। इनके उत्तराधिकारी महाराजा भावसिंह जी को सौराष्ट्र क्षेत्र में रेलवे लाइनों का काफी विस्तार करने का श्रेय प्राप्त है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भावनगर स्टेट रेलवे, गोंडल स्टेट रेलवे, जनागढ़ स्टेट रेलवे, जामनगर तथा तरिबा रेल को 1 अप्रैल, 1948 को सौराष्ट्र सरकार द्वारा अधिग्रहण करके "सौराष्ट्र रेलवे" बनाया गया। 01 अप्रैल, 1950 को इसे भारत सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया तथा 05 नवम्बर, 1951 को इसका पश्चिम रेलवे में विलय कर लिया गया।

भावनगर में भावनगर टर्मिनल रेलवे स्टेशन पर कार्यरत महिला कुली का इतिहास तब से शुरू होता है जब आज से 60–65 वर्ष पूर्व भावनगर में व्यापक रूप से घोघा के निवासी विस्थापित हुए थे तब भावनगर के महाराजा श्री तख्तेसिंह जी ने इन परिवारों को भावनगर राज्य में समाहित कर लिया था। तब इन परिवारों के पुरुषों को महाराजा ने भावनगर दरबार में विभिन्न कार्यों में लगाया तथा इन परिवारों के महिला सदस्यों को कुली वैज के साथ भावनगर टर्मिनल स्टेशन पर कुली के रूप में नौकरी पर लगाया था। ये महिला कुली मूलतः घोघा की निवासी हैं तथा भोई जाति से जुड़ी हुई हैं। भावनगर रेलवे स्टेशन तब भावनगर स्टेट रेलवे का मुख्य रेलवे स्टेशन था। वर्ष 1948 के पहले जब यह स्टेशन तथा रेलवे, भावनगर स्टेट रेलवे का प्रमुख स्टेशन तथा मुख्यालय था तभी यहां पर महिला कुली के रूप में ये महिलाएं कार्य करने लगी थी। उस समय इनमें से कुछ महिलाएं राजदरबार में "दरबार सेविका" के रूप में तथा कुछ महिलाएं "राज गरबा" के रूप में नवरात्रि या शादी विवाह के शुभ अवसर पर कार्य करती थीं।

08 मार्च, 2009 को पूर्व मध्य रेलवे के सोनपुर मंडल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर सोनपुर मंडल के हाजीपुर रेलवे स्टेशन की सम्पूर्ण कमान महिला शक्ति को सौंप दी गयी थी जिसके कारण हाजीपुर रेलवे स्टेशन भारतीय रेल का ऐसा पहला रेलवे स्टेशन बन गया जहां पर गाड़ी संचालन का पूरा कार्य अन्य सभी कार्यों सहित सिर्फ महिलाओं ने किया जिनमें दो सहायक स्टेशन मास्टर, प्वाइंटमैन, ट्रैफिक पोर्टर, तीन गेट मैन, बुकिंग कार्यालय, आरक्षण कार्यालय, पूछताछ कार्यालय, निकास द्वार, सुरक्षा, सफाई, टिकट चैकिंग, आर. पी.एफ., वेटिंग रूम, सिगनल अनुरक्षण जैसे अनेक कार्य केवल महिलाओं ने किए। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी गई क्योंकि हाजीपुर रेलवे स्टेशन एक बड़ा रेलवे स्टेशन है जहां से प्रतिदिन 70 मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ी, 14 यात्री गाड़ी तथा 10 यात्री गाड़ी यहां से आरंभ/समाप्त होने वाली, कई दर्जन मालगाड़ियों का परिचालन होता है। इन सब कार्यों की जिम्मेदारी केवल महिलाओं ने पूरा करके एक विश्व रिकार्ड बनाया है।

सदस्यता कूपन

मैं/हम का नियमित ग्राहक बनना चाहता हूं/चाहती हूं/चाहते हैं।

शुल्क : **कुरुक्षेत्र** एक वर्ष के लिए 100 रुपये, दो वर्ष के लिए 180 रुपये, तीन वर्ष के लिए 250 रुपये का

(जो लागू नहीं होता, उसे कृपया काट दें)

डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर क्रमांक ..... दिनांक ..... संलग्न है।

कृपया ध्यान रखें, आपका डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर निदेशक, प्रकाशन विभाग को नई दिल्ली में देय हो।

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) .....

पता .....

..... पिन .....

इस कूपन को काटिए और शुल्क सहित इस पते पर भेजिए :

विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक

प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, तल–7, रामकृष्णपुरम,

नई दिल्ली–110 066

भारतेंदु हरिश्चन्द्र पुरस्कार-2009

भारतेंदु हरिश्चन्द्र पुरस्कार योजना के अंतर्गत वर्ष 2009 के पुरस्कारों के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित हैं। 1 जनवरी, 2009 से 31 दिसम्बर, 2009 के दौरान निम्नलिखित विषयों पर प्रकाशित पुस्तकों/अप्रकाशित पांडुलिपियों पर पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे:–

(क) पत्रकारिता एवं जनसंचार : यह पुरस्कार हिंदी में जनसंचार के विभिन्न माध्यमों – पत्रकारिता, प्रचार, विज्ञापन, रेडियो, टेली. विजन, फिल्म, मुद्रण, प्रकाशन आदि विषयों पर मौलिक लेखन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से प्रकाशित पुस्तकों/पांडुलिपियों के लिए दिया जाता है। इस वर्ग में **प्रथम पुरस्कार 75,000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार, 50,000 रुपये तथा तृतीय पुरस्कार 40,000 रुपये** दिए जाएंगे।

(ख) राष्ट्रीय एकता : राष्ट्रीय एकता से संबंधित विषयों पर लिखी पुस्तकों/पांडुलिपियों के लिए **प्रथम पुरस्कार 40,000 रुपये तथा द्वितीय पुरस्कार 20,000 रुपये** दिए जाएंगे।

(ग) महिला समस्या : समाज में महिलाओं की स्थिति से संबधित समसामयिक विषयों पर महिला लेखिकाओं द्वारा लिखी पुस्तकों/पांडुलिपियों हेतु **प्रथम पुरस्कार 40,000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 20,000 रुपये** दिए जाएंगे।

(घ) बाल साहित्य : बच्चों के लिए लिखी गई पुस्तकों/पांडुलिपियों के लिए **प्रथम पुरस्कार 40,000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 20,000 रुपये** दिए जाएंगे।

इस योजना का विस्तृत विवरण तथा आवेदन प्रपत्र एवं नियमावली डाक द्वारा सहायक निदेशक (राजभाषा), कमरा नं 342, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली या ई मेल पता (vermabanshi@yahoo.in) से मंगाए जा सकते हैं। प्रकाशन विभाग में प्रविष्टियां प्राप्त होने की अंतिम तिथि **7 जून, 2010** है।

प्रकाशन विभाग
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
सी. जी. ओ. कॉम्पलैकस, लोधी रोड, नई दिल्ली

यह भावनगर का सौभाग्य था कि वर्ष 1947 में भावनगर स्टेट ने बिना किसी शर्त के सरदार पटेल के आह्वान पर स्वयं महाराजा कृष्णकुमार सिंह जी की स्वेच्छा से अपने को भारतीय संघ में समाहित कर लिया था। इन्हीं के पूर्वज महाराज तख्तेसिंह जी ने भी सर्वप्रथम रेलगाड़ियां चलाने के साथ–साथ महिलाओं को "महिला कुली" के रूप में लगाकर न केवल इतिहास रचा बल्कि महिलाओं को भी इस पुरुष प्रधान व्यवसाय में लगाकर स्वाभिमान से जीने का एक रास्ता दिखाया था। उस समय भावनगर में कुल 40 महिलाओं को बैज देकर महिला कुली बनाया गया था। इन बैजों को ये महिलाएं केवल अपनी पुत्रियों को ही अपने बाद सौंप सकती थी। हालांकि अब ऐसा नियम नहीं है।

भावनगर टर्मिनल रेलवे स्टेशन पर कुछ पुरुष रेलवे कुली भी इस समय कार्यरत हैं किन्तु महिला कुली की संख्या ज्यादा अर्थात 20–25 है। इनमें से कुछ महिलाएं 60 से 70 वर्ष के बीच हैं तथा पश्चिम रेलवे की स्थापना के पहले से ही अर्थात पचास वर्षों से ज्यादा समय से यहां कार्यरत हैं। कुछ महिला कुली की माता यहां पहले कार्यरत थीं जिनकी जगह पर अब ये कार्य कर रही हैं। उस समय भावनगर मंडल के कुछ और रेलवे स्टेशनों पर भी कुछ एक महिला कुली को लगाया गया था। भावनगर के इन महिला कुली को प्रतिदिन पचास रुपये तक आमदनी हो जाती है। इनका व्यवहार यात्रियों तथा रेल कर्मचारियों के प्रति बहुत ही प्रशंसनीय रहा है। वृद्धावस्था के कारण तथा पारिवारिक परिस्थितियों के कारण कई महिलाएं यह कार्य करती हैं। इनके साथ कोई ज्यादती न हो तथा समय–समय पर इनके लाइसेंस का नवीनीकरण होता रहे तथा इन्हें भारतीय रेल की तरफ से प्रदान किए जाने वाली लाल रंग की साड़ी तथा बैज इत्यादि के साथ रेल प्रशासन द्वारा दिए जाने वाली अनुग्रह के रूप में विभिन्न सुविधाओं को प्रदान करने में यहां का रेल प्रशासन सदैव तत्पर रहता है।

जैसाकि हम सभी जानते हैं कि भारतीय रेल में काम करने वाले कुली, रेल कर्मचारी नहीं होते हैं बल्कि वे स्वयंसेवी श्रमिक होते हैं जो रेलवे तथा रेल यात्रियों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़कर एक सेतु के रूप में कार्यरत होते हैं। ये रेल यात्रियों के लिए रेल स्टेशनों पर एक अच्छे मित्र तथा रेलगाड़ियों के बारे में जानकारी देने वाला एक जागरूक व्यक्ति होता है। इनकी अमूल्य सेवाओं के कारण ही रेल प्रशासन द्वारा इन्हें अनुग्रह के रूप में शर्ट, पगड़ी, बैज, विश्रामालय, बहिरंग चिकित्सा सुविधा, इनके बच्चों को रेलवे के द्वारा या रेलकर्मी संगठनों और महिला समितियों द्वारा चलाए जा रहे विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा सुविधा, सामूहिक बीमा योजना का लाभ, वर्ष में दो बार शयनयान श्रेणी में निःशुल्क यात्रा सुविधा इत्यादि उपलब्ध करायी जाती है।

(लेखक पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल कार्यालय में सहायक मंडल संरक्षा अधिकारी हैं।)

ALS

The ALS Tradition *Continues...*

ALS Geography & GS Students 2010

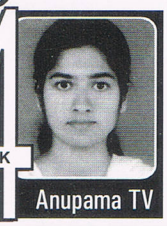

IAS 2010 Results
220⁺
Still Counting...

IAS 2010-11
प्रवेश सूचना

जून बैच: मुख्य परीक्षा 2010 एवं प्रारंभिक-सह-मुख्य परीक्षा 2011

REGISTRATION & ADMISSION DATES: 19 May to 10 June

अपना नामंकन आरक्षित करने हेतु **Rs. 8000** रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में Cash/DD **Alternative Learning Systems Pvt Ltd** के नाम से **जून 10** के पहले भेज दे। शेष राशि जमा करने की अंतिम तिथि **जून 19** **LIMITED SEATS**

सामान्य अध्ययन

हिन्दी माध्यम मे GS की सर्वश्रेष्ठ टीम

• **इतिहास** *by* **YD Mirsa & Manoj K Singh** • **भूगोल** *under the expert guidance of* **Shashank Atom** • **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी** *by* **Jojo Mathew & S. Tripathi** • **भारतीय राजव्यवस्था** *by* **M. Gautam** • **भारतीय अर्थव्यवस्था** *by* **Arunesh Singh** • **राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे** *by* **शरद त्रिपाठी** • **मानसिक योग्यता एवं सांख्यिकी** *by* **A.K. Singh**

सर्वश्रेष्ठ कक्षागत योजना (Programme Highlights)

• **350+ घंटे** का क्लास प्रशिक्षण (**मुख्य परीक्षा**) • **500 घंटे** का क्लासरूम प्रशिक्षण (**मुख्य-सह-प्रारंभिक परीक्षा**) • **उत्तर लेखन व मूल्यांकन** हेतु 75 घंटे का अतिरिक्त प्रशिक्षण • राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक व समसामयिक विषयों की तैयारी हेतु **विश्लेषणात्मक प्रशिक्षण व्यवस्था** • कक्षा प्रारंभ के पूर्व ही **अद्यतन पाठ्य सामग्री** का वितरण • निबंध प्रशिक्षण • अनिवार्य अंग्रेजी प्रशिक्षण

Programme Director : **Manoj Kumar Singh** *Managing Director:* ALS, Interactions IAS Study Circle

बैच प्रारंभ			
	Batch-I	**GS मुख्य परीक्षा**	**22 June** (08:00am-10:30am)
	Batch-II	**GS मुख्य-सह-प्रारंभिक परीक्षा**	**12 July** (08:00am-10:30am)
	Batch-III	**GS मुख्य-सह-प्रारंभिक परीक्षा**	**17 Aug** (10:45am-01:15pm)

More than **1000 Selections** in Final Exam under the expert guidance of YD MISRA

इतिहास

द्वारा **Y.D. MISRA**

"The Man known for **UNPARALLELED ANALYSIS** of Main Exam Topics"

Programme Highlights

- ✓ कालक्रमबद्ध पाठ्यक्रम: मुख्य परीक्षा- 15 सप्ताह (350+ घंटे)
- ✓ विषय के विभिन्न खण्डों का गहन व विस्तृत विश्लेषण
- ✓ समयबद्ध एवं सटीक उत्तर लेखन प्रविधि पर बल
- ✓ मानचित्र संबंद्धित प्रश्न हेतु नवीन वैज्ञानिक रणनीति
- ✓ मुख्य परीक्षा हेतु वास्तविक संपरीक्षा योजना

ALS Geography हेतु देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान जिसने 500 से अधिक सफल अभ्यर्थियों एवं अनेक शिक्षकों को भी प्रशिक्षण दिया।

अब

भूगोल

हिन्दी माध्यम में

विश्वविद्यालय के वरिष्ठ व्याख्याता प्रो. एम. काजमी, डॉ. शशि शेखर, बी.एम. पण्डा एवं अन्य विशेषज्ञ

लोक प्रशासन

द्वारा

विश्वविद्यालय के वरिष्ठ व्याख्याता, वाई. डी. मिश्रा. के.एम.पथ्थी, ए.श्रीवास्तव, आर.के.शर्मा

इतिहास, भूगोल, लोकप्रशासन बैच प्रारंभ 22 जून

ALS कार्यशाला तिथि | जून 14 | सामान्य अध्ययन, इतिहास, भूगोल, लोकप्रशासन

ALS ADMISSION ENQUIRY
9810312454
9999343999
9810269612
9910600202
9910602288

ALS Alternative Learning Systems

IAS Study Circle *interactions* Shaping dreams into success

Be in touch...
Manoj K Singh
Managing Director, ALS
Mob: **9999343999**

Alternative Learning Systems (P) Ltd.
Corporate Office: B-19, ALS House, Commercial Complex, Dr Mukherjee Nagar, Delhi-09.
Ph: 27651110, 27651700. ***South Delhi Centre:*** 62/4, Ber Sarai, Delhi-16. Ph: 26861313.

Visit us at: www.alsias.net

KH-6/10/1

सामाजिक विकास के लिए प्रतिबद्ध महिला सरपंच

रवीन्द्र कुमार शर्मा

आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत करने वाले प्रयोगधर्मी राज्य राजस्थान में महिलाओं हेतु ग्रामीण स्थानीय स्वशासन में 50 प्रतिशत स्थान आरक्षित किए गए हैं। जनवरी–फरवरी, 2010 में सम्पन्न हुए पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के पश्चात राज्य की 33 जिला परिषदों, 246 पंचायत समितियों, तथा 9169 ग्राम पंचायतों के आधे से भी अधिक पदों पर महिलाएं निर्वाचित हुई हैं। देश में 73वें संविधान संशोधन 1992 के पश्चात न केवल पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण प्राप्त हुआ बल्कि महिलाओं ने 9 प्रतिशत अधिक (सन् 2008 के आंकडे) अर्थात 42 प्रतिशत स्थानों पर कब्जा कर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर दी है।

पंचायती राज की मूलभूत एवं प्राथमिक इकाई अर्थात ग्राम पंचायत के अध्यक्ष (सरपंच) पद पर यदि अनुभवी महिला आसीन हो तो ग्राम विकास विशेषतः सामाजिक क्षेत्र की प्रगति को गति स्वतः ही मिलने लगती है। इसी संदर्भ में लेखक ने राजस्थान को अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित बीकानेर जिले की ग्राम पंचायत–उदासर की नव–निर्वाचित 62 वर्षीया सरपंच श्रीमती पाना देवी सेठिया से साक्षात्कार किया। इस ग्राम पंचायत में तीन गांव –उदासर, पेमासर तथा बीछवाल सम्मिलित हैं जिनमें 13 वार्ड पंच हैं। कुल 17 हजार जनसंख्या वाली इस ग्राम पंचायत में 5300 मतदाता हैं। बारानी एवं नहरी खेती वाले इस क्षेत्र की मुख्य फसलें मोठ, ग्वार, गेहूं, सरसों, तिल तथा मूंगफली हैं। तुलनात्मक रूप से सुविधा सम्पन्न इस ग्राम पंचायत की समस्याओं तथा भावी योजनाओं के बारे में लेखक रवीन्द्र कुमार शर्मा ने वर्तमान सरपंच **श्रीमती पाना देवी** से बातचीत की।

लेखक : सरपंच जी, सर्वप्रथम महिला सीट पर सरपंच चुने जाने पर आपको बधाई। कृपया बताएं कि यह पद पाकर कैसा लग रहा है?

पाना देवी : धन्यवाद! मुझे सरपंच बने अभी तीन महीने ही हुए हैं। अभी सरपंच, ग्राम पंचायत तथा ग्रामसभा इत्यादि से संबद्ध दायित्व तथा कार्यप्रणाली समझ रही हूं। हां, मुझे इतना जरूर पता है कि सरपंच का पद कांटों भरा ताज है।

लेखक : आपको पंचायत की कार्यप्रणाली तथा अन्य सरकारी कार्यों की जानकारी कौन देता है?

पाना देवी : पंचायत कार्यालय में ग्राम सेवक (पंचायत सचिव) कार्यरत है तथा घर में मुझे मेरा पुत्र मनोज सेठिया सरकारी कागजात समझाता तथा बताता है। वैसे मेरे पति श्री सम्पत दयाल सेठिया इसी पंचायत में पांच साल तक पंच तथा 15 साल उप–सरपंच रह चुके हैं। अतः मुझे पंचायती राज की सामान्य जानकारी तो बहुत पहले से है।

उत्तराखण्ड में महिला सामाख्या

डॉ. इन्दु पाठक

आज महिला सामाख्या कार्यक्रम उत्तराखंड की महिलाओं के सशक्तिकरण का प्रत्यक्ष उदाहरण बन गया है। राज्य की हजारों ग्रामीण महिलाएं इससे जुड़ गई हैं। उनकी बातचीत और गतिविधियों के अवलोकन से उनपर इस कार्यक्रम का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। वे अब मंच पर आकर आत्मविश्वास से अपनी बात कहती हैं और पंचायत प्रतिनिधि के रूप में वे सक्रिय भूमिका का निर्वाह कर रही हैं। वे अपनी अदालतों का सफलतापूर्वक संचालन कर रही हैं और महिला शिक्षा व स्वास्थ्य के लिए कार्य करने के साथ-साथ आर्थिक कोष का निर्माण कर सामूहिक उद्यमिता से उस कोष में वृद्धि भी कर रही हैं।

सशक्तिकरण की चर्चा जब महिलाओं के सन्दर्भ में की जाती है तो स्पष्टतः कहा जा सकता है कि महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास करना केवल महिलाओं के लिए ही नहीं बल्कि समाज के समग्र विकास के लिए भी उपयोगी व महत्वपूर्ण प्रमाणित होगा। सशक्तिकरण की प्रक्रिया की सहायता से महिला स्वयं को इस प्रकार संगठित कर सकती हैं जिससे कि वह आत्मनिर्भरता में वृद्धि कर सकें तथा विकल्पों के चयन व संसाधनों पर नियन्त्रण के सम्बन्ध में अपने स्वतन्त्र अधिकार पर बल दे सकें। इस प्रकार महिलाओं को उस स्थिति में सशक्त कहा जा सकता है जब वे भौतिक, मानवीय, बौद्धिक (ज्ञान, सूचना, विचार आदि) व साथ ही वित्तीय संसाधनों पर अधिकतम भागीदारी प्राप्त कर सकें तथा घरेलू, सामुदायिक एवं राष्ट्रीय जीवन के संदर्भ में भी अपनी सहभागिता रखें। महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य ऐसी विचारधारा को चुनौती देना तथा ऐसी संरचनाओं व संस्थाओं का रूपान्तरण करना है जोकि लैंगिक विषमता व सामाजिक असमानता को बढ़ावा देते हैं। ऐसा होने पर ही महिलाओं को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक–आर्थिक व राजनीतिक जीवन में समान अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।

महिलाओं में भी ग्रामीण महिलाओं की स्थिति अधिक कमजोर देखी गयी है। विकास के कार्यक्रमों व नीतियों तक उनकी पहुंच अपेक्षाकृत कम रही है तथा साथ ही सामाजिक व सांस्कृतिक परम्पराओं का दबाव भी उन्हें ही अधिक झेलना पड़ता है। यद्यपि 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था में सहभागिता प्रदान कर उन्हें राजनीतिक शक्ति संरचना में स्थान देने का प्रयास किया गया है, परन्तु उनके सशक्तिकरण का लक्ष्य अभी अधूरा ही है। शिक्षा, स्वास्थ्य स्थिति, आर्थिक सहभागिता, निर्णय क्षमता, कानूनी ज्ञान आदि के सन्दर्भ में उनकी स्थिति न सिर्फ पुरुषों की तुलना में बल्कि नगरीय स्त्रियों से भी अपेक्षाकृत कमजोर है। इस सम्बन्ध में ग्रामीण क्षेत्रों में चलाए जा रहे 'महिला सामाख्या' जैसे कार्यक्रमों की भूमिका व योगदान उल्लेखनीय रहे हैं। प्रस्तुत प्रपत्र में ग्रामीण क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण हेतु 'महिला सामाख्या' द्वारा किए गए कार्यों का विश्लेषण, विशेषकर उत्तराखण्ड राज्य में सम्पन्न की जा रही उनकी गतिविधियों के आधार पर किया गया है।

महिला सामाख्या कार्यक्रम–'महिला सामाख्या' भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा एक कार्यक्रम है, जिसकी अवधारणा 1986 की नई शिक्षा प्रणाली से उभरी है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कमजोर, वंचित, निर्धन वर्गों की महिलाओं व बालिकाओं की, शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना है। कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षा को व्यापक अर्थों में देखते हुए व्यावहारिक शिक्षा का समावेश किया गया है। इसमें नारीवादी सोच का विकास, स्वयं के मुद्दों तथा सामाजिक–आर्थिक मुद्दों पर समझ विकसित करना तथा सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी व हस्तक्षेप को प्रमुखता से शामिल किया गया है। महिला सामाख्या शैक्षिक पहुंच एवं उपलब्धि के क्षेत्र में लैंगिक अन्तराल का निराकरण करती है। इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं, विशेषकर सामाजिक, आर्थिक रूप से पिछड़ी एवं वंचित महिलाओं को इस योग्य बनाना है कि वे अलग–थलग पड़ने और आत्मविश्वास की कमी जैसी समस्याओं से जूझ सकें और दमनकारी सामाजिक रीति –रिवाजों के विरुद्ध खड़े होकर अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए संघर्ष कर सकें। वर्तमान में महिला सामाख्या कार्यक्रम देश के 11 राज्यों में संचालित किया जा रहा है, जिनमें उत्तराखण्ड भी एक है।

उत्तराखण्ड में महिला सामाख्या– उत्तराखण्ड राज्य में यह कार्यक्रम 6 जिलों टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, उत्तरकाशी, चम्पावत व ऊधम सिंह नगर के 21 विकासखण्डों में चलाया जा रहा है, जिससे 2047 गांवों की महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। महिला सामाख्या कार्यक्रम ने उत्तराखण्ड की ग्रामीण महिलाओं को एक मंच दिया है स्वयं को समझने का तथा अपनी क्षमताओं को समझकर महिलाओं के हित के लिए उनका उपयोग करने के लिए। कार्यक्रम ने ग्रामीण महिलाओं को इस प्रकार जाग्रत करने का प्रयास किया है कि वे अपने हक व अधिकारों को समझ सकें। महिला सामाख्या यह कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में महिला संघों के विस्तार, महिला साक्षरता व शिक्षा, स्वास्थ्य स्थिति, उनके आर्थिक सशक्तिकरण, राजनीतिक सहभागिता, विधिक साक्षरता व उनकी कार्यक्षमता के विकास के लिए कार्य करके कर रही है।

आज महिला सामाख्या उत्तराखण्ड की महिलाओं के सशक्तिकरण का एक प्रत्यक्ष उदाहरण बन गया है। सूचना के अधिकार की जागरुकता को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा महिला सामाख्या उत्तराखण्ड का चयन किया जाना इस कार्यक्रम की विशिष्ट उपलब्धि मानी जा सकती है। उत्तराखण्ड के 6 जनपदों की हजारों ग्रामीण महिलाएं महिला सामाख्या से जुड़कर ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रही हैं। यह भी देखा गया है कि राज्य में इनकी गतिविधियों का निरन्तर विस्तार हो रहा है। महिला सामाख्या उत्तराखण्ड की वार्षिक रिपोर्ट 2007–08 के आंकड़ों से स्पष्ट हुआ है कि जहां वर्ष 2003–04 में 12 विकासखण्डों में कार्यक्रम संचालित होता था वहीं वर्ष 2007–08 तक यह 21 विकासखण्डों तक विस्तारित हुआ है। वर्ष 2003–04 के 710 की तुलना में 2007–08 तक कुल 2229 महिला संघ कार्य करने लगे थे। ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु उत्तराखण्ड़ महिला सामाख्या द्वारा किए जा रहे प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं–

महिला संघ एवं महासंघों का विस्तार– अपने स्थापना काल से ही महिला सामाख्या का मुख्य उद्देश्य रहा है महिलाओं को स्वयं के संघ बनाने के लिए प्रेरित करना, जिससे वे स्वयं के सशक्तिकरण के लिए खुद मिल–बैठकर कार्य करें। धीरे–धीरे इन महिला संघों ने अपनी यात्रा 'महासंघों' के निर्माण तक पूरी की है। महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य की प्राप्ति पर केन्द्रित इन संघों की गतिविधियों के प्रमुख घटक शिक्षा, स्वास्थ्य, विधिक ज्ञान, आर्थिक आत्मनिर्भरता व नेतृत्व जैसे विषय रहे हैं। इन संघों के

माध्यम से चलाये जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रभाव इस रूप में दिखाई देने लगा है कि ये महिलाएं अपनी शक्ति को पहचानने लगी हैं, महिलावादी दृष्टिकोण से समाज की असमानता का विश्लेषण करने लगी हैं तथा परिवार व समुदाय में महिला विरोधी व अपमानजनक परम्पराओं के खिलाफ मुखर होने लगी हैं।

सशक्तिकरण में शिक्षा के महत्व को समझते हुए इन संघों ने बालिका शिक्षा के प्रति विशेष ध्यान दिया है तथा इनके प्रयासों से इनके कार्यक्षेत्र में विद्यालयों में बालिकाओं के नामांकन व उनकी नियमित उपस्थिति में वृद्धि हुई है तथा ड्रापआउट अनुपात में भी कमी आयी है। आज ग्रामीण क्षेत्रों में जल, जंगल व जमीन जैसे संसाधनों के प्रबन्धन में इन संघों की सदस्याओं ने सार्थक हस्तक्षेप कर अपनी विशिष्ट पहचान बनायी है। महिला सामाख्या की प्रेरणा से ग्राम महिला संघों ने मिलकर महासंघों का निर्माण किया है, जिसने महिलाओं को ज्यादा बड़े स्तर पर सोचने को बाध्य किया है तथा उन्होंने महिलाओं की स्थिति उन्नत करने के लिए गांव से आगे बढ़कर क्षेत्रीय स्तर पर हस्तक्षेप करने की रणनीति बनाई है। विकासखण्ड स्तर पर महासंघों द्वारा 'महिला सन्दर्भ केन्द्रों' की स्थापना करना भी महिला सामाख्या की महत्वपूर्ण गतिविधि है। इन सन्दर्भ केन्द्रों में महिलाओं से सम्बन्धित जानकारियों के एकत्रिकरण के लिए महासंघ सदस्याओं को दस्तावेजी प्रबन्धन का ज्ञान भी प्रदान किया जाता है।

साक्षरता व शिक्षा – महिला साक्षरता व शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखण्ड महिला सामाख्या द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में किया गया कार्य महिलाओं के सशक्तिकरण के सन्दर्भ में अत्यन्त उपयोगी रहा है। महिला सामाख्या की जिला क्रियान्वयन इकाईयां सर्वप्रथम अपने कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित गांवों में शिक्षा से सम्बन्धित सर्वेक्षण करती हैं और प्राप्त परिणामों के आधार पर साक्षरता शिविर के आयोजन की आवश्यकता का आकलन किया जाता है। महिला साक्षरता माड्यूल के आधार पर लगाए जाने वाले ये साक्षरता शिविर 10–10 दिन के चार चरणों में, कुल 40 दिन के होते हैं। इन शिविरों का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को हिन्दी पढ़ना–लिखना सिखाना तथा 100 तक अंकों का ज्ञान कराना है। उत्तराखण्ड के ग्रामीण व पिछड़े क्षेत्रों की महिलाओं की शिक्षा के सन्दर्भ में इन शिविरों की प्रभावशाली भूमिका रही है। यहां पढ़ना–लिखना सीखने के पश्चात् आगे शिक्षा प्राप्त करने के लिए उत्सुक महिलाओं के लिए महिला सामाख्या कार्यकर्ता कक्षा 5 व 8 की परीक्षा का फार्म भरने व उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करती हैं। इनकी प्रेरणा से ही उत्तराखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों की अनेक महिलाएं कक्षा 5 व कक्षा 8 की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुकी हैं।

महिला शिक्षण केन्द्र– शिक्षा से वंचित बालिकाओं को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए महिला सामाख्या द्वारा 'महिला शिक्षण केन्द्र' की स्थापना के रूप में अभिनव प्रयोग किया गया हैं। इस केन्द्र के सदस्य बालिकाओं व उनके अभिभावकों के साथ व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करके उन्हें शिक्षा की मुख्यधारा से जुड़ने को प्रेरित करते हैं। ये केन्द्र शिक्षा प्रदान करने के लिए विशेष रूप से ऐसे समूहों को अपना लक्ष्य बनाते हैं जो काफी समय से शिक्षा की मुख्यधारा से दूर हो। बालिकाओं के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए सृजनात्मक गतिविधियों के साथ–साथ उन्हें पंचायत, पर्यावरण, किशोरी स्वास्थ्य, जैविक खेती, महिला कानून तथा प्राकृतिक संसाधनों की जानकारी भी इन केन्द्रों में दी जाती है। तकनीकी प्रशिक्षण के अन्तर्गत बिजली के उपकरणों की मरम्मत, गैस स्टोर व प्रेशर कुकर की मरम्मत, सिलाई–कढ़ाई, बुनाई, मोमबत्ती/अगरबत्ती निर्माण आदि से सम्बन्धित प्रशिक्षण भी महिलाओं को दिया जाता है, जिससे वे अपनी दिन–प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के साथ–साथ भविष्य में इसे व्यावसायिक रूप से भी अपना सकें।

महिला सामाख्या द्वारा आयोजित कार्यशालाओं में प्रतिभागी महिलाओं से बातचीत के आधार पर स्पष्ट हुआ कि महिला सामाख्या की गतिविधियों में सहभागिता का उनके व्यक्तित्व पर अत्यधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। वे अब अत्यन्त आत्मविश्वास से स्वयं को अभिव्यक्त करती हैं। कुछ महिलाओं ने बताया कि वे पहले 'वोट' देने इसलिए नहीं जाती थी क्योंकि अशिक्षित होने के कारण हस्ताक्षर की जगह अगूंठा लगाना उनके लिए शर्मिन्दगी का कारण होता था। अब पढ़ना-लिखना सीख लेने से चूंकि वे हस्ताक्षर कर सकती हैं अतः उत्साह व आत्मविश्वास से वोट देने जाती हैं। साथ ही शिक्षा ने उनमें इतना आत्मविश्वास उत्पन्न किया है कि वे अब गांव से निकलकर जिला मुख्यालय व कभी- कभी देहरादून तक जाकर भी महिलाओं की बैठक में शामिल होती हैं।

महिला स्वास्थ्य के सन्दर्भ में महिला सामाख्या की भूमिका– स्वास्थ्य स्थिति सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण सूचक है। यह देखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की मानसिकता का विकास इस प्रकार होता है कि वे अपने पति व बच्चों के स्वास्थ्य का तो पूरा ध्यान रखती हैं, परन्तु स्वयं की स्वास्थ्य स्थिति उनके लिए विचारणीय विषय नहीं होता। यही कारण है कि ग्रामीण महिलाएं अनेक प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं व कुपोषण से ग्रस्त होती हैं। महिला सामाख्या का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य सम्बन्धी ज्ञान में वैज्ञानिकता का समावेश करना जिससे उनके अन्धविश्वास व रूढ़िवादिता दूर हो। ग्रामीण महिलाओं को उनके घर–आंगन में ही जानकारी उपलब्ध कराने तथा स्थानीय संसाधनों व लोकज्ञान के माध्यम से स्वस्थ रहने की समझ उनमें विकसित करने का कार्य भी महिला समाख्या कर रही है। वास्तविकता तो यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की खराब स्वास्थ्य स्थिति से न सिर्फ महिला

प्रभावित होती है बल्कि इसका सीधा–सीधा प्रभाव बालिका शिक्षा पर भी पड़ता है। माता के बीमार होने पर पारिवारिक दायित्व के निर्वाह का जिम्मा बालिका पर आ जाता है। परिणामस्वरूप उसका स्कूल जाना धीरे–धीरे कम होकर पूरी तरह छूट जाता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षणों में भी यह तथ्य उभरा है कि लड़कियों के स्कूल से ड्रापआउट का मुख्य कारण घरेलू कार्यों में उनकी संलग्नता ही है।

इसीलिए महिला सामाख्या महिला स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देती है। स्वास्थ्य जागरुकता सम्बन्धी बैठकों में महिला व उनके प्रजनन स्वास्थ्य से सम्बन्धित परम्परावादी व अवैज्ञानिक सोच तथा अन्धविश्वास के प्रति महिलाओं को सचेत करने का प्रयास किया जाता है। गर्भवती महिलाओं व नवजात शिशुओं के टीकाकरण, आयरन–कैल्शियम की गोलियों की व्यवस्था हेतु भी महिला सामाख्या कार्यकर्ता कार्य करते हैं। इस हेतु समस्त जिला क्रियान्वयन इकाईयां अपने–अपने क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित करती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक अभावों को देखते हुए स्थानीय संसाधनों से महिलाओं के स्वास्थ्य संरक्षण का कार्य भी किया जाता है। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जड़ी–बूटी का ज्ञान रखने वाली महिलाओं से सम्पर्क कर, इस लोकज्ञान व सहज सुलभ सुविधा का उपयोग महिला स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। उल्लेखनीय है कि महासंघों की स्वास्थ्य कोर टीम स्थानीय जड़ी–बूटी से स्वास्थ्य देखभाल का प्रशिक्षण भी प्रदान करती है तथा इस प्रशिक्षण में महिला संगठन की ज्ञानी महिलाएं ही सन्दर्भ व्यक्ति की भूमिका भी अदा करती हैं। साथ ही महिला सामाख्या की सहायता से इन क्षेत्रों में 'संजीवनी केन्द्रों' की स्थापना किया जाना भी महत्वपूर्ण उपलब्धि कही जा सकती है। इन केन्द्रों का प्रमुख कार्य महिलाओं में स्वास्थ्य जागृति तथा प्रजनन सम्बन्धी समस्याओं का समाधान करना है।

पंचायतों के माध्यम से महिला नेतृत्व का विकास– नेतृत्व क्षमता, निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी तथा समुदाय की जिम्मेदारी वहन कर सकने की क्षमता भी सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण सूचक है। महिला सामाख्या इन गुणों के विकास में सहयोग देकर ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर

रही है। 73वें संविधान संशोधन ने ग्रामीण स्तर पर महिलाओं को नेतृत्व करने का अवसर प्रदान किया है। परन्तु प्रारम्भिक दौर में यह नेतृत्व प्रतीकात्मक अधिक था। महिलाओं को पंचायतों की गतिविधियों में स्वयं हिस्सा लेने, पंचायतों के बारे में उनकी समझ को विकसित करने तथा उनकी क्षमता विकास के कार्य में भी उत्तराखण्ड महिला सामाख्या ने उपयोगी कार्य किया है। इस हेतु महिला जनप्रतिनिधियों तथा चुनाव लड़ने की इच्छुक महिलाओं के साथ पंचायत ढांचे के विभिन्न स्तरों के कार्य, प्रतिनिधियों के अधिकार तथा उनके कर्तव्यों जैसे विषयों पर समय–समय पर कार्यशाला तथा प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाते हैं। इन्हीं गतिविधियों के परिणामस्वरूप उत्तराखण्ड के कई गांवों में महासंघों ने 'महिला पंचायतों' के गठन के लिए कार्य करने का भी निश्चय किया हैं। नैनीताल में नाई गांव में तथा पौड़ी में बौठा व धुरा धनाई गांवों में महिला पंचायत बनाने का कार्य किया गया है।

यह भी देखा गया कि प्रारम्भ में पंचायतों से सम्बन्धित आर्थिक दायित्वों की महिला प्रतिनिधियों को कोई समझ नहीं थी तथा उनके इस दायित्व का निर्वाह प्रायः उनके पुरुष सम्बन्धी ही किया करते थे। महिला प्रतिनिधियों की जानकारी के बिना ही उनके नाम पर आर्थिक भ्रष्टाचार में उनके पुरुष सम्बन्धियों की लिप्तता भी देखी गई। साथ ही पर्याप्त ज्ञान की कमी के कारण प्रशासनिक स्तर पर भी उनको गुमराह किया जाता था। पंचायती राज के सन्दर्भ में महिला सामाख्या द्वारा आयोजित कार्यशालाओं व प्रशिक्षण कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर महिला पंचायत प्रतिनिधि अब धीरे–धीरे अपने अधिकार व कर्तव्य समझ रही हैं तथा अधिक कुशलता से अपने दायित्वों के निर्वाह के लिए प्रयासरत हैं।

विधिक साक्षरता– कानून द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों की जानकारी से महिलाएं न सिर्फ अपने अधिकारों के लिए लड़ सकती हैं बल्कि अपने साथ हो रहे शोषण का भी अधिक आत्मविश्वास से विरोध कर सकती हैं। इस सन्दर्भ में महिला सामाख्या ने महिलाओं को उनके संविधान प्रदत्त अधिकारों, उनसे सम्बन्धित कानूनों व साथ ही सूचना के अधिकार से उन्हें परिचित कराने के लिए भी गहन कार्यक्रम शुरु किए हैं। एक महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि महिलाओं की समस्याएं यदि पारिवारिक या सामुदायिक जीवन से सम्बन्धित होती हैं, तो उन्हें समुदाय के बीच ही, न्यायपूर्ण व पूर्वाग्रहरहित तरीके से निपटाने की पहल भी महिला सामाख्या द्वारा की जाती है। महिला सामाख्या, उत्तराखण्ड द्वारा इस सन्दर्भ में 'अपनी अदालतों' का गठन किया जाना विधिक परिपक्वता का परिचय है। उल्लेखनीय है कि इन 'अपनी अदालतों' का संचालन महिला संघों की ही अनुभवी व सुलझी हुई ग्रामीण महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसमें दोनों पक्षों की बात सुनकर, विवाद के मूल कारणों की चर्चा की जाती है तथा सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस प्रकार से मुद्दों को सुलझाया जाता है कि न तो पारिवारिक रिश्तों में तनाव आता है और न ही सामाजिक सौहार्द पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इन अपनी अदालतों ने न सिर्फ पारिवारिक व महिलाओं से सम्बन्धित मामलों को सुलझाया है वरन् जल, जंगल व जमीन से सम्बन्धित समस्याओं के समाधान का भी सफल प्रयास किया है।

आर्थिक सशक्तिकरण– आर्थिक स्वावलम्बन महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण प्रेरक का कार्य करता है। इस हेतु महिला सामाख्या द्वारा ग्राम संघों में 'महिला बचत कोष' की स्थापना करना महत्वपूर्ण माना जा सकता है। अपने सीमित साधनों के बावजूद महिलाएं अपनी छोटी–छोटी बचतों से इस कोष का निर्माण करती हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर इस कोष से ऋण प्राप्त कर अपनी आर्थिक गतिविधियां भी चलाती हैं। ये संघ सामूहिक रूप से उद्यम कर अपने कोष की पूंजी वृद्धि का कार्य भी करते हैं। उदाहरण के लिए नैनीताल जिले के कई ग्राम संघों ने कोष की पूंजी से टैन्ट हाउस का सामान खरीदा है जिसे समारोहों में किराये पर देकर वे न सिर्फ अपनी पूंजी में वृद्धि करते हैं बल्कि इससे महिलाओं की उद्यमिता क्षमता का विकास भी होता है।

वास्तविकता तो यह है कि ग्रामीण महिलाओं की भलाई के लिए सरकार तथा गैर–सरकारी संगठनों द्वारा भी बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। परन्तु जानकारी के अभाव या क्रियान्वयन की कमजोरी के कारण सम्बन्धित सुविधा सामान्य ग्रामीण महिला तक नहीं पहुंच पाती है। यहीं महिला सामाख्या जैसे संगठन उपयोगी व सार्थक भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं क्योंकि उनकी ग्रामीण महिलाओं तक सीधी पहुंच है तथा वे महिला सहभागिता के माध्यम से महिला विकास की बात करते हैं। महिला सामाख्या से जुड़े नैनीताल जनपद के धारी, रामगढ़, बेतालघाट व ओखलकाण्डा ब्लॉक के विभिन्न गांवों की महिलाओं से प्रत्यक्ष वार्तालाप व उनकी गतिविधियों के अवलोकन से ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण में महिला सामाख्या का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। वे मंच पर आकर आत्मविश्वास से अपनी बात कहती हैं, उनमें से कई कक्षा 5 व 8 की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुकी हैं, अब पंचायत प्रतिनिधि के रूप में वे सक्रिय भूमिका का निर्वाह कर रही हैं। अपनी अदालतों का सफलतापूर्वक संचालन कर अपने विधिक कर्तव्यों को भी पूरा कर रही हैं। वे महिला शिक्षा व स्वास्थ्य के लिए कार्य करने के साथ–साथ आर्थिक कोष का निर्माण कर सामूहिक उद्यमिता से उस कोष में वृद्धि भी कर रही है, और यह सब हो रहा है महिला सामाख्या से उनके जुड़ाव के कारण।

आज यदि ग्रामीण महिलाओं की भलाई की सही अर्थों में चर्चा करनी है तो उनके 'कल्याण' की नहीं बल्कि उनके 'सशक्तिकरण' की बात करनी होगी। सशक्तिकरण सम्भव है स्वयं उनकी सहभागिता से। सशक्त होने पर वे स्वयं अपने 'कल्याण' का मार्ग प्रशस्त कर लेंगी। अतः आज ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सामाख्या जैसे कार्यक्रमों को अधिकाधिक निष्ठा से चलाए जाने की आवश्यकता है जिससे महिला सहभागिता से ही महिलाओं का सशक्तिकरण सम्भव हो सके।

(लेखिका कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीताल में समाजशास्त्र की प्रोफेसर हैं)

ई–मेल : drpathakindu@gmail.com

तुलसी माला से महिलाएं बनी आत्मनिर्भर

रामचरण धाकड़

राजस्थान के भरतपुर जिले के डीग तहसील के बहताना गांव में अन्य गांवों की तरह अधिकांश महिलाएं अपना पूरा दिन खेती एवं पशुपालन जैसे कार्यों में व्यतीत करती थीं। इन महिलाओं की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि वे अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं भेज पाती थीं लेकिन पिछले दो वर्षों में जब से इस गांव में महिलाओं ने तुलसी माला निर्माण का कार्य शुरू किया है तब से इस घरेलू व्यवसाय से महिलाओं के आर्थिक स्तर में सुधार हुआ है। महिलाएं आर्थिक दृष्टि से तो आत्मनिर्भर हुई हैं साथ ही उनका परिवार में सम्मान भी बढ़ा है।

बहताना गांव में आज करीब 150 महिलाएं तुलसी माला बनाकर प्रति माह 4 से 5 हजार रुपये आसानी से कमा रही हैं। सबसे खास बात तो यह है कि इस व्यवसाय के लिए उन्हें अपने गांव से बाहर नहीं जाना पड़ता। कच्चा एवं तैयार किया हुआ माल व्यापारी स्वयं ही उपलब्ध करा जाते हैं और उनकी मेहनत की मजदूरी उसी समय दे जाते हैं।

लुपिन संस्था बनी उत्प्रेरक

लुपिन लैब लि. की स्वयंसेवी संस्था लुपिन ह्यूमन वेलफेयर एण्ड रिसर्च फाउन्डेशन ने तीन वर्ष पूर्व डीग तहसील के बहताना गांव को सर्वांगीण विकास के लिए गोद लिया। इस गांव में उपलब्ध संसाधनों एवं लोगों की रुचि की जानकारी प्राप्त की गई तो यह बात सामने आई कि बहताना गांव

उत्तरप्रदेश के गोवर्धन, मथुरा एवं वृन्दावन जैसे धार्मिक स्थलों के पास होने के कारण इस गांव में धार्मिक महत्व पर आधारित कार्य आसानी से संचालित हो सकते हैं। इसी को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के अन्तर्गत जैंत गांव से तुलसी माला निर्माण का प्रशिक्षण देने वाले नेमचन्द लोधा को बुलाकर उनसे दस दिन का गहन प्रशिक्षण दिलाया गया जिसमें दस महिलाएं शामिल हुई। प्रशिक्षण के बाद इन महिलाओं के सामने अपना स्वरोजगार संचालित करने के लिए आर्थिक संसाधनों की जरूरत महसूस हुई तो लुपिन ने राष्ट्रीय महिला कोष से प्रत्येक महिला को 10–10 हजार रुपये का ऋण आसान किश्तों में उपलब्ध कराया।

इस ऋण से महिलाओं ने तुलसी माला निर्माण के लिए मशीन खरीदी और जैंत गांव से कच्चा माल लाकर कार्य शुरु किया लेकिन प्रारंभिक दिनों में इन महिलाओं को कोई खास लाभ नहीं हुआ क्योंकि महिलाएं बड़ी मुश्किल से पूरे दिन में 5 से 7 मालाएं बना पाती थी किन्तु इन महिलाओं ने हार नहीं मानी और पूरे मनोयोग से कार्य जारी रखा। धीरे–धीरे माला निर्माण की गति बढ़ती गई और अब वे प्रतिदिन 40 मालाएं बना रही हैं जिससे उन्हें प्रतिमाह 4 से 5 हजार रुपये की आय आसानी से हो रही है। इस आय से महिलाओं ने अपने घर के जरुरी खर्चे चलाना तो प्रारंभ किया ही है साथ ही सभी बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए गैर–सरकारी स्कूलों में भेजना शुरु भी किया है।

तुलसी माला में विपणन की समस्या नहीं

बहताना गांव निकटवर्ती धार्मिक स्थल गोवर्धन, मथुरा, वृन्दावन, कामां आदि के पास होने की वजह से इन क्षेत्रों में तुलसी माला की अधिक बिक्री होती है और स्थिति यह है कि जितनी तुलसी माला तैयार होती हैं उसे व्यापारी खरीदने के लिये तुरन्त तैयार रहते हैं। यहां तक कि कुछ व्यापारी तो तुलसी माला तैयार कराने के लिये अग्रिम राशि भी दे देते हैं। तुलसी माला तैयार कराने वाले व्यापारी बहताना गांव की महिलाओं को कच्चा माल एवं तैयार माल को खरीदने स्वयं ही गांव में जाते हैं जिससे इन महिलाओं के सामने तैयार माल के विपणन जैसी कोई समस्या सामने नहीं रहती। अभी तक तुलसी माला निर्माण में काम आने वाली तुलसी के डण्ठल जैंत गांव से 10 से 20 रुपये किलो की दर से क्रय किए जा रहे हैं लेकिन लुपिन संस्था ने इस समस्या से निजात दिलाने के लिये गांव में तुलसी की खेती शुरु कराई है जिसमें तुलसी के पत्तों की खरीद आयुर्वेदिक कम्पनियों द्वारा की जाती है और डण्ठलों का उपयोग तुलसी माला निर्माण में किया जाता है।

तुलसी माला 5 से 50 रुपये तक की

तुलसी माला में दाने जितने छोटे होते हैं उसके दाम उतने ही अधिक मिलते हैं क्योंकि छोटे दाने तैयार करने में समय अधिक लगता है और इसका कच्चा माल भी महंगा मिलता है। गांव में अधिकांश महिलाएं छोटे दाने की मालाएं बनाती हैं जिसके लिए बैटरी से चलने वाली एक मशीन की जरुरत होती है जो करीब 450 रुपये की आसानी से मिल जाती है।

सामान्य मालाओं के साथ–साथ अब तुलसी माला

बनाने वाली महिलाओं ने तुलसी राखी एवं सजावटी मालाओं का निर्माण भी शुरु किया है जिसमें तुलसी के दानों के साथ–साथ पीतल अथवा तांबे के दाने भी मालाओं में लगाये जा रहे हैं जिससे इन मालाओं के दाम और अधिक बढ़ गये हैं तथा महिलाओं के मुनाफे में भी वृद्धि हो रही है। गांव की तुलसी माला बनाने वाली श्रीमती रामपति ने बताया कि रक्षाबंधन पर तुलसी की राखियां बनाने का आर्डर मिला है जो करीब 25 हजार रुपये का है जिसे पूरा करने के लिए महिलाएं रात–दिन जुटी हुई हैं। पिछले ही दिनों महाराष्ट्र के पंडरपुर कस्बे से 3 लाख रुपये की तुलसी मालाओं का आदेश मिला है। ये मालाएं वहां एक धार्मिक उत्सव में वितरित की जाएंगी।

आधा दर्जन गांवों में शुरु हुआ तुलसी माला का निर्माण

बहताना गांव में महिलाओं की तुलसी माला निर्माण से आई समृद्धि को देखकर इस गांव के आसपास के करीब आधा दर्जन गांवों में तुलसी माला निर्माण का कार्य शुरु हो चुका है और वहां भी यह कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। तुलसी माला निर्माण का कार्य सिनसिनी, चुचावटी, सोनगांव, खेरिया आदि में शुरु हो चुका है जिनमें भी लुपिन संस्था ने तुलसी माला निर्माण के प्रशिक्षण आयोजित किए हैं।

यह नितान्त सत्य है कि स्थानीय आवश्यकता एवं उपलब्ध संसाधनों पर आधारित शुरु किया गया व्यवसाय निश्चय ही सफल होता है, साथ ही जिन कार्यों में महिलाओं की भागीदारी अधिक होती है वे कार्य सफलता के द्वार पर अधिक पहुंच पाते हैं। बहताना गांव में शुरु हुआ तुलसी माला निर्माण का कार्य निश्चय ही धार्मिक स्थलों के आस–पास के गांवों में आर्थिक समृद्धि का कारक बनेगा।

(लेखक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, भरतपुर में कार्यरत हैं)

पाठकों / लेखकों से अनुरोध

आप "कुरुक्षेत्र" पत्रिका के नियमित पाठक / लेखक हैं तो आप जरूर चाहेंगे कि आपके गांव या उसके आसपास आ रहे बदलाव के बारे में सभी लोगों को पता चले। आपके गांव या आसपास जरूर ऐसी कोई महिला / पुरुष या स्वयंसेवी संस्था होगी जिसके बूते पर बदलाव की ब्यार चली हो। सरकारी प्रयासों के चलते भी आपके गांव का कुछ कायापलट तो हुआ ही होगा।

अगर आपके पास ऐसी कोई भी जानकारी है तो आप उसे अपने शब्दों में लिखकर (फोटो सहित) भेजें। लेख छपने पर उसका उचित पारिश्रमिक भी दिया जाएगा। हमारा पता है – वरिष्ठ संपादक, कुरुक्षेत्र (हिंदी), कमरा नं. 655, 'ए' विंग, निर्माण भवन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली–110001, आप हमें लेख ई–मेल भी कर सकते हैं।

ई–मेल : kuru.hindi@gmail.com

लाभदायक है सफेद मूसली की खेती

डॉ. सुनील कुमार खण्डेलवाल एवं डॉ. अरुणाभ जोशी

सफेद मूसली मानव जाति के लिए प्रकृति का एक बहुमूल्य उपहार है। यह एक दिव्य जड़ी-बूटी है। आजकल भारत में अभी तक इसकी आपूर्ति जंगलों से ही होती रही है परन्तु अब निरन्तर दोहन के कारण जंगलों में भी इसकी संख्या कम रह गयी है और इसका अस्तित्व भी खतरे में पड़ गया है। वर्तमान में यह भारत के जंगलों में प्रायः लुप्त होने की स्थिति में पहुंचती जा रही है। अतः इस बेशकीमती पौधे के संरक्षण की दरकार है, साथ ही सफेद मूसली के उत्पादन की प्रौद्योगिकी को कृषकों तक पहुंचाने की महती आवश्यकता है जिससे कृषकों को अधिक आमदनी प्राप्त हो एवं फसल पर मंडराते हुए अस्तित्व के खतरे से बचा जा सके। सफेद मूसली का उपयोग आयुर्वेद के अलावा दूसरी चिकित्सा पद्धति में भी विभिन्न प्रकार की दवाईयों के निर्माण में किया जा रहा है, जिसके कारण भारत के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भी इसकी मांग निरन्तर बढ़ती जा रही है। परन्तु जिस तेजी से इसकी मांग बढ़ रही है उसकी तुलना में आपूर्ति नहीं हो पा रही है।

सफेद मूसली एक औषधीय पौधा है। इसका वानस्पतिक नाम क्लोरोफाइटम बोरिविलिएनम है। यह लिलिएसी परिवार का सदस्य है। सफेद मूसली को हिन्दी व मराठी में सफेद मूसली, संस्कृत में श्वेत मूशली, राजस्थानी व गुजराती में धौली मूसली, उत्तर प्रदेश में खैरुबा, बंगला में श्वेत मुसली, तेलगु में सल्लोगड्डा, तमिल में तन्निर विट्टंग, कन्नड़ में नेलताड़ी तथा मलयालम में शेडे बेली के नाम से जाना जाता है। सफेद मूसली देश के उत्तरी भाग की अपेक्षा दक्षिण–पूर्वी भाग में अधिक पायी जाती है। यह दक्षिणी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा महाराष्ट्र राज्यों के जंगलों में प्राकृतिक रूप से पायी जाती है।

हमारे देश में प्राचीन काल से ही औषधियों के निर्माण में सफेद मूसली का उपयोग किया जाता रहा है। आजकल इसका उपयोग विभिन्न प्रकार की ऐलोपेथिक औषधियों के निर्माण में भी किया जा रहा है। सफेद मूसली का सर्वाधिक उपयोग स्वास्थ्यवर्द्धक टॉनिक के निर्माण में किया जाता है। अनुसंधान अध्ययनों से स्पष्ट हो चुका है, कि सफेद मूसली में इतने चमत्कारिक गुण विद्यमान हैं कि कोई भी आयुर्वेदिक टॉनिक इसके बिना अधूरा माना जाता है। आयुर्वेद के अनुसार यह मधुर रस वाली, वीर्यवर्द्धक, उष्ण वीर्य, पुष्टिकारक, भारी, रसायन रूप तथा बवासीर और वात पित्त को नष्ट करने वाली होती है। यह मूत्रल, शुक्रधातु को पुष्ट करने वाली तथा स्तम्भन शक्ति उत्पन्न करने वाली होती है। यह किसी भी प्रकार से मानव शरीर में आयी शिथिलता या कमजोरी को दूर करने में सक्षम है।

औषधियों के निर्माण में सफेद मूसली के कंदों (ट्यूबर्स) का उपयोग किया जाता है। सफेद मूसली के कंदों में कार्बोहाइड्रेट्स (शर्करा) 35 से 45 प्रतिशत, प्रोटीन 5 से 10 प्रतिशत, रेशे 25 से 35 प्रतिशत, प्राकृतिक स्टीरॉयड्स सेपोनिन 2 से 20 प्रतिशत तथा ऐल्केलॉयड्स 15 से 25 प्रतिशत होते हैं। सफेद मूसली में स्टीरॉयड्स सेपोनिन और ऐल्केलॉयड्स की मौजूदगी से स्पष्ट हो जाता है कि इसमें चिकित्सकीय गुणधर्म विद्यमान है। सफेद मूसली में ग्लाइकोसाइड्स भी प्रचुर मात्रा में पाये जाते हैं, जो नपुंसकता को दूर करने में सहायक होते हैं। सफेद मूसली में उपलब्ध पौष्टिक एवं बलवर्धक गुणों के कारण ही आजकल इसकी तुलना चीन तथा उत्तरी अमेरिका में पाये जाने वाले जिन्सेंग (पेनेक्स) से की जा रही है। अगर हम दूसरा शिलाजीत कहे तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। माताओं का दूध बढ़ाने, प्रसव के बाद होने वाले रोग, मधुमेह निवारण हेतु बनायी जाने वाली औषधियों में यह प्रयुक्त होती है।

एक अध्ययन के अनुसार विश्व भर में इसकी मांग प्रति वर्ष लगभग 50,000 टन है, जबकि इसकी उपलब्धता लगभग 15,000 टन ही है। इसकी बढ़ती हुई मांग की आपूर्ति तभी सम्भव है जब इसकी खेती वैज्ञानिक तरीके से की जाए। व्यावसायिक स्तर पर इसकी खेती अत्यन्त लाभकारी है।

परिचयः सफेद मूसली प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक कंदीय पौधा है, जिसकी अधिकतम ऊंचाई डेढ़ फीट तक होती है। सफेद मूसली के कंद भूमि में अधिकतम 10 इंच नीचे जाते हैं। ये कंदिल जड़ें रसदार होती हैं, इन कंदिल जड़ों को फिंगर्स भी कहते हैं। भारत के जंगलों में सफेद मूसली प्राकृतिक रूप से पायी जाती है। यह पौधा जंगलों में वर्षा ऋतु के समय अपने आप उग जाता है। आदिवासी लोग इसे जंगलों से उखाड़कर बाजार में सस्ते दामों में बेच देते हैं। बाजार में यह 100 से 200 रुपये प्रति कि.ग्रा. आसानी से बिक जाती है।

प्रजातियांः विश्व भर में सफेद मूसली की लगभग 256 प्रजातियां पायी जाती हैं। देश के अलग–अलग स्थानों पर सफेद मूसली की अलग–अलग किस्में पायी जाती हैं। हमारे देश में इसकी 8 प्रजातियां (क्लोरोफाइटम बोरिविलिएनम, क्लोरोफाइटम अरुण्डीनेशियम, क्लोरोफाइटम ट्यूबरोजम, क्लोरोफाइटम मालाबेरीकम, क्लोरोफाइटम एटेन्यूएटम, क्लोरोफाइटम ब्रेवीस्केपुम, एस्परेजस फिलिसाइनस तथा एस्परेजस गोनोक्लेडोस आदि) पायी जाती हैं। साधारणतया देश के जंगलों में सफेद मूसली की दो किस्में (क्लोरोफाइटम बोरिविलिएनम तथा क्लोरोफाइटम ट्यूबरोजम) पायी जाती हैं। व्यावसायिक स्तर पर खेती की दृष्टि

से क्लोरोफाइटम बोरिविलिएनम ज्यादा उपयुक्त एवं लाभकारी हैं क्योंकि क्लोरोफाइटम ट्यूबरोजम किस्म का छिलका जल्दी से नहीं उतरता है। सफेद मूसली की विधिवत खेती बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो रही है। सफेद मूसली की उन्नत किस्मों को विकसित करने के लिए पूरे देश में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित सुगंधित एवं औषधीय पौधों पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाएं चल रही हैं।

जलवायु एवं भूमि: सफेद मूसली का पौधा कंदयुक्त होता है इसलिए इसकी बढ़ोतरी भूमि के अंदर होती है। पौधों की अच्छी बढ़वार के लिए आर्द्र जलवायु एवं छायादार स्थान ज्यादा उपयुक्त होता है। यही कारण है कि सफेद मूसली की बढ़वार जंगलों में अच्छी होती है। अतः उन क्षेत्रों में जहां वर्षा 500 से 1000 मि.मी. तक होती है, वहां इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। रेतीली दोमट मिट्टी जहां पानी का निकास अच्छा हो तथा प्रचुर मात्रा में जीवाश्म की उपलब्धता हो, इसकी खेती के लिए सर्वश्रेष्ठ होती है। वैसे तो नर्म जमीन में कंदों की फिंगर्स की वृद्धि अच्छी होती है परन्तु ज्यादा नर्म जमीन में फिंगर्स पतली रह जाती हैं जिससे उत्पादन प्रभावित होता है।

खेत की तैयारी: खेत की तैयारी के लिए सबसे पहले मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करें तत्पश्चात् 5–10 ट्राली प्रति एकड़ की दर से गोबर की सड़ी हुई खाद को अच्छी तरह खेत में बिखेरकर मिला दें। यह कार्य बुवाई से एक महीने पूर्व करें। बाद में एक या दो जुताई देशी हल से करें एवं प्रत्येक जुताई के बाद पाटा अवश्य लगा दें, जिससे कि मिट्टी भुर–भुरी हो जाए। खेत तैयार करने के उपरान्त 30 से.मी. की दूरी पर 15–20 से.मी. ऊंची डोलियां बना लेवें तथा इन्हीं डोलियों पर 15 से.मी. की दूरी रखते हुए बुवाई करें। सफेद मूसली 75 से 100 से.मी. चौड़े व 15 से.मी. ऊंचे रेज्ड बेड्स में भी लगाई जा सकती है। इस दशा में पौधे से पौधे व कतार से कतार की दूरी 15 से.मी. रखें। खेत में जीवाश्म की मात्रा को बढ़ाने के लिए ग्रीन मेन्योरिंग (हरी खाद जैसे– सन या धतूरा) भी की जा सकती है। गोबर की खाद के साथ–साथ हरी खाद के प्रयोग से सफेद मूसली की अच्छी फसल प्राप्त होती है। खेत में जल के निकास हेतु नालियों की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए तथा बेड्स के किनारों पर आने–जाने के लिए पर्याप्त जगह छोड़ देनी चाहिए।

रोपण सामग्री: सफेद मूसली की खेती इसके ट्यूबर्स (फिंगर्स) और बीज के द्वारा की जा सकती है, परन्तु फिंगर से खेती करना ज्यादा लाभदायक होता है क्योंकि फिंगर्स से खेती करने पर पैदावार उसी साल मिल जाती है जबकि बीज से दो साल लग जाते हैं और पैदावार भी अच्छी नहीं मिलती है। प्रथम फसल की बुवाई हेतु अच्छी फसल की प्राप्ति के लिए रोपण सामग्री (प्लांटिंग मेटेरियल) फिंगर्स किसी स्थापित फर्म से लेना चाहिए या जंगलों से इसके फिंगर्स जिनका कम से कम वजन 5–10 ग्राम प्रति फिंगर हो, को इकट्ठा करना चाहिए। बुवाई में लाये जा रहे प्रत्येक फिंगर्स या जड़ों में डिस्क (फिंगर्स या जड़ पर स्थित तना) का कुछ अंश लगे रहना अंकुरण के लिए जरूरी है। इसके अलावा छिलका भी क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए। एक एकड़ की बुवाई के लिए जड़ों की मोटाई व लम्बाई के अनुसार करीब 4–5 क्विंटल (लगभग 80000 फिंगर्स) फिंगर्स की आवश्यकता होती है। बुवाई से पूर्व इन फिंगर्स को बाविस्टीन के 0.2 प्रतिशत घोल में 2 मिनट तक डुबाना चाहिए जिससे कि किसी प्रकार की बीमारी की समस्या न रहे।

सफेद मूसली का उत्पादन बीजों द्वारा भी किया जा सकता है, परन्तु बीजों की अंकुरण क्षमता 10–15 प्रतिशत ही होती है तथा बीजों को पौधों से एकत्र करना भी कठिन कार्य है। बीज से फसल लेने के लिए बीज को नर्सरी में जून–जुलाई में डाला

जाता है। सफेद मूसली के बीज प्याज के बीज की तरह ही काले रंग के एवं हल्के होते हैं। बीजों का जमाव प्रतिशत बहुत ही कम होता है। अतः इन्हें नर्सरी में सावधानीपूर्वक डालना चाहिए। बीज से अंकुरित पौधों की बढ़वार बहुत धीमी गति से होती है। पौधे कमजोर होते हैं और उनमें 1 से 3 छोटी–छोटी जड़ें बनती हैं। अक्टूबर–नवम्बर माह में पौधों का जमीन से ऊपरी वानस्पतिक भाग सूख जाता है। बीज द्वारा तैयार पौधे पहले साल बहुत ही कमजोर होते हैं अतः इन्हें नर्सरी में ही छोड़ दिया जाता है। दूसरे वर्ष अंकुरित होने पर इन पौधों को खेत में स्थानान्तरित कर दिया जाता है तथा परिपक्व होने पर जमीन से निकाल लेते हैं। इस प्रकार बीज से फसल लेने में दो वर्ष का समय लगता है।

सफेद मूसली की खेती में पहले साल बीज का महंगा होना एक समस्या है। इसका बीज करीब 300 से 600 रुपये प्रति किग्रा. की दर से मिलता है जिसे खरीदना हर आदमी के लिए संभव नहीं है। अतः जंगल से सफेद मूसली के पौधे लाकर इस समस्या को दूर किया जा सकता है। जंगल से लाए गए पौधों को सीधे खेत में लगाया जाता है और पहले साल पौधों के कमजोर होने के कारण फसल नहीं ली जाती है। दूसरे साल पौधे अच्छी तरह से विकसित हो जाते हैं और उत्पादन देने में सक्षम हो जाते हैं।

रोपण विधिः फिंगर्स की रोपाई के लिए मध्य जून का समय सबसे अच्छा रहता है यानी वर्षा प्रारम्भ होते ही फिंगर्स का रोपण कर देना चाहिए। फिंगर्स की रोपाई के लिए रोपाई के स्थान पर किसी नुकीली लकड़ी की सहायता से छेद बना लें (ध्यान रहे जमीन में नमी बनी हुई हो)। प्रत्येक छेद में हाथ से एक फिंगर (डिस्क युक्त) का रोपण कर दें। रोपण के समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि फिंगर जमीन में एक इंच से ज्यादा गहरा ना जाए। फिंगर्स को छेद में सीधा इस तरह से लगाएं कि क्राउन वाला भाग ऊपर रहे, रोपण के उपरान्त इसके ऊपर हाथ से मिट्टी डालकर बंद कर दें।

सिंचाईः सफेद मूसली फसल की बुवाई जून–जुलाई महीनों में की जाती है, इन महीनों में प्राकृतिक वर्षा होती है। यदि वर्षा सामान्य रूप से होती रहे तो इस फसल को सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है लेकिन बुवाई के समय यदि जमीन में नमी कम हो तो बुवाई के तुरन्त बाद सिंचाई करना आवश्यक होता है। इसके बाद वर्षा का अभाव रहने पर सिंचाई करें। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अच्छी फसल के लिए भूमि में नमी बनी रहना अत्यन्त आवश्यक है। सिंचाई के समय यह ध्यान रखें कि खेत में पानी लम्बे समय तक भरा नहीं रहे। वर्षा ऋतु के उपरान्त 10 दिनों के अन्तराल पर खेत में पानी देते रहना चाहिए। जब पत्ते सूखने लगे तथा इनके झड़ जाने के उपरान्त कंद तो खेत में ही रहते हैं। इसलिए हल्की–हल्की सिंचाई अवश्य करनी चाहिए, यदि खेत में स्पिंकलर्स लगे हैं तो यह अत्यन्त उपयुक्त होगा। इससे खेत में पानी नहीं रुकता अन्यथा इससे फसल का उत्पादन प्रभावित होता है। खेत में नमी बनी रहने से रसदार जड़ों में बढ़ोतरी होती है।

पौधों की देखभालः रोपाई के कुछ ही दिन बाद पौधा उगने लगता है और उसमें पत्ते निकलने लगते हैं। इस समय पौधों को खरपतवार से दूर रखने के लिए समय–समय पर निराई–गुड़ाई करते रहना चाहिए। सामान्यतया 2–3 निराई–गुड़ाई की आवश्यकता होती है। वानस्पतिक वृद्धि के समय ही पौधों में फूल तथा बीज आते हैं तथा अक्टूबर–नवम्बर माह में (रोपाई के लगभग 90 दिन बाद में) पत्ते पीले पड़ने लगते हैं और अपने आप सूखकर गिर जाते हैं। इसकी फसल में किसी भी कीट और बीमारी को नहीं देखा गया है परन्तु सूक्ष्म तत्वों की कमी से इनके पत्ते पीले पड़ जाते है, जोकि पत्तियों में पर्णहरित की कम मात्रा बनने से होती है। इस रोग को पीलिया रोग (क्लोरोसिस) कहते

लगी रहती है। इस मिट्टी को हटाने के लिए कंदों को टोकरी में डालकर जल के प्रवाह के नीचे रखकर धोया जा सकता है। इन कंदों की छिलाई कर व सुखाकर बिक्री कर सकते हैं। चाकू से कंदों का छिलका उतारना सबसे बढ़िया तरीका है क्योंकि इसमें क्षति कम होती है। इस विधि से एक दिन में एक व्यक्ति अधिकतम 3 कि.ग्रा. तक मूसली छील लेता है। कंदों की छिलाई का कार्य पत्थर पर घिसकर या मूसली को गीला करके भी किया जा सकता है। छीलने के बाद मूसली को अच्छी तरह पानी से धो लेवें तथा उसे धूप में 2 से 3 दिन तक सुखाएं। पूर्णतया सूख जाने पर नमी से बचाने के लिए पॉलीथीन की थैलियों में पैकिंग करें।

है। यह समस्या ऐसी भूमि में पायी जाती है, जिसका पी.एच. मान सामान्य से अधिक तथा जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट की अधिकता होती है। ऐसी भूमि में पीलिया रोग के नियंत्रण हेतु बुवाई के 15 दिन पहले 60 किग्रा. प्रति एकड़ की दर से सल्फर चूर्ण को मिट्टी में जुताई के साथ अच्छी तरह से मिला दें या बुवाई के बाद 20 व 40 दिन बाद फेरस सल्फेट (0.5 प्रतिशत) घोल का पौधों पर छिड़काव करें। कभी–कभी सामान्य भूमि में बुवाई करने से भी इस फसल में पीलिया रोग के लक्षण दिखाई देते हैं। यह भूमि में उचित वायु संचार की कमी, किसी विशेष पोषक तत्व की कमी, खेत में लम्बे समय तक पानी का भराव, खरपतवारों की अधिकता आदि कारणों से होता है। इसके निवारण के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों के मिश्रण का छिड़काव लाभदायक होता है।

कंदों की खुदाई, छिलाई एवं पैकिंग: रोपाई के 90 दिन बाद सफेद मूसली के पौधों की पत्तियां सूख जाती हैं और ऐसा लगता है कि यह खुदाई के लायक हो गयी हैं। परन्तु जब तक कंदों का रंग गहरा भूरा न हो जाए तब तक इन्हें खेत में ही रखना चाहिए और थोड़ा–थोड़ा पानी इन पर छिड़कते रहना चाहिए। पूर्ण परिपक्व अवस्था होने पर कंदों को कुदाली की सहायता से निकाल लेना चाहिए। कंदों को खेत से निकालने पर इनके साथ मिट्टी

बीज का भंडारण: कंदों की खुदाई के समय बड़े फिंगर्स को बिक्री के लिए तथा शेष बचे हुए छोटे फिंगर्स को बीज के लिए रखा जाता है। बीज के लिए रखे फिंगर्स में क्राउन का होना अति आवश्यक है। जनवरी माह में खुदाई की गई फिंगर्स का जून तक भंडारण किया जाता है। इसे बहुत ही सावधानीपूर्वक उचित तापमान पर रखकर ही भंडारण करना चाहिए नहीं तो बहुत–सी फिंगर्स मर जाती हैं। इसके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा कि किसी कच्चे मकान में या फिर झोंपड़ी में 25–30 से.मी. गहरा गड्ढ़ा

खोद लें। कंदों को मिट्टी में मिलाकर 20 से.मी. गहराई तक गड्ढ़े में भरे तथा ऊपर की बची हुई जगह को मिट्टी से भर दें। भंडारण ऐसे स्थान पर करें जहां नमी ज्यादा ना हो तथा वर्षा आने पर भीगने की संभावना न हो। कंदों को बराबर मात्रा में रेत के साथ मिलाकर पॉलीथीन की थैलियों में भी भंडारण किया जा सकता है।

उपजः सफेद मूसली के प्रत्येक पौधे के साथ विकसित कंदों की संख्या 10 से 12 होती है। जितनी रोपण सामग्री का उपयोग किया गया है, उससे 6 से 10 गुना ज्यादा उत्पादन होता है। सफेद मूसली को छीलकर सुखाने के बाद 20 से 25 प्रतिशत सूखी मूसली प्राप्त होती है।

शुद्ध लाभः सफेद मूसली की वैज्ञानिक तरीके से की गई खेती से औसतन 3–5 लाख रुपये प्रति एकड़ तक शुद्ध लाभ मात्र 6 से 8 महीने में कमाया जा सकता है। सफेद मूसली से प्राप्त शुद्ध लाभ कुछ कारकों जैसे– सफेद मूसली की बुवाई का तरीका, परिवर्तनशील वातावरणीय परिस्थितियां और अस्थिर बाजार भाव आदि पर भी निर्भर करता है।

हरित गृह (ग्रीन हाऊस) में सफेद मूसली की खेतीः हरित गृह में औषधीय पौधों की खेती करना सर्वाधिक फायदेमंद होता है क्योंकि औषधीय पौधों की खेती के लिए नियंत्रित वातावरण की आवश्यकता होती है। हरित गृह ही एक ऐसा माध्यम है जिसमें वातावरण को आवश्यकतानुसार नियन्त्रित कर फसल उत्पादन किया जा सकता है। यही वजह है कि खुले खेतों की तुलना में हरित गृह में कम समय में अच्छी पैदावार होती है। हरित गृह में कृषक भाई सफेद मूसली की खेती कर अपनी आय में आश्चर्यजनक वृद्धि कर सकते हैं क्योंकि कृषक भाई एक वर्ष में तीन से चार बार फसल उत्पादन कर सकता है। बाहरी वातावरण की तुलना में फसल कम समय में पककर तैयार हो जाती है। खुले खेत की अपेक्षा हरित गृह में 4 से 5 गुना अधिक पैदावार होती है। हरित गृह में बेमौसम किसी भी फसल की खेती संभव है। सीमित क्षेत्र में अधिक उत्पादन होता है। फफूंदनाशी, कीटनाशी छिड़काव की बहुत कम आवश्यकता होती है क्योंकि हरित गृह में उत्पादित की जा रही फसल में रोग लगने की संभावना नगण्य रहती है। साथ ही सिंचाई के लिए पानी की कम आवश्यकता होती है, जिससे समय एवं श्रम दोनों की बचत होती है। वर्तमान में हरित गृह निर्माण की लागत लगभग 700 से 1000 रुपये वर्गमीटर आती है, यानी 500 वर्गमीटर क्षेत्र की एक इकाई की लागत लगभग 3.5 से 5.0 लाख के बीच आती है। सामान्य परिस्थितियों में इसमें सफेद मूसली का उत्पादन कर इसकी लागत 2 से 3 वर्ष में प्राप्त की जा सकती है।

सावधानीः औषधि के रूप में सफेद मूसली का उपयोग चिकित्सक की उचित सलाह लेने के बाद ही करना चाहिए।

(लेखक महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर के आणविक जीव विज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग में जैव रसायन कृषि के वरिष्ठ तकनीकी सहायक हैं)

ई–मेल : khandelwalsk19@yahoo.com

लेखकों से

कुरुक्षेत्र के लिए मौलिक, अप्रकाशित लेखों का स्वागत है। रचना दो प्रतियों में टाइप की हुई हो (Krutidev 010 CD में) और उसके साथ ई–मेल तथा मौलिकता का प्रमाण–पत्र संलग्न हो। **कुरुक्षेत्र** में साहित्यिक रचनाएं प्रकाशित नहीं की जाती हैं। अस्वीकृत रचना लौटाने के लिए कृपया डाक टिकट लगा और अपना पता लिखा लिफाफा लगाएं। लेख वरिष्ठ संपादक, **कुरुक्षेत्र** कमरा नं. 655, 'ए' विंग, गेट नं. 5, निर्माण भवन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली–110011 के पते पर भेजें।

स्वास्थ्य-चर्चा

ग्वारपाठा
एक महत्वपूर्ण औषधीय पौधा

डॉ. अर्चना सिंह

अच्छी सेहत और फिटनेस के लिए भोजन यानी आहार का महत्वपूर्ण स्थान है। शरीर को तंदुरुस्त रखने में ग्वारपाठा (एलोविरा) बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। यह एक ऐसा पौधा है जो लगभग पूरे संसार में पाया जाता है। यह मोटी-मोटी मांसल पत्तियों के रूप में दिखाई देता है। हमारे आयुर्वेद में इसे जड़ी-बूटियों का महाराजा कहा जाता है। हमारे बुजुर्ग इसके लड्डू बनाकर खाते थे। कई लोग इसका हलवा बनाते थे। राजस्थान में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इसकी सब्जी भी बनाकर खाई जाती है। दुनिया में सभी देशों में इसका काफी पुराना इतिहास है। मिश्र में ममी को इसका लेप लगाकर ही लम्बे समय तक सुरक्षित रखते थे। क्लयोपेट्रा जो दुनिया की सबसे सुंदर महिला थी, इसी का लेप व सेवन करती थी। सिकन्दर ने एक लड़ाई केवल इसी के लिए लड़ी थी। महात्मा गांधी अपने लम्बे उपवासों में इसका उपयोग करते थे। 1835 से वैज्ञानिक इस पर निरंतर अनुसंधान कर रहे हैं।

ग्वारपाठा जिसे ऐलोविरा अथवा धृतकुमारी के नाम से भी सम्बोधित किया जाता है, लिलिएसी वानस्पतिक परिवार का एक मरूद्भिद पौधा है। इस पौधे का मूल स्थान पूर्व एवं दक्षिणी अफ्रीका है। आजकल इसकी कई प्रजातियां भारत, वेस्टइंडीज, अन्य गर्म देशों, यूरोप सहित लगभग सम्पूर्ण विश्व में उगायी जा रही है। इस पौधे का उपयोग सौन्दर्य प्रसाधनों के निर्माण में सदियो से होता आ रहा है। औषधीय उपयोगों के कारण इसे ''सार्वत्रिक रामबाण'' (यूनीवर्सल पेनेसिया), अमरता का पौधा (प्लांट ऑफ इमोरटिलिटी) तथा स्वर्ग की जादू की छड़ी (बॉन्ड ऑफ हेवेन) कहा जाता है।

ग्वारपाठा एक से दो फुट ऊंचा एक छोटा पौधा (क्षुप) होता है। इसकी मांसल पत्तियां लगभग 12 इंच से 15 इंच तक लम्बी, 4 इंच चौड़ी तथा लगभग पौन इंच (9/4 इंच) मोटी होती है। यह नीचे से ऊपर की ओर पतली होती जाती है। यह पत्तियां पौधे के तने से जुड़ी रहती हैं। तथा इनके किनारों पर कंटक होते हैं जिस पर हल्के लाल रंग के फूल मंजरी में आते हैं। यह पुष्प शीतऋतु के अंत में लगते हैं।

ग्वारपाठा की कुछ महत्वपूर्ण प्रजातियां

यूं तो विश्व भर में ग्वारपाठा की 275 प्रजातियां पाई जाती हैं। परन्तु कुछ प्रजातियां व्यावसायिक महत्व की हैं जो इस प्रकार हैं :–

ऐलो बार्बडेन्सिस मिल– यह प्रजाति मुख्यतः औषधीय उपयोग में लाई जाती है। इसका तना छोटा तथा पत्तियां गोल घेरे में व्यवस्थित रहती हैं। लम्बाई 50 से 60 सेमी. तथा चौड़ाई लगभग 8 सेमी. होती हैं। पुष्प बेलनाकार तथा पीले रंग के होते हैं। यह प्रजाति पूरे भारतवर्ष में अनुकूलित हो चुकी है। इसकी पत्तियों में ऐन्थ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड 'ऐलोईन' 30 प्रतिशत पाया जाता है।

ऐलो फेरोक्स अथवा केप ऐलो– पौधे की ऊंचाई लगभग 4 मीटर होती है। पत्तियों की लम्बाई एक मीटर तथा चौड़ाई 15 से 20 सेमी. होती है। पुष्प लाल रंग के होते हैं। ऐलोइन की मात्रा 10–12 प्रतिशत होती है।

ऐलो फ्रूटीकोसा– पत्तियों की लम्बाई 60 से 70 सेमी., रंग भूरा हरा, पुष्प लाल रंग के होते हैं। ऐलोइन की मात्रा 12–15 प्रतिशत तक पायी जाती है।

ऐलो पीरयी अथवा जिन्जीवर ऐलो– पत्तियों का रंग गहरा हरा, लम्बाई 30–35 सेमी., व चौड़ाई 6.7 सेमी., तथा पुष्प का रंग लाल/पीला होता है। ऐलोइन की मात्रा 25–30 प्रतिशत होती है।

इसके अतिरिक्त ऐलोअफ्रीकाना तथा ऐलोस्पाईकाटा किस्में हैं जो कम महत्व की जातियां हैं।

ग्वारपाठा के पत्तों का उपयोग मुख्यतया औषधीय रूप में किया जाता है। इन पत्तों को काटने पर पीले अथवा सफेद रंग का जैल निकलता है जो ठण्डा होने पर जम जाता है। इसे कुमारीसार, एलुआ, सिब्र, एलोज का मुसब्बर कहा जाता है। ग्वारपाठा के पत्तों में 94 प्रतिशत पानी व 6 प्रतिशत अन्य बीस प्रकार के अमीनो अम्ल व कार्बोहाइट्रेडस पाए जाते हैं। इनमें ऐलोइन नामक ग्लाइकोसाइड समूह होता है जो अत्यन्त क्रियाशील तत्व है। इसका मुख्य घटक पीले रंग का बारबेलाइन ग्लाइकोसाइड होता है। इसके रस में कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम तथा मैंगनीज भी पाया जाता है।

पौधे का कृषिकरण

ग्वारपाठे का व्यावसायिक कृषिकरण किसानों के लिए एक अच्छा अवसर है। इसे कहीं भी उगाया जा सकता है। यह खेतों की मेड़ों पर, असिंचित, रेतीली, पथरीली तथा ढलावदार भूमि के लिए अत्यन्त उपयुक्त है। परन्तु यह हल्की रेतीली दोमट, तथा भारी दोमट मिट्टियों में अच्छी तरह पनपता है। यह फसल जल–भराव की स्थिति सहन नहीं कर पाती तथा 6.5 से 8.5 पी.

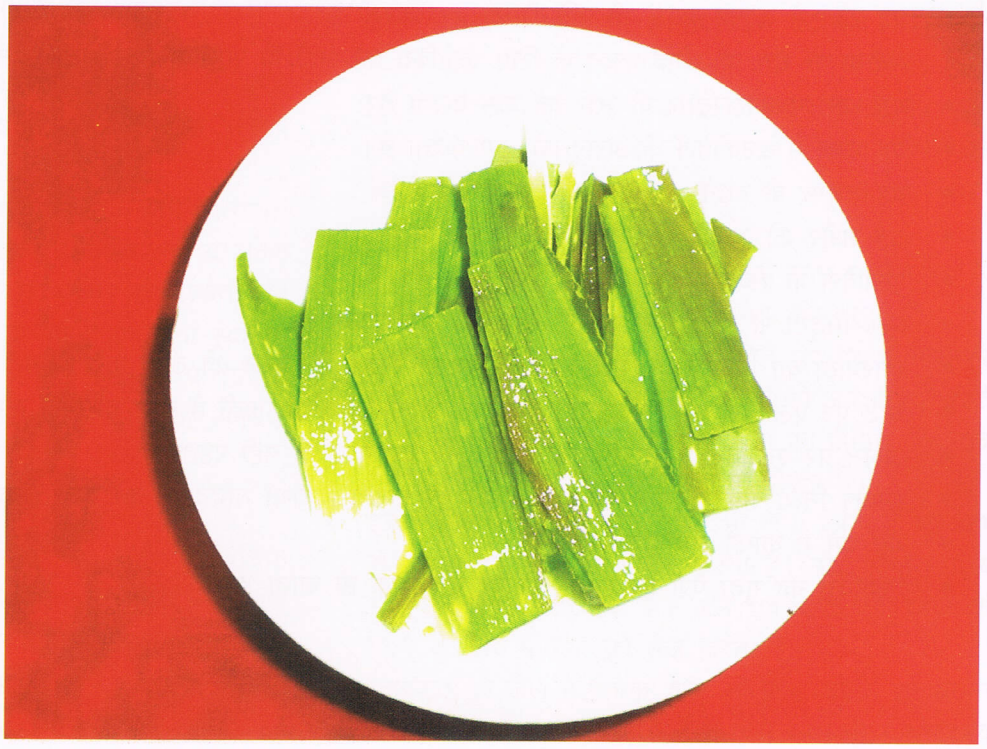

स्वास्थ्य के लिए रामबाण ग्वारपाठा

एलोविरा या ग्वारपाठा का निरंतर सुबह खाली पेट सेवन करने से अनेक बीमारियों से छुटकारा मिलता है। एलोविरा की गुदेदार पत्ती को चाकू से काटने पर उसमें से जो गूदा निकलता है उसे चम्मच की सहायता से खाना चाहिए। इसके निरंतर सेवन से निम्नलिखित बीमारियां शरीर से खत्म हो जाती हैं –

- यह मांसपेशियों व उनके तंतुओं को स्वस्थ करने में मदद करता है। यह मांसपेशियों के दर्द में लाभदायक है।
- यह त्वचा पर लगाने पर त्वचा के अंदर तक जाकर दर्द को बाहर निकालने में मदद करता है।
- यह माइग्रेन, सिरदर्द, कमरदर्द, कंधे का दर्द तथा जकड़न में काफी आरामदायक है।
- यह जोड़ों के दर्द में आराम पहुंचाता है।
- एलोविरा को मुहांसों पर लगाने पर मुहांसे जड़ से खत्म हो जाते हैं।
- एलोविरा का गुदा कटे, जले या किसी कीड़े के काटे जाने पर लगाने पर काफी आराम देता है।
- मुंह के छालों पर लगाने से अर्थात एलोविरा के गूदे को मुंह में घुमाने से मुंह के छाले ठीक होते हैं, दांत मजबूत होते हैं, मसूड़ों में पस या मवाद आना बंद हो जाता है, पायरिया से छुटकारा मिलता है। यह दांतों का पीलापन दूर करता है।
- यह त्वचा से संबंधित हर प्रकार की बीमारी को ठीक करता है। यह हमारी त्वचा में गहराई में जाकर सभी गंदगी को बाहर निकालता है अर्थात फेशियल का काम भी करता है। इससे त्वचा पर निखार आ जाता है तथा त्वचा की रौनक बढ़ जाती है।
- एलोविरा का गुदा बालों में लगाने पर बालों का झड़ना दूर होता है।
- यह सूर्य की गर्मी के प्रभाव को कम करता है।
- यह पैर की एड़ियों का फटना भी ठीक करता है।
- एलोविरा सूखी व तैलीय दोनों प्रकार की त्वचा पर उत्तम है।
- यह हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, रक्त संचालन सिस्टम को स्वस्थ रखने में मदद करता है।
- यह हार्ट अटैक एवं हार्ट स्ट्रोक की संभावना को कम करने में मदद करता है।
- यह रक्त में थक्का बनने की प्रक्रिया को कम करता है।
- गठिया के रोग को ठीक करने के लिए एलोविरा को आटे के साथ गूंथकर रोटी खाने से आराम मिलता है।
- यह रक्त में कोलेस्ट्रोल के स्तर को कम करता है।
- यह रक्त में अल्कोहल के असर को कम करता है।
- यह टयूमर के बढ़ने की गति को कम करता है।
- यह शरीर को स्फूर्ति व ताकत प्रदान करता है।
- एलोविरा के सेवन से डिप्रेशन भी कम होता है।
- धूल–मिट्टी से होने वाली एलर्जी में काफी लाभदायक है।
- ग्वारपाठा का नित्य सेवन पाचनतंत्र को स्वस्थ रखता है; कब्ज को ठीक करता है।
- चोट पर एलोविरा का लेप लगाने पर चोट जल्दी ठीक हो जाती है तथा दाग भी समाप्त हो जाते हैं।
- जलने पर एलोविरा बहुत उपयोगी है। जलने का दाग भी नहीं रहता।
- इसका नित्य सेवन दिमाग की थकान को दूर करता है तथा याददाश्त को दुरुस्त करता है।
- यह दमे में काफी लाभदायक है।
- एलोविरा का गूदा पैरों पर लगाने से पैर दर्द ठीक हो जाता है।

प्रस्तुति : डॉ. ममता मोहन
ई–मेल : dr.mamtamohan@yahoo.com

एच. वाली भूमि पर इसकी अच्छी बढ़त देखी गयी है। शुष्क जलवायु तथा हल्की जमीनों के लिए यह एक उपयुक्त फसल है।

पौधे का व्यावसायिक उत्पादन सकर्स द्वारा होता है। एक वर्ष में एक पौधे से 6–7 तक नए सकर्स निकलते है। पौधे के सकर्स को तैयार खेत में पौध से पौध की दूरी 50 सेमी. तथा पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 सेमी. रखना उपयुक्त माना जाता है। हल्की सिंचाई की आवश्यकता होती है। एक हेक्टेयर खेत के लिए 33,000 से 35,000 सकर्स की आवश्यकता होती है। 12–15 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर से अच्छी बढ़त प्राप्त होती है। आठ माह पश्चात पौधे की पत्तियां काटने लायक हो जाती हैं। पौधे की पूर्ण बढ़त में 3 वर्ष का समय लगता है। एक हेक्टेयर खेत से 10–12 टन तक हरी पत्तियां प्राप्त हो जाती हैं।

किसानों के लिए आर्थिक महत्व

ग्वारपाठा की फसल किसानों के लिए अत्यन्त आर्थिक महत्व की फसल है। इसकी बिक्री तीन प्रकार से की जा सकती है–

- ताजे पत्तों की बिक्री अपने आसपास की फैक्ट्रियों में तथा आयुर्वेदिक कम्पनियों में की जा सकती है।
- परम्परागत साधनों से जूस निकालकर इसकी बिक्री अपने आसपास के क्षेत्रों में ताजा जूस पिलाकर की जा सकती है।
- स्वचालित तथा उच्च तकनीक उपयोग करके यदि ग्वारपाठा जैल उत्पादित किया जाए तो उसका न केवल राष्ट्रीय बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी अच्छा बाजार हो सकता है। दुर्भाग्यवश अभी तक इस प्रकार की ज्यादा इकाइयां स्थापित नहीं हो पायी हैं। अतः वर्तमान में केवल ताजा पत्तियों से बिक्री ही किसानों के लिए सरल, सुगम तथा अच्छे आर्थिक महत्व का रास्ता है।

ग्वारपाठे का औषधीय महत्व

- ग्वारपाठे के जैल में पाया जाने वाला पदार्थ चिपचिपा पल्प–सा म्यूसीलेज है। जैल में कार्बोहाइड्रेट्स बहुलकों जैसे ग्लूकोमैन्स तथा पैक्टिक अम्ल सहित 70 कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ, विटामिन्स, शर्करा, लवण, स्टरोल्स, अमीनो अम्ल, ऐन्थ्राक्विनोन, फीनोलिक तथा सेलीसिलिक अम्ल इत्यादि पाए जाते हैं जो पौधे के विभिन्न औषधीय गुणों के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- ऐलाइन व एन्थ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइडस, आइसोबार्बेलाइन, शरीर में सूक्ष्म जीवननिवारक तथा दर्द निवारक का कार्य करते हैं।
- इसमें महत्वपूर्ण एन्जाइम कार्बोक्साइड पेटीडेज पाया जाता है जो शरीर में सूजन उत्पन्न करने वाले घटक ब्रेडिकाइनिन का अपघटन करके दर्द निवारक का कार्य करता है।
- पौधे में पाया जाने वाला मैग्नीशियम लेक्टेट, हिस्टीडीन डिकार्बोक्सिलेज एन्जाइम की मात्रा को कम करके विभिन्न प्रकार की एलर्जी को कम करता है।
- इसमें पाए जाने वाले पालीसैकराइड्स रक्त में पूर्ण रूप से अवशोषित होकर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं।
- इसके जैल को शरीर के बाह्य भागों पर प्रयोग करने से ऐन्थ्राक्विनोन सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके, टायरोसिनेज एन्जाइम की क्रियाशीलता को बाधित कर त्वचा का कालापन (मेलानिन निर्माण) कम करता है।
- इसके जैल में सेलिसिलिक अम्ल भी पाया जाता है जो आग से जलने पर शीतलता प्रदान करता है। और जीवाणुनाशक गुणों के लिए उत्तरदायी है। जले एवं क्षतिग्रस्त घावों को भरने के लिए प्रक्रिया को तेज करता है।
- ग्वारपाठा के जैल में मानक शरीर के लिए जरूरी 22 अमीनों अम्लों में से 20 अम्ल पाए जाते हैं तथा साथ ही 7 आवश्यक

अम्ल भी पाये जाते हैं। तथा इसमें पायी जाने वाली पालीमेनॉज शर्करा एच. आई. वी. विषाणु (एड्स का विषाणु) संक्रमण रोकने में कारगर है।

ग्वारपाठे का परंपरागत औषधीय उपयोग

- बच्चों की आंतों के कीड़ों के उपचार हेतु इसका प्रयोग किया जाता है।
- पेट की बीमारियों तथा अपच में लाभदायक है।
- खूनी अतिसार की स्थिति में इसका जैल शक्कर तथा जीरे के साथ लेने पर आराम मिलता है।
- विभिन्न पेशाब सम्बन्धी रोगों में इसका जैल प्रतिदिन खाली पेट लेने पर लाभ पहुंचता है।
- सभी प्रकार के त्वचा विकारों में जैल मलने पर राहत मिलती है।
- ग्वारपाठा का पत्ता भूनकर इसका जूस आधा चम्मच एक कप गर्म पानी में मिलाकर सेवन करने से सर्दी खांसी में लाभ होता है।
- कब्ज, गैस, आंखें लाल रहने पर पेट की सभी प्रकार की बीमारियों में ग्वारपाठे के गूढ़े का खाली पेट सेवन करना लाभदायक है।
- सौन्दर्य प्रसाधनों में इसका अत्यन्त उपयोग किया जा रहा है।
- नवीन अनुसंधानों द्वारा सिद्ध हुआ है कि ग्वारपाठा के ताजा पत्तों का जैल एक्स–किरणों के विकिरण द्वारा उत्पन्न हानिकारक प्रभावों को दूर करने में लाभदायक है।
- ब्रोन्कियल अस्थमा में इसका अत्यधिक उपयोग पाया गया है।

निसंदेह औषधीय दृष्टि से ग्वारपाठा एक अत्यधिक उपयोगी पौधा है। राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी मांग बढ़ती जा रही है। अतः अच्छी गुणवत्ता के ग्वारपाठा की प्राप्ति की दृष्टि से इसका कृषिकरण अत्यन्त आवश्यक है। इसके कृषिकरण के लिए अत्यधिक खाद, कीटनाशक तथा पानी की आवश्यकता नहीं होती है तथा जानवर भी इसको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अतः किसानों के लिए देशी तथा विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए यह एक उपयुक्त फसल है।

(लेखिका महारानी श्री जया राजकीय महाविद्यालय के वनस्पति शास्त्र विभाग में वरिष्ठ व्याख्याता हैं)

ई–मेल : archanamsj@yahoo.in

कुरुक्षेत्र मंगवाने का पता

विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक

प्रकाशन विभाग

पूर्वी खंड–4, तल–7

रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110066

मूल्य एक प्रति	:	10 रुपये
वार्षिक शुल्क	:	100 रुपये
द्विवार्षिक	:	180 रुपये
त्रिवार्षिक	:	250 रुपये
विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)		
पड़ोसी देशों में	:	530 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में	:	730 रुपये (वार्षिक)

नागालैंड के पेरेन जिले में हरा-भरा जीवन

पेरेन नागालैंड का 11वां तथा सबसे नया जिला है जो दक्षिण तथा पश्चिम में मणिपुर तथा असम राज्य से तथा उत्तर और पूर्व में दीमापुर तथा कोहिमा जिले से सटा हुआ है। वर्ष 2003 में यह एक पृथक जिला बना। 164700 हेक्टेयर में फैला यह क्षेत्र जिला जेलियांग तथा कुकी जनजातियों का वासस्थल है। पेरेन की आबादी जनजातीय है तथा ये आर्थिक रूप से काफी गरीब है, अधिकांश लोग अपनी आजीविका के लिए झूम खेती पर आश्रित हैं। जिस क्षेत्र में परियोजना कार्यान्वित की गई थी, उसमें झूम का औसत चक्र छः वर्ष था। मृदा की ऊपरी परत का अत्यधिक कटाव होने, जो लगभग प्रति वर्ष 40 मी.टन/हेक्टेयर था, व्यापक भू–क्षरण, वनस्पति नुकसान और पारिस्थितिकीय असंतुलन तथा निचले स्तर पर गाद भराव के कारण झूम खेती पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। भूमि की कम उत्पादकता, संसाधनों की कमी तथा आर्थिक अवसर कम होने से शहरों की तरफ पलायन में वृद्धि हुई।

यह मामला अध्ययन महाइनाम्त्सी पर केन्द्रित है जो समेकित जल विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी) पेरन–। परियोजना द्वारा कवर किए गए 16 ग्रामीण लघु वाटरशैडों में से एक हैं। 500 हेक्टेयर वाले मैनामत्सी में लगभग 236 परिवार रहते हैं, इनमें से अधिकांश जेलियांग नागा जनजाति के हैं तथा यह जिला मुख्यालय से 30 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। क्षेत्र में औसतन साक्षरता दर लगभग 33 प्रतिशत है।

परियोजना के बारे में

वर्ष 2005–06 के दौरान 16 ग्रामीण लघु वाटरशेडों, जिसका कुल परियोजना क्षेत्र 8000 हेक्टेयर था, को कवर करने के लिए आईडब्ल्यूडीपी पेरेन–। की स्वीकृति दी गई थी। आईडब्ल्यूडीपी हस्तक्षेप का उद्देश्य भूमि की उत्पादकता का उपयोग करने के लिए झूम खेती की पद्धति को लक्षित करना था तथा इसे स्थानीय लोगों द्वारा खुशी से स्वीकारा गया था, क्योंकि वृक्षारोपण आर्थिक रूप से लाभकारी था, मृदा एवं नमी संरक्षण उपायों जैसे परिरेखा बांधों, चैक डैमों, जल एकत्रीकरण तालाबों इत्यादि तथा स्व–सहायता समूहों के गठन के माध्यम से क्रियाकलापों स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप बनाए गए थे। इस परियोजना से महाइनामत्सी ग्रामीण लघु वाटरशैड में 172 परिवार लाभान्वित हुए।

परियोजना की सफलता के कुछ पहलू

- अठहत्तर परिवार अन्नानास की खेती का कार्य कर रहे हैं, अब उनकी औसत वार्षिक आय 38,000/– रुपये है। पहले की अपेक्षा अब इस कार्यकलाप से झूम से औसतन प्रतिवर्ष 6000 रुपये की वार्षिक आय होती है।
- सभी अठहत्तर परिवारों ने झूम खेती करना छोड़ दिया है तथा अन्नायास से मिलने वाले अधिक लाभ को देखते हुए प्रत्येक वर्ष अन्नायास की खेती कर रहे हैं।
- इक्कीस परिवार 600 रबड़ के वृक्ष लगाने में संलग्न हैं, जिससे उन्हें परिपक्वता (सात वर्ष पश्चात्) पर प्रतिवर्ष 17 लाख रुपये प्राप्त होंगे।
- प्रति स्व–सहायता समूह उपलब्ध कराई गई 10,000 रुपये की मूल पूंजी से सात स्व–सहायता समूहों ने 9.70 लाख रुपये अर्जित किए हैं।

(ग्रामीण भारत के सौजन्य से)

बूंदी के अमरूदों ने बनाई देशभर में पहचान

गजानंद यादव

निसंदेह बूंदी जिले के अमरूदों ने देश में अपनी खास पहचान बना ली है। राजस्थान के प्रमुख नगरों के अलावा अन्य प्रांतों हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं दिल्ली की मंडियों में बूंदी का अमरूद निर्यात हो रहा है। रोजाना सैकड़ों ट्रक भरकर यहां से बाहर जा रहे हैं। बागवानी फसलों में अमरूद की खेती यहां के हजारों कृषकों के लिए आय का स्थायी जरिया बनी हुई है जिससे वे लोग अच्छा मुनाफा प्राप्त कर रहे हैं।

राजस्थान के कृषि प्रधान बूंदी जिले के कृषकों में पिछले तीन वर्षों से बागवानी फसलों के प्रति रूझान बढ़ता जा रहा है। जिले का पचास प्रतिशत भूभाग सिंचित तथा इतना ही असिंचित क्षेत्र है। धान, सरसों, सोयाबीन, गेहूं आदि की खेती यहां की प्रमुख फसलों में शामिल है। रबी के अन्तर्गत होने वाली बागवानी फसलों में अमरूद की खेती के प्रति भी जिले के किसानों में उत्साह बढ़ता जा रहा है।

बूंदी जिले में तीन वर्ष पहले तक कुछ इलाकों में ही अमरूद की खेती की जाती थी जो 2007–08 में राष्ट्रीय बागवानी मिशन आरंभ हो जाने के बाद बढ़कर तीन गुना से अधिक हो गई है। कृषि विभाग के सूत्रों के अनुसार 2006–07 में जिले में सभी प्रकार के बगीचों का रकबा 135 हेक्टेयर था। वर्ष 2007–08 में अमरूदों के बगीचे मात्र 32 हेक्टेयर में थे, जो 2008–09 में बढ़कर 50 हेक्टेयर तथा 2009–10 में बढ़कर 110 हेक्टेयर भूभाग पर स्थापित हो गए, जो अमरूदों की खेती के प्रति कृषकों के बढ़ते रूझान के प्रतीक हैं।

कृषि विभाग के सूत्रों के अनुसार राज्य का दक्षिणी–पूर्वी इलाका अमरूद की खेती के लिए विशेष मुफीद है। प्रदेश के बूंदी, कोटा, टोंक, बारां, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, करौली, भीलवाड़ा, उदयपुर, सिरोही इसके प्रमुख उत्पादक जिले माने जाते हैं। कुछ समय पहले तक असिंचित क्षेत्र के किसान ही अमरूदों के बाग लगाया करते थे लेकिन विगत कुछ सालों से इस बागवानी फसल के प्रति सिंचित क्षेत्र के किसानों में भी जागरुकता आई और अब वे भी अमरूदों के बगीचे लगा रहे हैं।

अमरूदों के बगीचों में एक बार पौध लगाने के बाद शुरु के दो–तीन साल तक देखरेख करनी पड़ती है। उसके बाद 30–35 साल तक उनमें फलोत्पादन होता रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक बार लगाए गए बगीचों से किसानों को 30–35 साल तक निंरतर आमदनी होती रहती है जबकि खर्चा नाममात्र का होता है। अमरूदों का बगीचा उनके लिए रोजगार का स्थायी साधन बन जाता है। अमरूद के पौधों को 20–22 फीट की दूरी पर लगाया जाता है। पौधारोपण के लिए 60 गुणा 60 सेमी. के गड्डे खोदने पड़ते हैं। प्रत्येक गड्डे में 25 किलो गोबर की खाद, 50 से 100 ग्राम क्यूनालफास डेढ़ प्रतिशत या एन्डोसल्फान 4 प्रतिशत चूर्ण 100 ग्राम मिलाकर डाला जाता है। अमरूद के पौधारोपण का उचित समय वर्षा ऋतुकाल (जुलाई–अगस्त) होता है। तथापि सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने पर फरवरी के अंत तक भी पौधे लगाए जा सकते हैं।

बूंदी जिले के लिए इलाहाबादी सफेदा, लखनऊ–49 (सरदार), अर्कामृदुला तथा इलाहाबादी सुर्ख आदि उन्नत किस्में अधिक कारगर हैं जिन्हें यहां के काश्तकार उपयोग में ले रहे हैं। पुराने बगीचों में तो आज भी देशी किस्म के पेड़ ही लगे हैं जिनसे अमरूदों की पैदावार प्रति हेक्टेयर ढाई से सवा तीन सौ क्विंटल तक हो रही है। कई किसान तीन–चार साल तक के बगीचों में अन्य फसलें भी पैदा कर दोहरा लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

कृषि पर्यवेक्षक जसवंत सिंह हाड़ा ने बताया कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत अमरूदों का बगीचा लगाने के लिए किसानों को कुल लागत का 75 प्रतिशत या अधिकतम साढ़े बाईस हजार रुपये प्रति हेक्टेयर अनुदान तीन किश्तों में दिया जाता है। प्रथम वर्ष में लागत का 75 प्रतिशत, अधिकतम 11 हजार 250 रुपये प्रति हेक्टेयर, द्वितीय वर्ष में लागत का 75 प्रतिशत, अधिकतम 4500 रुपये प्रति हेक्टेयर तथा तृतीय वर्ष में लागत का 75 प्रतिशत, अधिकतम 6750 रुपये प्रति हेक्टेयर अनुदान देय है। दूसरे वर्ष की सहायता राशि पौधों के 75 प्रतिशत जीवित रहने तथा तीसरे वर्ष की सहायता पौधों के 90 प्रतिशत जीवित रहने पर देय है। प्रत्येक लाभार्थी अधिकतम 4 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए सहायता प्राप्त कर सकता है। पंजीकृत नर्सरी से पौधे खरीदने पर अनुदान देय है, जो कम से कम ढाई बीघा व अधिकतम 25 बीघा के लिए पौधों की चौथाई कीमत जमा कराने पर 75 प्रतिशत मिलता है। पौधारोपण के बाद यदि किसान अपने बगीचे में ड्रिप सिस्टम लगवा लेता है तो 70 प्रतिशत अनुदान अलग से दिया जाता है।

बूंदी के समीपस्थ गांव नानकपुरिया के वयोवृद्ध फलोत्पादक कृषक नंदलाल माली (72 वर्ष) ने बताया कि उन्होंने 25 बीघा में अमरूदों के बगीचे लगा रखे हैं जो तीन वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक पुराने हैं। तीन साल पुराने बगीचों में पौधे छोटे होने के कारण उनमें इन्टर क्रापिंग फसल भी उठाई जाती हैं। ऐसे बगीचों में गेहूं, चना सभी प्रकार की सब्जियां तथा चारे की पैदावार लेते हैं। उन्होंने बताया कि एक बार लगाए गए पौधे तीसरे साल से फल देना शुरु कर देते हैं और 30–35 सालों तक लगातार फल देते रहते हैं।

नंदलाल के बगीचों में देशी किस्म के अमरूद लगे हैं जिन पर डेढ़ सौ से दौ सौ ग्राम तक के वजनी फल आ जाते हैं। अकेले उनके बगीचों से प्रतिदिन 20 से 25 क्विंटल माल उतरता है जिसे थोक व्यापारी ठेकेदारों के माध्यम से सीधे खेतों में क्रय करके बाहर ले जाते हैं। सीजन में बगीचों की देखरेख, फलों को तोड़ना, पैक करना और वाहनों में लादना आदि समस्त कार्य ठेके पर दे देते हैं। प्रति वर्ष बगीचों को ठेके पर देने की राशि में बढ़ोतरी हो रही है। इस वर्ष उन्होंने 25 बीघा में से 16 बीघा के बगीचों को साढ़े तीन लाख रुपये में ठेके पर दिया है। शेष बगीचों के माल को उतारने एवं बिक्री का कार्य वह स्वयं स्थानीय मंडी, बाजार में करते हैं। उनके बगीचों में अमरूद की पैदावार प्रति हेक्टेयर 32 से 45 हजार रुपये की बैठती है जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा हो जाता है।

नंदलाल माली एक प्रगतिशील काश्तकार है, जो खाद्यान्न फसलों के अलावा बागवानी फसलों, सभी प्रकार की सब्जियों तथा फूलों की खेती भी उन्नत कृषि विधियों को अपनाते हुए करते हैं। उन्होंने फूल गोभी के साथ बीच–बीच में क्यारियां बनाकर करेला लगा रखा है। उन्होंने बताया कि गोभी की फसल उतर जाने के बाद खेत का गोभी वाला भाग खाली होते ही करेले की बेल उस भूभाग पर फैला दी जाएगी और अब बेमौसम में करेले की पैदावार से भी उन्हें आमदनी होने लगेगी।

देवपुरा के फलोत्पादक काश्तकार दुर्गालाल माली ने एक भेंट ने बताया कि बूंदी तहसील के नानकपुरिया, देवपुरा एवं छत्रपुरा के लगभग छः–सात सौ काश्तकारों ने अमरूदों के बगीचे लगा रखे है। इन गांवों की लगभग पचास प्रतिशत कृषि भूमि पर अमरूदों के बगीचे लगे हुए हैं। इनके अलावा भी कुछ और गांवों में विशेष रूप से अमरूद की खेती करते हैं। स्वयं दुर्गालाल ने अपने यहां 10 बीघा के बगीचों का ठेका 2 लाख रुपये में दिया हुआ है। बागवानी फसलों के लिए पुरस्कृत हुए ग्राम नानकपुरिया के काश्तकार उदयलाल माली ने 15 बीघा में अमरूदों के बगीचे लगा

रखे हैं। उन्होंने बताया कि बूंदी तहसील की जमीन अमरूदों की खेती के लिए माफिक है। यहां पर प्रति हेक्टेयर ढाई से तीन–सवा तीन सौ क्विंटल पैदावार हो जाती है। एक बड़ा पेड़ औसतन डेढ़ क्विंटल तथा छोटा पेड़ 50 से 80 किलो तक फल दे देता है। एक बीघा में 45 से 50 पेड़ लगाए गए हैं। अमरूद के पेड़ों को रोगों से बचाने के लिए दवा डाली जाती है। अच्छी पैदावार के लिए देशी खाद के साथ थोड़ी रासायनिक खाद भी काम में ली जाती है।

फलोत्पादक कृषक रामरतन माली ने बताया कि बूंदी के समीपस्थ ग्रामों से करीब 500 क्विंटल माल रोजाना ट्रकों में बाहर जाता है। बूंदी जिले का अमरूद राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली एवं हरियाणा, पंजाब आदि की मंडियों में थोक के भाव बिकने के लिए जाता है। अमरूदों का सीजन नवंबर से शुरू होकर फरवरी के अंतिम सप्ताह या मार्च के पहले सप्ताह तक चलता है। एक पेड़ का ठेका औसतन सात–आठ सौ रुपये में हो जाता है।

जयपुर–जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 पर स्थित बूंदी जिले के तालेड़ा ग्राम से गुजरने वाले लोगों को एनएच 12 के दोनों ओर लगी अमरूदों की फुटकर दुकानें वाहनों को रुकने पर मजबूर और फल खरीदने को बाध्य कर देती हैं। यहां करीब 40–50 दुकानें लगी हैं जिन पर समीप में लगे बगीचों के प्रतिदिन तोड़कर लाए गए ताजा अमरूदों को 20 से 25 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा जाता है।

तालेड़ा के रामलाल माली का कहना है कि अमरूद की खेती यहां के स्थानीय कृषकों के लिए रोजगार का स्थायी जरिया बन गई है। फुटकर विक्रेता रत्नाबाई ने बताया कि वह रोजाना 40–50 किलो अमरूद बेचकर अपने घर का खर्चा चला लेती है। फुटकर विक्रेता अकेले तालेड़ा बाईपास से ही प्रतिदिन चार–पांच क्विंटल तक अमरूद राहगीरों को बेच देते हैं। मजदूर से विक्रेता बने मोहन प्रजापति ने बताया कि पहले वह एक खेत में मजदूरी करता था लेकिन अब खेतों से अमरूद लाकर यहां अपनी दुकान से बेच देता है, जिससे उसे काफी फायदा हो रहा है। अपने इस छोटे से व्यापार से वह बहुत खुश है। तालेड़ा बाईपास पर लगी अमरूद की फुटकर दुकानों का संचालन न केवल पुरुष बल्कि महिलायें भी कर रही हैं।

निसंदेह बूंदी जिले के अमरूदों ने देश में अपनी खास पहचान बना ली है। राजस्थान के प्रमुख नगरों के अलावा अन्य प्रांतों हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं दिल्ली की मंडियों में बूंदी का अमरूद निर्यात हो रहा है। रोजाना सैकड़ों ट्रक भरकर यहां से बाहर जा रहे हैं। बागवानी फसलों में अमरूद की खेती यहां के हजारों कृषकों के लिए आय का स्थायी जरिया बनी हुई है, जिससे वे लोग अच्छा मुनाफा प्राप्त कर रहे हैं। फलों के व्यापारियों तथा कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बूंदी का अमरूद गुणवत्ता एवं स्वाद के लिहाज से इलाहाबादी अमरूदों से किसी प्रकार कम नहीं होने के कारण दिनोंदिन देश की विभिन्न मंडियों में लोकप्रिय होता जा रहा है।

(लेखक बूंदी में सूचना जनसम्पर्क अधिकारी हैं।)

ई–मेल : cprbun@hotmailcom

हमारे आगामी अंक

जुलाई, 2010 – खेती का बदलता स्वरूप

अगस्त, 2010 – गांवों में बुनियादी सुविधाएं

सितंबर, 2010 – गांवों में शिक्षा

इसके अतिरिक्त ग्रामीण विकास, कृषि, रोजगार व स्वास्थ्य से संबंधित लेख भी इनमें शामिल किए जाएंगे। उपरोक्त विषयों पर सारगर्भित लेख (आम बोलचाल की भाषा में) व फोटो हमें भेजे जा सकते हैं। पत्रिका के प्रकाशन की तिथि आगामी माह से तीस दिन पूर्व होती है। अतः प्रकाशन सामग्री कम से कम 45 दिन पूर्व हमें मिल जानी चाहिए ।

भारतीय सिनेमा का परिदृश्य

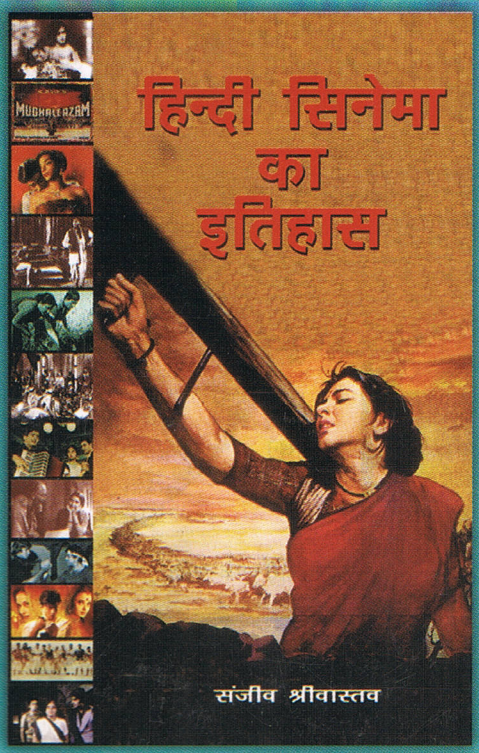

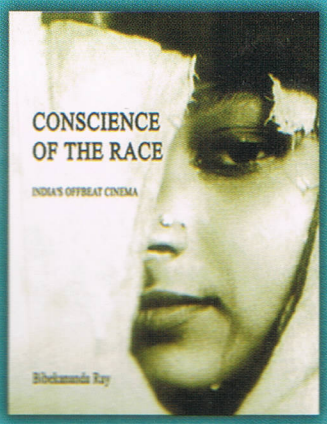

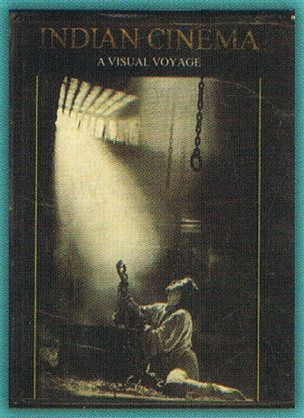

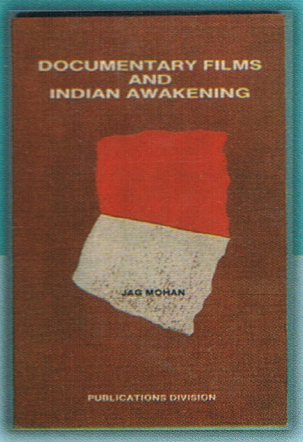

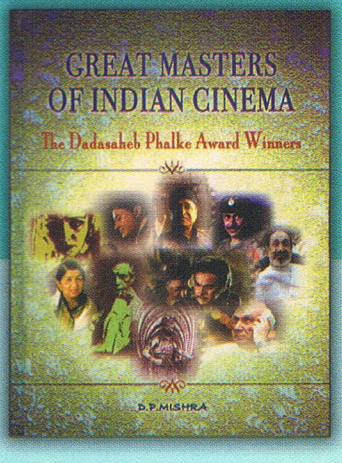

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें–
व्यापार व्यवस्थापक प्रकाशन विभाग
सूचना भवन, सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स,
लोदी रोड, नई दिल्ली– 110003

फोन : 24365610, 24367260
फैक्स : 011–2436 5609
ई –मेल : dpd@sb.nic.in, dpd@mail.nic.in
वेबसाइट : www. publicationsdivision.nic.in

DPDB-H-10/3

आर. एन. आई./708/57
डाक–तार पंजीकरण संख्या : डी.एल. (एस)–05/3164/2009–11
आई.एस.एस.एन. 0971–8451, पूर्व भुगतान के बिना आर.एम.एस.
दिल्ली में डाक में डालने के लिए लाइसेंस : यू (डी.एन.)–55/2009–11

R.N.I./708/57
P&T Regd. No. DL. (S)-05/3164/2009-11
ISSN 0971-8451, Licenced under U (DN)-55/2009-11
to Post without pre -payment at R.M.S. Delhi.

प्रकाशक और मुद्रक : वीना जैन, अपर महानिदेशक (प्रभारी), प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003.
मुद्रक : अरावली प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्रा. लि., डब्ल्यू-30 ओखला इंडस्ट्रियल एरिया-II, नई दिल्ली-110 020 : वरिष्ठ संपादक : कैलाश चन्द मीना